पंचम माला, खंड 56, अंक 16, गुरुवार, 29 जनवरी, 1976/9 माघ, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LVI, No. 16, Thursday, January 29, 1976/Magha 9, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

(यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.)

2921 (ai) LS—1.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, गुरुवार, 29 जनवरी, 1976/9 माघ, 1897 (शक)

No. 16, Thursday, January 29, 1976/Magha 9, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 306, 310 से 313, 315 से 320 और 322	Starred Questions Nos. 306, 310 to 313, 315 to 320 and 322	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 307 से 309, 314, 321 और 323 से 326	Starred Questions Nos. 307 to 309, 314, 321 and 323 to 326 . . .	23—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 से 1499	Unstarred Questions Nos. 1396 to 1499	27—80
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	80—84
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—	Indian Penal Code (Amendment) Bill—	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन; और	(i) Report of Joint Committee; and .	84
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee .	84
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sitting of the House . . .	84—86
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
187वां प्रतिवेदन	Hundred and Eighty-seventh Report .	86
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
77वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Seventy-seventh Report and Minutes	87

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the Question actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प; और	Statutory Resolution Re : Disapproval of Prevention of publication of Objectionable Matter Ordinance; and .	
आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक—	Prevention of Publication of Objectionable Matter Bill.	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	87—88
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . .	89—90
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha .	90—91
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	91—93
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo De Sequeira .	93—94
खण्ड 2 से 41 और 1	Clauses 2 to 41 and 1 .	95—104
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended—	
श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar .	104—05
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	105—06
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	106
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	106—07
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	107
भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा युगान्डा में पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Compensation for Properties of Indian Nationals in Uganda—	
श्री विपिनपाल दास	Shri Bipinpal Das . . .	107—09
मोटर यान (संशोधन) विधेयक—	Motor Vehicles (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
डा० जी० एस० ढिल्लो	Dr. G. S. Dhillon . . .	109
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder . . .	110

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 29 जनवरी, 1976/9 माघ, 1897 (शक)

Thursday, Januarry 29, 1976/Magha 9, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज रियायत नियमों में संशोधन

***306. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खनिज रियायत नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकारों व अन्य पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर खनिज रियायत नियमावली, 1960 में संशोधन करने के उद्देश्य से इन नियमों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। जिन मुख्य-मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया है वे इस प्रकार हैं :—

(i) खनिज रियायतों संबंधी प्रक्रिया को प्रभावी बनाना।

(ii) खनिजों की कुशल और ठीक-ठीक खुदाई पद्धति पर जोर देना।

(iii) खनिजों के अवैध खनन को रोकना।

(iv) ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ताकि खान मालिकों द्वारा बकाया खनन राशि का तत्काल भुगतान किया जा सके; तथा

(v) खनन उद्योग को वित्तीय संस्थाओं से ऋण की सुविधायें जुटाने के संबंध में व्यवस्था करना।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : राज्य सरकारों को अवैध ढंग से खनन कार्य करने और कदाचार करने से रोकने के लिये पहले ही पर्याप्त शक्तियां मिली हुई हैं। उन्हें इस तरह का कार्य रोकने तथा खान मालिकों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय काम में लाने के लिये भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो खान मालिक अवैध ढंग से खनन कार्य कर रहे हैं तथा कदाचार कर रहे हैं उन के विरुद्ध कार्यवाही करने में राज्य सरकारों की असफलता के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इसका कोई विशेष कारण नहीं है। राज्य सरकारें उपाय कर रहीं हैं किन्तु ऐसा लगता है कि इस संगठन को मजबूत करना होगा। और राज्य सरकारों से कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। आवेदनों पर निर्णय लेने के लिये कुछ और समय की आवश्यकता है। यहां तक कि फेडरेशन आफ मिनरल एसोसियेशन्स ने भी कुछ सुझाव दिये हैं कि कानूनों में कुछ संशोधन किये जायें। अतः इन बातों पर विचार किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गई है। हम यह महसूस करते हैं कि इस संगठन को मजबूत किया जाये ताकि अवैज्ञानिक तथा अवैध ढंग से खनन कार्य न हो।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि नये कानून कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

श्री चन्द्रजीत यादव : वे विचाराधीन हैं। मैंने एक विभागीय समिति का गठन किया है जिस में ये सारे सुझाव रखे गये हैं। राज्य सरकारों ने भी कुछ सुझाव दिये हैं और हाल ही में फेडरेशन की ओर से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार विमर्श हो रहा है। यदि सदस्यगण भी कुछ सुझाव देना चाहते हों तो वे सुझाव दे सकते हैं। किन्तु आशा है कि यथासंभव शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा और हम अवश्य ही उन निर्णयों से सभा को अवगत करायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चसनाला में जो दुर्घटना घटी है क्या उस का कारण अवैध खनन था?

श्री चन्द्रजीत यादव : इस प्रश्न का इस दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। इस के अतिरिक्त इस हेतु जांच की जा रही है। इस समय इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।

Shri R. N. Sharma : He has said that they are bringing forward legislation in this regard. I want to know whether his attention has been drawn to the fact that in spite of passing two Bills regarding nationalisation of coal mines, still the illegal mining is going on and this is causing heavy damage to minerals property of the Country. That is being sold in the open market at Cheap rates. Due to this heavy stock of coal has piled up.

Shri Chandrajit Yadav : We are trying to find ways to take action against those who have indulged in illegal mining.

श्री जगन्नाथ राव : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि खनिज नियमों में कुछ छोटी-छोटी रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकारें रायल्टी दर बढ़ाने के लिये मांग कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि रायल्टी की दर में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है अथवा नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अभी-अभी रायल्टी के प्रश्न पर निर्णय किया गया है। रायल्टी के इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है; जिस ने हाल ही में निर्णय किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : : श्री शर्मा ने जो प्रश्न पूछा है उस का उत्तर मंत्री जी ने केवल यही दिया है कि हम विचार कर रहे हैं।

कई बार पहले इसी सभा में अवैध ढंग से कोयला खान की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया है और उस समय भी हमें यही बताया गया कि कदम उठाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अवैध ढंग से कोयला खान के कितने मामले पकड़े गये और इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। क्या अवैध ढंग से खनन करने वाले इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या केवल विचार ही हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कोयला खनन को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इस के लिये एक पृथक मंत्रालय है। यदि वह विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं तो इस के किये अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का निर्माण

+

*310. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मोड़ सड़कों (डाइवर्जन्स) सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य किस स्थिति में है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन-कौन से ऐसे प्रमख पुल हैं जिनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है अथवा जिनका निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ग) कन्नानूर जिले में बलिया पट्टम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 47 दो राष्ट्रीय राजमार्ग केरल राज्य से होकर जाते हैं। वित्तीय कठिनाई के कारण मार्च, 1972 में इस सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग 17 घोषित हो जाने के बाद से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्गों सहित कोई भी नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का सम्बन्ध है सड़क पहले ही चालू है परन्तु यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसके विकास/सुधार करने के लिये स्वीकृत कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। चौथी योजना में केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 8 उपमार्गों के निर्माण की व्यवस्था थी। कोरट्टी और शेरतलाई मे उपमार्ग पूरे हो गये हैं। अलवे पर का उपमार्ग पूरा होने वाला है। पालघाट और कोचीन उपभागों का मिट्टी कार्य प्रगति में है। शेष तीन शहरों अर्थात् त्रिचूर, चलाकुडी और एल्लेपी के उपभागों का निर्माण वित्तीय कठिनाई के कारण स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) बड़े पुल जो अपूर्ण हैं या जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

पुल का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	अभ्युक्ति
(1) कोचीन उपमार्ग में कुम्बालम और अरुर के बीच पुल।	47	प्रगति में।
(2) कोचीन उपमार्ग में पनानगड और कुम्बालम के बीच पुल।	47	अभी शुरू किया गया है।
(3) मराडू और नेट्टूर के बीच पुल .	47	प्रगति में।
(4) चम्बाकारा खेडू पर पुल	47	--यथोक्त--
(5) वलियापट्टम पुल .	17	प्रगति में। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर भी संदर्भित हैं।
(6) कि० मी० 172/180 में एनेजेरा कन्डी-मोयडू।	17	राज्य प्राधिकरण से विस्तृत अनुमान की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण उसकी मंजूरी पर विचार करना समय समय पर धन उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पुल का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	अभ्युक्ति
(7) 173/880 कि० मी० में धरमादम पुल।	17	विस्तृत अनुमान का अभी राज्य प्राधिकरण से प्रतीक्षा है। वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण उनकी मंजूरी पर विचार करना समय समय पर उपलब्ध धनपर निर्भर करेगा।
(8) 203/500 कि० मी० में मूरत पुल	17	—यथोक्त—
(9) 233/200 कि० मी० में करापुजा पुल।	17	—यथोक्त—
(10) 257/00 कि० मी० में फेरोक पुल	17	—यथोक्त—
(11) कोट्टापुरम पुल .	17	—यथोक्त—
(12) चेट्टुवा पुल . .	17	—यथोक्त—
(13) वारापुजा पुल .	17	—यथोक्त—
(14) पुड्डपोनानी पुल	17	इस सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से पहले नींव और अधोसंरचना कार्य राज्य निधि से पूरा किया गया। कार्य का जारी और पूरा करने की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर विस्तृत अनुमान प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) वलियापट्टनम पुल के निर्माण में विलम्ब उस ठेकेदार के अल्प प्रयत्न के कारण है जिसने श्रम संकट के बहाने कार्य को छोड़ दिया है। विभाग ने पहले के ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य के शेष भाग को पूरा करने के लिये टेण्डर मांगे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बालियापट्टम पुल के निर्माण में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि इस पुल के निर्माण में हुए विलम्ब का कारण यह है कि ठेकेदार ने बड़ी सुस्ती से कार्य किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है या नहीं कि पांच वर्ष बीत जाने पर भी पुल अभी अधूरा है। मुझे पता नहीं है कि क्या यह विलम्ब ठेकेदार द्वारा धीरे-धीरे काम करने से हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है। सरकार का कहना है कि विभाग पुराने ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर पुल के शेष कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

श्री दलबीरसिंह : लिखित उत्तर में विलम्ब के कारण बता दिए गए हैं। राज्य सरकार अब इसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। किन्तु यह धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। ज्योंही धन उपलब्ध हो जायेगा पुल निर्माण कार्य पूरा किया जाता रहेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह दार्शनिक उत्तर है। लिखित विवरण में उन्होंने कुछ और बताया है तथा उत्तर में वह कुछ और बता रहे हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों): शेष कार्य के लिए टेंडर मांगे गये हैं और इस के लिए अन्तिम तिथि 10 फरवरी, 1976 निर्धारित की गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान लिखित विवरण के पृष्ठ 2 में कोट्टापुरम पुल सम्बन्धी मद संख्या 11 के बारे में सरकार को उस क्षेत्र के लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं कि सरकार को पुल निर्माण का स्थल नहीं बदलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार ने उस क्षेत्र में दूसरा सर्वेक्षण करने और बिल्कुल नए क्षेत्र में पुल निर्माण का प्रस्ताव किया है। यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से लिया है और क्या अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार राज्य सरकार तथा उस क्षेत्र के संसद सदस्यों से परामर्श करेगी।

श्री दलबीर सिंह : राज्य सरकार को हमेशा विश्वास में लिया जाता है और किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान उन्होंने कोट्टापुरम पुल के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन के पास उत्तर तैयार नहीं है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : तीन बड़े-बड़े क्रासिंग हैं और कोट्टापुरम उनमें से एक है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं आप से मिलकर इस पर चर्चा करूंगा।

डा० जी एस० ढिल्लों : इसका अर्थ यह है कि अब आपको उत्तर नहीं चाहिए।

Shri Nawal Kishore Sinha : According to my information there are fifty thousand Kilometre long highways in our country but kilometerage in the states is not according to their population. In some states it is less where as in other states it is more. I want to know whether Government would provide highways in the States according to their population in the Fifth Five Year plan. Keeping this in view, will the Government convert the road between Patna and Sonebarasa and passing over the Ganga bridge into a national highway ?

Mr. Speaker : This is not about highways. This is regarding a bridge in Kerala.

Shri D. N. Tiwari : In reply to a question the Hon. Minister has said that the executive agency is of State Governments and it is their responsibility to get the work done. You provide funds to the State Governments. Do you have any machinery to see that that money is properly spent by the State Governments ? Do you keep watch on their working ?

Shri Dalbir Singh : Yes sir, we pay nine per cent agency fee to the State Governments for this purpose. Their Organisations are responsible for the execution, but our people go there from time to time for survey and inspection. But the entire responsibility is that of State Government.

औद्योगीकरण वातावरण में मंत्री का इस्पात उत्पादन पर प्रभाव

*311. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगीकीकरण वातावरण में मंदी का हाल के महीनों में इस्पात के उत्पादन अथवा तैयार इस्पात की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया के पास 31 दिसम्बर, 1975 तक बिक्री के लिए इस्पात का कुल कितना स्टाक जमा था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1974–75 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन 49 लाख टन था। वर्ष 1975–76 में लगभग 57 टन लाख उत्पादन होने का अनुमान है। फिर भी इस वर्ष इस्पात की खपत में कुछ कमी हुई आई है।

(ख) 31–12–75 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों (तथा उनके स्टाकयार्डों) में विक्रेय इस्पात का स्टाक लगभग 6.5 लाख टन था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्पष्ट नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या औद्योगिक वातावरण में मंदी का हाल के महीनों में इस्पात उत्पादन अथवा तैयार इस्पात की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुझे आंकड़े नहीं चाहियें।

उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि खपत में कुछ कमी आई है। क्या यह मंदी के कारण हुआ है अथवा इस्पात मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय में कोई समन्वय न होने के कारण हुआ है तथा औद्योगिक एककों की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में 1973 से अब तक पुनरावलोकन नहीं किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है और यदि नहीं तो क्या मंत्रालय पुनरावलोकन करने के लिये तैयार है। अधिकांश औद्योगिक एककों ने कर्मचारियों से कहना आरम्भ कर दिया है कि कच्चा माल नहीं है। माल डिब्बों उद्योगों का भी कहना है कि कुछ विशेष इस्पात के उपलब्ध न होने के कारण माल डिब्बों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा समेकित पुनरावलोकन किया गया है अथवा नहीं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न यह था कि क्या मंदी का इस्पात के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। इस का उत्तर नहीं में है, क्यों कि गतवर्ष इस्पात का उत्पादन लगभग 49 लाख मीटरी टन था और इस वर्ष 57 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। अतः इस्पात के उत्पादन में लगभग 8 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है। इस लिये यह सच नहीं है कि इस्पात के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही है कि इस्पात की कमी है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। इस्पात की कमी नहीं है। वस्तुतः हमारी समस्या इस्पात का विक्रय करने की है और इस के लिये प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस उद्देश्य के लिये नियमों में भी कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। अब उत्पादक सामग्री सीधी उपभोक्ता को दे रहे हैं। उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध थे। उन्हें भी हटा दिया गया है। हम ने कुछ सम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त किये हैं, जो उपभोक्ताओं से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार माल दिया जा सके। इस लिये इस समय इस्पात की कोई कमी नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या चालू वर्ष अर्थात् 1975–76 में पर्याप्त मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया है। निर्यात का कारण क्या यह है कि वर्ष 1973–74 की तुलना में वर्ष 1974–75 में औद्योगिक एककों में इस्पात की मांग में कमी आई है अथवा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्रित धातु

संयंत्र ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है और यदि हां, तो क्या इन एककों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'हां' में है। हम इस्पात का निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इस्पात फालतू है। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि हमें अब तक 8,4681 मीटरी टन के निर्यात के लिये, जिसका मूल्य 161.44 करोड़ रुपये है, क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं, जब कि गत वर्ष 5 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात निर्यात किया गया था। इसलिये जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, संतोषजनक प्रगति हुई है। हम विश्व के विभिन्न भागों में लगभग 15 देशों को इस्पात का निर्यात कर रहे हैं। यह बात भी है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण आन्तरिक मांग घटी है। अब इस बारे में भी कुछ प्रयास किये जा रहे हैं तथा हम आशा करते हैं कि आन्तरिक मांग में भी वृद्धि होगी। कुछ प्रतिबन्धों को दूर करने के लिये उपाय किये गये हैं। अब स्थिति सुधर रही है और आन्तरिक मांग भी बढ़ जायेगी। जहां तक दुर्गापुर का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने काफी प्रगति की है। वर्ष 1974–75 में दुर्गापुर में 5,20,000 मीटरी टन इस्पात का उत्पादन हुआ था तथा इस वर्ष लगभग 7 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने की संभावना है। यह गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 34.6 प्रतिशत अधिक होगा। मिश्रित इस्पात संयंत्र में भी पहली बार लाभ हुआ है और इसे देखते हुए हम ने 'मीकोन' से ए० एस० पी० की डी० पी० आर० तैयार करने को कहा है तथा 'मीकोन' से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम विस्तार के बारे में विचार करेंगे।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस वर्ष इस्पात के उत्पादन में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अन्य देशों में इस्पात के निर्यात की संभावना का पता लगाया है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जहां से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, शायद माननीय सदस्य देशों के नाम जानने के इच्छुक हैं। देशों के नाम मुख्य रूप से ये हैं--श्रीलंका, बंगलादेश, ईरान, खाड़ी के देश, युगोस्लाविया, मिस्र, कीन्या, इन्दोनेशिया और कोरिया। मुझे यह बताते उत्साहजनक महसूस हो रही है कि हाल में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के होते हुए मिस्र में 40,000 पटरियों की सप्लाई के लिये हमारा टेंडर स्वीकार किया है। हमें आशा है कि ऐसा ही एक और टेंडर स्वीकार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्तमान एककों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। परन्तु मंत्री महोदय के कथनानुसार वास्तविक समस्या उत्पादित इस्पात के विक्रय की है। अधिक जोर निर्यात पर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह देश के दक्षिणी भाग में फैली हुई इस भ्रांति को दूर करेंगे कि विशाखापत्तनम और होस्पेट में नये प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के निर्माण में बिलम्ब किया जायेगा ? यह भ्रांति फैली हुई है कि इन संयंत्रों का निर्माण नहीं किया जायेगा, क्योंकि इतने उत्पादन की आवश्यकता नहीं है अथवा उसे आसानी से बेचा नहीं जा सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं देश की प्रगति तथा विकास के प्रति निराश नहीं हूं । मैं महसूस करता हूं कि इस्पात एक मूल उद्योग है और देश को इस दिशा में अवश्य प्रगति करनी चाहिये क्योंकि हमारी विकास की दर बहुत धीमी है और हमें इसको बढ़ाना है । इसलिये हम दीर्घकालीन 25 वर्षीय आयोजन कर रहे हैं तथा माननीय सदस्य ने जिस भ्रांति का उल्लेख किया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसमें कोई सार नहीं है । हमने भविष्य की मांग को देखते हुये दक्षिण के दो संयंत्रों की डी० पी० आर० स्वीकार कर ली है । जहां तक संसाधन उपलब्ध होंगे, कार्य निर्धारित समय के अनुसार किया जायेगा ।

स्मारक डाक टिकट

***312. श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्मानार्थ तथा देश और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में विशेष और स्मारक डाक टिकट निकालने का काम वर्ष 1976 में जारी रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976 के दौरान जारी किये जाने वाले विशेष/स्मारक डाक टिकटों का प्रस्तावित कार्यक्रम सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1976 के दौरान जारी किये जाने वाले विशेष/स्मारक डाक टिकटों का प्रस्तावित कार्यक्रम

डाक टिकटों के ब्यौरे	तारीख	डाक-टिकटों की संख्या	मूल्य वर्ग पैसों में	कैफियत
1. ललित नारायण मिश्र .	3–1–76	1	25	
2. जिम कॉर्बेट . .	24–1–76	1	25	
3. परमवीर चक्र का प्रचलन	तय होनी है।	1	25	
4. घना पक्षी शरण स्थल .	10–2–76	1	25	
5. 16वीं लाइट कैवेलरी (द्वि-शताब्दी) .	4–3–76	1	25	
6. अलेक्जेण्डर ग्राहम बेल .	10–3–76	1	25	

7. मुत्तुस्वामी दीक्षितार (द्विशताब्दी) .	8–3–76	1	25
8. भारत के रेल इंजन .	2–4–76	4	25,50,100,200.
9. विश्व स्वास्थ्य दिवस .	7–4–76	1	25
10. उद्योग धंधे . .	30–4–76	1	25
11. भारत के आदिवासी .	2–5–76	4	25,50,100,200
12. खनिक दिवस .	28–5–76	1	25
13. अमरीका का स्वतन्त्रता दिवस . .	19–5–76	1	25
14. परिवार नियोजन .	–6–76	1	25
15. के० कामराज .	15–7–76	1	25
16. सुभद्राकुमारी चौहान	6–8–76	1	25
17. शरत्चन्द्र चटर्जी .	5–9–76	1	25
18. भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र (126वीं वर्षगांठ)	–9–76	1	25
19. महिला विश्वविद्यालय	–76	1	25
20. वन्य जीवन माला .	1–10–76	4	25,50,100,200
21. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला	15–10–76	1	25
22. महाराजा उग्रसेन .	–10–76	1	25
23. बाल साहित्य .	14–11–76	1	25
24. हीरालाल शास्त्री .	24–11–76	1	25
25. हरिसिंह गौड़ .	26–11–76	1	25
26. भारतीय पुष्प . .	2–12–76	4	25,50,100,200
27. नारियल उद्योग पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी .	28–12–76	1	25

39

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं मंत्री महोदय को प्रति वर्ष अधिकाधिक संख्या में सुन्दर एवं आकर्षक डाक टिकटें जारी करने के लिये बधाई देता हूं। विवरण में दिखाई गई 27 टिकटों में से 6 के मामले में तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है। विवरण में चार विशेष टिकटों—भारत के रेल इंजन, भारत के आदिवासी, वन्य जीवन माला तथा भारतीय पुष्प की संख्या दी गई है। यह बहुत अच्छी बात है। गत वर्ष भारत में नृत्यों सम्बन्धी जारी की गई टिकटों की देश भर

में सराहना की गई थी। विवरण से पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों के 12 महापुरुषों के नाम से टिकटें जारी की जानी हैं। क्या सरकार को पता है कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों को, जिन्होंने हाल के वर्षों में, विशेषतया स्वतन्त्रता के बाद महान कार्य किये हैं, सम्मानार्थ टिकटें जारी करने के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : गत वर्ष जारी की गई डाक टिकटों के सम्बन्ध में श्री मावलंकर द्वारा व्यक्त किये गये उनके विचारों के लिये मैं उनका आभारी हूं। जहां तक सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का सम्बन्ध है, हमें दो बातों पर ध्यान रखना पड़ता है—एक नासिक प्रेस की मुद्रण क्षमता तथा डाक टिकटों सम्बन्धी दृष्टिकोण से टिकट का महत्व। हम से एक विशेष संख्या से अधिक टिकटें जारी करने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिये जब सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक हो और जारी की जा सकने वाली डाक टिकटों की संख्या कम हो, तो हमें डाक टिकट परामर्शदात्री समिति की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है तथा हमें कार्यक्रम को चरणबद्ध करना पड़ता है। यह प्रयास किया जाता है कि जिन की स्मृति में इस वर्ष टिकट जारी न की जा सके, उनकी स्मृति में अगले वर्ष अथवा उससे अगले वर्ष टिकट जारी की जाये। एक सामान्य सिद्धान्त यह अपनाया गया है कि महापुरुषों की याद में टिकटें उनके निधन दिवस की वर्षगांठ अथवा दसवीं वर्षगांठ अथवा निधन अथवा जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी की जायें और इस सिद्धान्त का पालन किया जाता है। हमने कुछ बातों के बारे में निर्णय किये हुये हैं, ताकि विभिन्न व्यक्तियों की याद में विभिन्न वर्षों में टिकटें जारी की जा सकें।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि टिकट जारी करने के लिये विभिन्न घटनाओं तथा व्यक्तियों का चयन कौन करते हैं तथा चयन करने के मुख्य मानदण्ड क्या हैं ? मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि डाक टिकट सम्बन्धी महत्व पर काफी ध्यान दिया जाता है। क्या टिकटें विश्व भर के टिकट सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रख कर जारी की जाती हैं और चूंकि भारतीय टिकटों की विश्व में मांग बढ़ रही है, क्या इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : जी हां, टिकटें जारी करते समय हम विश्व बाजार को भी ध्यान में रखते हैं। इससे अधिक विश्व की घटना तथा व्यक्ति विशेष के महत्व पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने गत वर्ष कुछ टिकटें जारी की थीं। उनमें एक माइचलंगोलो थी, जिसमें एक गिरजाघर की चित्रकारी का चित्रण किया गया है। इस वर्ष भी हमने अमरीका के स्वतन्त्रता दिवस पर टिकटें जारी की हैं। हम ग्राहाम बैल पर भी टिकटें जारी कर रहे हैं। इसलिये विश्व की घटनायें, राष्ट्रीय घटनायें तथा राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध व्यक्तियों, को ध्यान में रखा जाता है। एक डाक टिकट मंत्रणा समिति है, जिसमें लोक सभा तथा राज्य सभा और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। सामान्यतया यह निर्णय करती है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : हाल में भारतीय डाक टिकटों की संसार भर में सराहना की गई है। हमारी कुछ डाक टिकटों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। क्या हम अन्य देशों के लिये भी डाक टिकटों का मुद्रण करते हैं और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : जी नहीं, हम अन्य देशों के लिये टिकटों का मुद्रण नहीं कर रहे हैं। मैं ने वित्त मंत्री के साथ बातचीत की थी, जो कि मुद्रण के प्रभारी हैं, क्योंकि टिकटों का मुद्रण सिक्योरिटी मुद्रणालयों में होता है और उन्होंने कहा है कि यदि अन्य देशों ने अनुरोध किया, तो हम उस पर विचार करेंगे। अब तक हमने किसी अन्य देश के लिये टिकटों का मुद्रण नहीं किया है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे मुद्रण में हाल के वर्षों में ही सुधार हुआ है।

मलंज खण्ड तांबा परियोजना की प्रगति

*313. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सोवियत क़रार के अधीन मध्य प्रदेश में मलंज खण्ड तांबा परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) यह परियोजना कितनी अवधि में पूरी होगी, इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और इसमें अनुमानतः कुल कितना उत्पादन होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा स्थापित सम्बन्धित रूसी एजेन्सी ने जनवरी, 1975 में केवल खनन के बारे में ही व्यापक परियोजना रिपोर्ट पेश की थी और उसने प्रस्तावित सान्द्रक संयंत्र सहित समूचे मालंज खण्ड काम्प्लैक्स के बारे में हाल ही में इसी महीने व्यापक परियोजना रिपोर्ट भी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को प्रस्तुत कर दी है ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खनन सम्बन्धी व्यापक परियोजना रिपोर्ट जांच के बाद सरकार को प्रस्तुत कर दी है । हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड अब समूचे कम्पलैक्स के बारे में व्यापद परियोजना रिपोर्ट की जांच करेगा ।

(ख) रूसी परामर्शदाताओं द्वारा इन दो व्यापक परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने के कार्य में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने सक्रिय भाग लिया है ।

(ग) परामर्शदाताओं के अन्तिम अनुमान के अनुसार, जिसकी जांच की जा रही है, समूचे कम्पलैक्स की लागत 95.85 करोड़ रुपये होगी । परामर्शदाताओं ने खान निर्माण कार्य की वास्तविक शुरुआत की तारीख से एक समय सूची तैयार की है जिसके अनुसार अयस्क का उत्पादन चौथे वर्ष से 10 लाख टन की वार्षिक दर से होने लगेगा और छठे वर्ष में बढ़ कर 20 लाख टन हो जायेगा ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : सोवियत एजेन्सी का नाम क्या है और क्या कोई भारतीय डिजाइनर भी इस परियोजना में लगा हुआ है ? हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड परियोजना के किस भाग का काम पूरा करेगा और उसकी लागत क्या होगी ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इसका नाम है ट्स्वेटमेंट प्रोम एक्सपोर्ट । यह सोवियत एजेन्सी है और मेकोन इसके साथ सहभोपित है । लागत मुख्य उत्तर में बनाई गई है । नवीनतम अनुमानों के अनुसार, लागत 95.85 करोड़ रुपये होगी । हमने इस परियोजना के बारे में

21-खण्ड का प्रतिवेदन पिछले सप्ताह प्राप्त किया है। मेकोन और फिर हिन्दुस्तान कॉपर इसका अध्ययन करेंगे और बाद में यह सरकार के पास भेजी जायेगी। समुचित अध्ययन के बाद कार्यवाही की जायेगी। हम इस वर्ष के बजट में भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि खनन सम्बन्धी प्रतिवेदन पहले प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद काम शुरु होगा।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : हिन्दुस्तान कॉपर भी इस परियोजना में कुछ निर्माण कार्य कर रहा है। इस निर्माण कार्य की लागत क्या होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : बहुत सी एजेंसियां इकट्ठा काम करेंगी। अभी हम प्रत्येक के अलग-अलग आंकड़े नहीं बता सकते।

पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण केन्द्र

*315. **श्री टुना उरांव :**
श्री शंकरनारायण सिंह देव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 17 जिलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि श्रमिकों के लिये सामान्य श्रम कल्याण केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) जी हां,।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है।

विवरण

1975–76 के दौरान, निम्नलिखित 4 श्रम कल्याण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें शीघ्र ही कार्य चालू होने वाला है :—

(1) चामाडांगां (जिला हुगली)
(2) झारग्राम (जिला मिदनापुर)
(3) बुड-बुड (जिला बर्दवान)
(4) कालीगंज (जिला पश्चिम दीनाजपुर)

1976–77 के दौरान 6 श्रम कल्याण केन्द्र और 1977–78 के दौरान 7 श्रम कल्याण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्र, कृषि-श्रमिकों और इनके परिवारों के लिए भीतरी और बाहरी खेलों, रेडियो, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, पुस्तकालय, सामूहिक गोष्ठियों, सामयिक चलचित्र प्रदर्शनों, संगीत आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

2921(ai) LS—2

Shri Tuna Oraon : May I know when these four Labour Welfare Centres which have been sanctioned will be opened and the district-wise locations of 6 Centres and 7 Centres proposed to be opened in 1976-77 and 1977-78 respectively ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 1975-76 में चार श्रम कल्याण केन्द्र, जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, हुगली, मिदनापुर, बुर्दवान और पश्चिम दिनाजपुर जिले में खोले जायेंगे। 1976-77 में 6 और 1977-78 में 7 केन्द्र खोले जायेंगे। ये कहां-कहां खोले जायेंगे, इसका फैसला राज्य सरकार से परामर्श करके किया जायेगा।

Shri Tuna Oraon : May I know the number of such centres proposed to be opened during the Fifth Plan ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्य केन्द्रों की कुल संख्या जानना चाहते हैं तो वह इसके लिये नोटिस दें। मैं यह जानकारी एकत्र करके उन्हें दे सकता हूं।

श्री के० मायातेवर : क्या ऐसे केन्द्र तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में है।

श्री के० मायातेवर : किन्तु यह राष्ट्रीय समस्या है, केवल पश्चिम बंगाल की ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात को फिर कभी उठा सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने बताया है कि ये कल्याण केन्द्र कृषि श्रमिकों के लिये मनोरंजन केन्द्रों की तरह होंगे। उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। इन्हें न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री के० रघुनाथ रेड्डी : यह राज्य सरकार का मामला है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये एक फैसले के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन करने के लिये कहा गया है और इसके लिये सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के चारों ओर के गाँवों का विकास

*316. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के चारों ओर के गांवों का विकास करने के लिए उक्त संयंत्रों का कुछ उपाय करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). 30 जुलाई, 1975 को इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वार्ता समिति द्वारा किये गये समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था की गई

थी कि इस बात को देखते हुए कि कम्पनियों के सभी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की सुविधा की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ है और बहुत से ऐसे कर्मचारी इस्पात कारखानों की आसपास की बस्तियों और इलाकों में रहते हैं कम्पनी के क्षेत्र में जहां भी ऐसे इलाके हैं वहां सड़कों, बिजली, पीने के पानी, सफाई तथा सरकारी दूरभाष केन्द्रों आदि जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश की जाएगी और प्रतिवर्ष इस कार्य के लिए अलग से कुछ धनराशि अलग रखी जाएगी। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने भी प्रायोगिक आधार पर आसपास के कुछ गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं बशर्ते कि धन तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

Shri K. M. Madhukar : May I know whether any comprehensive scheme has been drawn up for the development of the areas around Bhilai, Rourkela, Bokaro and Durgapur Steel Plants and the estimated cost involved therein ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav) : Most of the employees in our Public Sector Steel Plants live in neighbouring villages. If road, water, education and medical facilities are not available in those bustees, necessary development of these bustees will be taken in hand to avoid inconvenience to these employees. If these Steel Plants can spare some funds for the development of these villages they should do it. But it does not mean that these Steel Plants should be made responsible for the development of these villages. Mainly it is not our job. But in view of our social responsibility if something can be done to improve the conditions of these villages, it should be done. In view of this, a scheme of about Rs. 47,80,000 for the development of the villages around Rourkela Plant has been sanctioned. It has been agreed that the Plant would provide Rs. 10 lakhs immediately for the purpose and thereafter we will try to get the cooperaton of the State Government and the local administration for implementing this scheme. We will do whatever we can for these employees but it should not be construed that we have taken upon ourselves the responsibility for the development of these areas.

Shri K. M. Madhukar : In view of the fact that the Steel Ministry has agreed to undertake development of the nearby villages, may I know whether under this development scheme it is also proposed to develop some small scale industries therein ?

Shri Chandrajit Yadav: It is not the responsibility of the Steel Plants to develop small-scale industries in those villages. However, if some one sets up any such industry, necessary cooperation from our side would be readily available to him.

Shri Bhan Singh Bhaura : May I know whether the employees of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be given any preference in housing facilities because people do not let out their houses to them ?

Shri Chandrajit Yadav : We have framed certain rules regarding house allotment in consultation with trade union leaders. We consult them in regard to our plans. We have given directives to provide necessary facilities to employees of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and to other weaker sections. But difficulty arises when employees senior to them are not provided with these facilities. But still we generally keep these things in view.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को श्रमिकों पर लागू करना

*317. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभ उठाने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को असंगठित श्रमिक वर्गों जैसे कृषि श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों और निर्माण-कार्य करने वाले श्रमिकों पर भी लागू करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

कृषि फार्मों में कर्मशालाओं में नियोजित कृषि श्रमिक और ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों, जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 पहले ही लागू होता है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां इस अधिनियम के लाभ सम्बन्धी उपबन्ध लागू हैं, के काम के सम्बन्ध में नियोजित श्रमिक पहले ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। इसके अलावा, इस प्रकार के बीड़ी श्रमिक, जो बिजली का इस्तेमाल न करने वाले ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों और ऐसी दुकानों में नियोजित हैं, जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां इस अधिनियम के लाभ सम्बन्धी उपबन्ध लागू हैं, भी, जब कभी राज्य सरकारें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रतिष्ठानों के इन वर्गों पर लागू करें इस योजना के अन्तर्गत लाए जा सकेंगे। रोजगार के असंगठित और अर्धसंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर, जिन में कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक आदि शामिल हैं, इस योजना का विस्तरण इस समय व्यवहार्य नहीं समझा जाता क्योंकि इस प्रकार के श्रमिकों के लिए चिकित्सीय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में गम्भीर कठिनाइयां पेश आएंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस योजना को संगठित क्षेत्र के 50 प्रतिशत मजदूरों पर लागू नहीं किया गया है और यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना में यह योजना इन लोगों पर लागू कर दी जायेगी। और यदि हां, तो कितने मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा और क्या निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी इसके अन्तर्गत आ पायेंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का समय-समय पर विस्तार, सगठन और जिन औद्योगिक संगठनों पर इसे लागू करना है, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। अधिनियम में संशोधन करके इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 पये किये जाने के बाद केवल इसी क्षेत्र में अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 5.1 लाख है और अभी तक यह योजना कुल 56 लाख लोगों पर लागू की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 6 लाख मजदूर और इस योजना के अन्तर्गत आ गये हैं। और मजदूरों के परिवारों के सदस्यों समेत भारत में इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की कुल संख्या 2.2 करोड है। यह योजना तीन केन्द्रीय उद्योगों, 15

राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और पाण्डिचेरी में लागू है। हम अधिकाधिक लोगों पर इस योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और यह किश्तों में किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : : क्या उन्हें बताया गया है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के कारखानों के जैसे एच० ए० एल०, कानपुर इस आधार पर इस योजना से छूट की मांग की है कि उनकी अपनी चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है और क्या उन्हें यह छूट दे दी जायेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह बात हर मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखकर तय की जायगी। इसके लिये कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं हो सकता। कुछेक मामलों में चिकित्सा सुविधायें बेहत्तर हो सकती हैं लेकिन इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधायें ही नहीं बल्कि बीमारी की हालत में दी जाने वाली सुविधायें भी आती हैं और मृत्यु होने पर परिवार पर भी यह योजना लागू होती है। अतः सरकारी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत ये सभी सुविधाएं दे सकता है। अन्यथा यदि इस मामले पर सन्तुलित विचार किया जाए तो मजदूरों के लाभ के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिक लाभकारी योजना शुरू करने पर ऐसे मामलों पर गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

Shri R. N. Sharma : The question was as to how more and more people can be covered under the scheme. Is the Government aware that the people already covered under E.S.I. scheme are suffering because there are no doctors, and no medical assitants in the dispensaries ? Medicines are also not available. May I know whether Government will look into the matter before extending the scheme and take appropriate action after enquiry ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस समय विभिन्न औद्योगिक संगठनों के 56 लाख लोगों पर यह योजना लागू की गई है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का सम्बन्ध है, डाक्टरों की नियुक्ति और हस्पतालों को चलाने का काम राज्य सरकार का है। हमने उन पर जोर डाला है और वे इस मामले में रुचि ले रहे हैं और मुझे आशा है कि पर्याप्त प्रगति होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न श्री शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का एक भाग है। सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार कर रही है। मेरा प्रश्न केवल चिकित्सा सुविधाओं के बारे में ही नहीं नकद लाभ के बारे में भी है, जिसके लिए लगभग सभी स्थानों पर कार्मिकों को परेशान किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई योजना बनाई गई है ताकि बीमा किए गए व्यक्तियों को सही समय पर बिना परेशानी के नकद लाभ मिल सके।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। यदि उनके पास कोई विशिष्ट मामला है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में गंगा जल का दूषण

***318. श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गंगा जल के दूषण की प्रतिशतता प्रति वर्ष बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह दूषण स्वास्थ्य संकट बन गया है ;

(ग) दूषण की प्रतिशतता में इस तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कम से कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल जल दूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। वैसे, यह बात सर्व विदित है कि जल दूषण से निश्चय ही स्वास्थ्य को बड़ा खतरा पहुंचता है।

(घ) जल (दूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन 20 सितम्बर, 1974 से पश्चिम बंगाल में जल दूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिये एक राजकीय बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की नदियों के जल दूषण की रोकथाम करने के उपाय भी बरतने हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : जल दूषण एक गम्भीर समस्या है। मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अखबारों में इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। इस पृष्ठभूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अथवा राज्य बोर्डों की स्थापना के उद्देश्य का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्यबोर्ड के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं अथवा सारा कार्य राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है ?

डा० कर्ण सिंह : अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है। केन्द्रीय बोर्ड का एक कर्त्तव्य यह भी है कि वह राज्य बोर्डों को यह सलाह दे कि वे किस प्रकार कार्य करें। इसके अतिरिक्त भारत में जल दूषण के बारे में वर्ष 1975 में विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञों से दो विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। अतः सरकार इस मामले पर तत्परता से कार्यवाही कर रही है तथा राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाए हुए है।

श्री नरेन्द्र कुमार साँधी : मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल के लिए विशेष रूप से किया गया है क्योंकि यहां जल दूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या सरकार सभी उद्योगों से जल दूषण रोकने वाले यन्त्रों का प्रयोग करने के लिए कहेगी ताकि जल दूषण को कम किया जा सके ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने एक गम्भीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया है और यह समस्या देश में बढ़ते हुए जल दूषण के बारे में है। गंगा नदी तथा उपनदियों के किनारे उद्योगों की स्थापना के कारण गंगा नदी का जल ऋषिकेश के बाद से दूषित होता जा रहा है। गंगा जल हजारों वर्षों से पवित्रता का प्रतीक रहा है परन्तु आज आधुनिक-औद्योगिक विकास के कारण जल दूषित होता जा रहा है। अतः सरकार इसके बारे में काफ़ी चिन्तित है। इसी उद्देश्य से संसद् ने अधिनियम पारित किया था। हम सारे देश के उद्योगों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे संयंत्र की स्थापना करते समय नवीनतम संदूषण रोकने वाले यन्त्रों का प्रयोग करें।

Shri Krishna Chandra Halder : I would like to know from the hon. Minister the efforts being made to check water pollution in the Ganga river? The hon. Minister has just now stated that the Ganga water for thousands of years has been a symbol of purity but modern industrial development is polluting it. In this context, I would like to know the reduced percentage of purity and what steps are being taken to improve the purity ?

Dr. Karan Singh : It is beyond doubt that water gets polluted in the areas where factories are on the bank of the river but after flowing for some time it becomes clear. But there are two

important points in this regard—first of all treatment of sewage is very essential. In big cities like Varanasi, Haridwar and Kanpur......

Mr. Speaker : the present question is about west Bengal, therefore you should give general reply.

Dr. Karan Singh : There are a number of factories in West Bengal. We are advising all industries everywhere in the Country that they should include the latest anti-pollution technology in new plants and also install anti-pollution instruments in the factories which have already been set up so as to reduce water pollution.

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने आम बात की है। हमें भली भांति यह पता है कि सरकार को इस समस्या की आम जानकारी है। लेकिन तथ्य यह है कि कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में गंगा जल के दूषण के प्रश्न पर विचार करने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति विशेषज्ञ समिति ने इस माह के पूर्व में अपनी राय व्यक्त की थी कि नगरपालिकाओं की जल सप्लाई एजेन्सियों द्वारा जल को पीने योग्य बनाने के बावजूद भी कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में गंगा का पानी पूरी तरह दूषित हो जाएगा तथा पीने योग्य नहीं रहेगा। क्या सरकार का ध्यान इस प्रतिवेदन की ओर गया है और क्या केन्द्रीय बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के लिए यह सम्भव है कि वह कुछ उपाय करे अथवा सही प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात लाए ताकि उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गत वर्ष प्रकाशित दो विशेष प्रतिवेदन मेरे पास है। मुझे इस बात की जानकारी है कि "सी० एम० डी० ए०" इस समस्या पर सर्वेक्षण कर रहा है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भी पहली जिम्मेदारी राज्य बोर्ड की है। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जल दूषण न हो पाए। सरकार अथवा केन्द्रीय बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। वस्तुत: यह एक सामूहिक प्रयास है। दो दिन पूर्व मेरे पास एक फ़ाईल आई थी और मैंने अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान के निदेशक डाक्टर बेनर्जी को पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर भेजा है। मैं स्वयं यह स्वीकार करता हूं कि केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों के कार्यकरण में सुधार की गुंजाईश है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

Shri D. N. Tiwari : A number of Committees were set up from time to time to deal with the problem of water pollution and they have submitted their reports also. If Ganga water in Allahabad is polluted, it affects Bihar. Similarly if pollution takes place in Bihar, it will affect Bengal. An enquiry was conducted into the Ganga water pollution in Barauni and report was also received by the Government. I would like to know what steps were taken to check water Pollution ?

Dr. Karan Singh : The question is about West Bengal. It is not possible for me to give off hand information in regard to Barauni. But I want to submit that the Bihar Government was to set up a Board within six months of the enactment of the Act but unfortunately it has not been set up so far. It was provided in the Act that Board will be set up within six months and the time has lapsed and unfortunately now we have to Change the Act.

गोरखपुर में सूक्ष्मतरंग केन्द्र

*319. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर में सूक्ष्मतरंग केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) गोरखपुर माइक्रोवेव स्टेशन कलकत्ता-लखनऊ चौड़ी पट्टी माइक्रोवेव लिंक के लखनऊ-गोरखपुर-पटना सेक्शन पर एक ड्रापिंग स्टेशन होगा। स्थापना का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और इस सेक्शन के वर्ष 1976 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

Shri Narsingh Narain Pandey : I would like to know when the installation work of microwave station was started and the date by which it will be completed and stations will start working ?

Dr. Shanker Dayal Sharma : The work was started four years ago and I hope that work on this section will be completed by December, 1976.

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये डाकघरों का खोला जाना

*320. **श्री टुना उरांव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार कितने डाकघर खोले गये ; और

(ख) जनसंख्या तथा क्षेत्र की दृष्टि से ये आंकड़े अन्य क्षेत्रों के आंकड़ों से कम हैं या अधिक हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

पश्चिम बंगाल	42
बिहार	11
उड़ीसा	106
असाम	4
मिज़ोरम	3
अरुणाचल मणिपुर मेघालय नागालैंड त्रिपुरा	अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं। आर्थिक तंगी के कारण 1975 के दौरान कोई भी डाकघर नहीं खोला जा सका।

(ख) पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में औसतन 5553 व्यक्तियों और 23.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये एक डाकघर है, जब कि इनका अखिल भारतीय औसत है--4662 व्यक्तियों और 27.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक डाकघर।

Shri K. M. Madhukar : Eastern and Northren region of our country are very backward in regard to communication. We are aware that there is blanket ban on the opening of new post offices these days. He has stated that there is one post office after five thousand people, but it is not a fact. I would like to know how long the blanket ban will remain in force ?

Dr. Shankar Dayal Sharma : Firstly, there is no blanket ban these days. I have already stated in the House that the ban has been lifted . But there are certain rules which we have to follow while opening new post offices. While opening new post office in backward area, we see that the income must be 25 per cent of the total expenditure incurred on setting up

of new post office. Similarly, in regard to setting up of new post office in hilly area, we see that the income must be 25 per cent of the total expenditure. It is not possible to ignore profit element while opening new post office because as the House is aware the postal services are running in loss.

Shri K. M. Madhukar : Work is not being done. Backwardness is not being removed.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि गत वर्ष खोले गए कुल डाकघरों में से आसाम में केवल 4 डाकघर खोले गए। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह संख्या अपर्याप्त है। आसाम में अधिक डाकघर खोलने की आवश्यकता है क्योंकि आसाम में ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं, यहां संचार व्यवस्था नहीं हैं और न ही डाक सुविधाएं हैं। हमने डाक संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कई बार अनुरोध किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे अन्य क्षेत्रों और इस क्षेत्र के बीच समानता लाने के लिए नए डाकघर खोलने के कार्य में शीघ्रता लाने का प्रयास करेंगे ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : जी, हां। हम नए डाकघर खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 31 मार्च तक हम 100 डाकघर खोलेंगे जिनमें से 25 पूर्वी क्षेत्र में खोले जाएंगे।

कलकत्ता बन्दरगाह पर गम्भीर दुर्घटनाएं

*322. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी बन्दरगाहों में से कलकत्ता बन्दरगाह पर गम्भीर दुर्घटनायें अधिक होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के लिए कलकत्ता पत्तन में दुर्घटनाओं के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	दुर्घटनाओं की किस्म		दुर्घटनाओं की कुल संख्या
	घातक	जो घातक नहीं	
1971	1	1363	1364
1972	3	1426	1429
1973	3	1041	1044
1974	7	955	962
1975	10	830	840

परन्तु घातक दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्मिक एवं उपस्कर अन्तर्ग्रस्त हैं, निम्न प्रकार हैं :--

1973	.	2
1974	.	2
1975	.	3

2. यद्यपि अन्य पत्तनों की अपेक्षा कलकत्ता पत्तन में दुर्घटनाओं की कुल संख्या अधिक है फ़िर भी प्रति श्रम वर्ष दुर्घटनाओं की औसत दर अन्य भारतीय पत्तनों में सबसे अधिक नहीं है। विवरण से यह देखा जा सकता है कि कलकत्ता पत्तन में दुर्घटनाओं की कुल संख्या में काफ़ी और निरन्तर कमी होती रही है।

3. कलकत्ता पत्तन में दुर्घटनाओं की अधिकाधिक संख्या अन्य पत्तनों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य लक्ष्यों के कारण हैं :--

(1) इस पत्तन पर कर्मचारियो की संख्या सब पत्तनों से अधिक है। मानवीय गलती के कारण दुर्घटनाओं की संख्या अतः अधिक हो सकती है।

(2) इस पत्तन पर माल अलग-अलग प्रकार का है।

(3) कर्मचारियों को बहुत से नदी घाटों और नदी जेटियों पर काम करना पड़ता है, जहां काम करने के हालात गोदी के अन्दर की अपेक्षा बहुत कठिन है।

(4) कर्मचारियों को नदी निकर्षण और सर्वेक्षण और कनहारी के लिए 126 मील लम्बी जलधारा (जहाज से कलकत्ता पत्तन तक) पर चलने वाले नदी यानों और जहाजों पर काम करना पड़ता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कलकत्ता पत्तन पर वर्ष 1971 में एक, 1972 तथा 1973 में तीन-तीन, वर्ष 1974 में सात तथा वर्ष 1975 में दस दुर्घटनाएं हुई। इन गम्भीर दुर्घटनाओं में वद्धि के क्या कारण हैं तथा क्या प्रत्येक दुर्घटना की जांच कराई गई थी और प्रभावित परिवार को सही मुआवजा दिया गया था ?

श्री एच० एन० त्रिवेदी : गम्भीर दुर्घटनाओं की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं को दो भागों में बांटना होगा। एक तो वे दुर्घटनाएं जो कलकत्ता पत्तन में हुई तथा दूसरी वे दुर्घटनाएं जिनमें कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हैं। मैंने पहले ही अपने उत्तर के पैराग्राफ़ 2 में बता दिया है कि जिन दुर्घटनाओं में कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्मिक अन्तर्ग्रस्त है उनकी संख्या वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 में क्रमशः एक, दो तथा तीन है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, प्रत्येक दुर्घटना की जांच की गई थी और प्रत्येक मामले में मुआवजा दिया गया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

इस्पात का उत्पादन

*307. श्री धामनकर: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के इस्पात का उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) गत दो वर्षों में इस्पात की घरेलू खपत कितनी रही है ;

(ग) इस वर्ष इस्पात की खरीद के लिए किन-किन देशों के कितने-कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के निर्यात आंकड़ों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :(क) अनुमान है कि वर्ष 1975–76 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 57 लाख टन होगा जिसका मूल्य लगभग 1026 करोड़ रुपये होगा।

(ख) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में साधारण इस्पात की आन्तरिक खपत का क्रमशः 56 लाख टन और 61 लाख टन का अनुमान है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1975 तक 161.44 करोड़ रुपये के मूल्य के 846636 टन इस्पात के निर्यात के लिए आर्डर बुक किये गये हैं। निर्यात आर्डर कई देशों से बुक किये गये हैं जिनमें श्रीलंका, बंगलादेश, ईरान, खाड़ी के देश, युगास्लाविया, मिश्र, केनिया, इण्डोनेशिया और कोरिया के देश भी शामिल हैं।

(घ) वर्ष 1973–74 में 36652 टन इस्पात सामग्री का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 4.62 करोड़ रुपये था। वर्ष 1974–75 में 52135 टन इस्पात का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 10.92 करोड़ रुपये था।

Water Transport Between Patna And Ghazipur

***308. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) Whether the water transport operating on the Ganga river between Patna and Ghazipur (U.P.) has been made a permanent feature; and

(b) if not, the reasons therefor ?

Minister Of Shipping And Transport (Dr. G. S. Dhillon) : (a) No, Sir.

(b) This service is being run on an experimental-cum-promotional basis since 1971. The traffic offerings on this service have not picked up despite the best efforts of the Directorate of Inland Water Transport and it continues to incur losses. Its operations are being further diversified.

दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच माइक्रोवेव संचार प्रणाली

*309. **श्री ए० के० किस्कू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : कलकत्ता-दिल्ली मार्ग के कलकत्ता-खड़गपुर-आसनसोल सेक्शन में माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना का काम पूरा हो गया है। आसनसोल-पटना-गोरखपुर-लखनऊ सेक्शन में स्थापना का काफ़ी कुछ काम पूरा हो चुका है। करीब छह माह में यह सेक्शन उत्तरोत्तर से चालू हो जाएगा। दिल्ली-लखनऊ सेक्शन के लिए साज-सामान प्राप्त हो रहा हैं। सिविल-कार्य भी प्रगति पर हैं।

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार उद्योग

*314. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में और अधिक दूरसंचार उद्योग स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में दूरसंचार का कारखाना लगाने के लिए, जमीन और अन्य आधारभूत सुविधाएं सुलभ करने का प्रस्ताव रखा था।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए जाने वाले इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ के कारखानों के लिए स्थान चुनने का प्रश्न, विचाराधीन है।

एशियाई दूर-संचार प्रणाली

*321. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई दूर-संचार तंत्र प्रणाली के अन्तर्गत अन्तर्राज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए ढाका में हाल में चार दक्षिण एशियाई देशों के विशेषज्ञों की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) ई० एस० सी० ए० पी० / आई० टी० यू० के तत्वावधान में श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश और भारत के राष्ट्रीय समन्वयकों (कोऑर्डिनेटर्स) की एक बैठक 5 से 9 जनवरी, 1976 तक ढाका में हुई थी। इस बैठक में निम्नलिखित क्षेत्रीय लिंकों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई :

(i) भारत-नेपाल चौड़ी पट्टी का माइक्रोवेव लिंक

(ii) भारत-बंगलादेश चौड़ी पट्टी का माइक्रोवेव लिंक

(iii) भारत-श्रीलंका चौड़ी पट्टी का माइक्रोवेव लिंक

(iv) नेपाल-बंगलादेश अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लिंक।

ऐसी आशा है कि ये लिंक वर्ष 1978 के शुरू में पूरे हो जाएंगे। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अन्तरिम अवधि में नीचे लिखे मार्गों पर आपरेटर ट्रंक डायलिंग सेवा चालू कर दी जाय :

(1) कलकत्ता-ढाका

(2) कलकत्ता-काठमांडू

(3) काठमांडू-दिल्ली और

(4) मद्रास-कोलम्बो।

बालासौर तथा खड़गपुर को मिलाने वाला पुल

*323. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासौर (उड़ीसा) तथा खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) को मिलाने वाले सुवर्ण रेखा नदी पर सड़क पुल के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या धन की कमी के कारण उक्त पुल के निर्माण-कार्य की गति धीमी रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) 1972–73 से 1974–75 तक 37.87 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई। इसके अतिरिक्त 1975–76 के दौरान देने के लिए 20 लाख रुपये की राशि अलग रखी गई है।

(ख) तथा (ग). यद्यपि राज्य सरकार पुल के लिए अधिक आवंटन के लिए कहती रही है उन्होंने यह नहीं बताया है कि धन की कमी के कारण कार्य की प्रगति रुक गई है। दूसरी तरफ़, सितम्बर, 1975 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि व्यापक मिट्टी जांच, वर्षा, परिवहन कठिनाई इत्यादि के कारण इस परियोजना की प्रगति रुक गई। चूंकि पुल राज्य सड़क पर पड़ता है इसलिए इन सभी समस्याओं को मुख्यतः राज्य सरकार को सुलझाना है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को घाटा

*324. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य तथा उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त निगम को भंग करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान कम्पनी की लगभग सभी शाखाओं में श्रम संकट ।

(2) पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों का न होना ।

(3) टायरों, ट्यूबों, फ़ालतू पुर्जों तथा ईंधन इत्यादि की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण परिचालन पर और अधिक व्यय ।

(ग) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की गिरती हुई वित्तीय स्थिति के कारण इसको बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

इस्पात पर छूट समाप्त करना

*325. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात पर 200 रुपये प्रति टन की छूट समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात के मूल्य पर विशेषकर इंजीनियरिंग कारखानों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :(क) इस विषय पर सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन

*326. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने शिमला समझौते के प्रावधानों का उपबन्ध तथा भावना की दृष्टि से किस सीमा तक उल्लंघन किया है ;

(ख) उक्त समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) अब तक किये जा चुके उल्लंघनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) पिछले महीनो में पाकिस्तान ने जो भारत विरोधी आंदोलन शुरू किया है, वह एक-दूसरे देश के प्रति विरोधी प्रचार पर रोक लगाने से सम्बद्ध शिमला करार की व्यवस्था का उल्लंघन है ।

(ख) और (ग) इस मामले को सरकारी तौर पर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है। भारत ने पाकिस्तान को हाल में भेजे एक पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के विरुद्ध नकारात्मक प्रचार से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति को धक्का पहुंचने की संभावना है।

Conference in Paris for Aid to Developing Countries

†1396. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether there was no consensus in Paris Conference in according priority to the problems of developing countries and providing economic aid to them by the developed countries;

(b) whether O.P.E.C. Group of developing countries also expressed their disagreement; and

(c) if so, the measures suggested by India in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (Shri Bipinpal Das) : (a), (b) & (c) : The Primary task before the Conference was to set up four Commissions dealing with different international economic issues. The ministerial representatives at the Conference surveyed the international economic situation and made suggestions as to how the problems which they had identified might be resolved. In these deliberations the problems of developing countries and the necessity of evolving concrete measures to solve them figured prominently. India urged the Conference to ensure that in any schemes which emerges for international economic cooperation, the interests of the developing countries, particularly the poorest, should be adequately safeguarded.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा के खनिज निक्षेपों का एकीकृत सर्वेक्षण

1397. **श्री पी० गंगादेव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण की वर्ष 1976 के दौरान उड़ीसा में सभी खनिज निक्षेपों का भूविज्ञान तथा भू-रसायन तरीकों से समेकित सर्वेक्षण आरम्भ करने की क्या योजनाएं हैं;

(ख) आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले खोज के तरीकों से उड़ीसा के खनिज निक्षेपों का कितना प्रतिशत बाहर नहीं निकाला गया है; और

(ग) उपरोक्त मामलों के संबंध में क्या मुख्य कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भूवैज्ञानिक मानचित्रण और समन्वेषी ड्रिलिंग के सामन्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम के अलावा, 1976 में सुन्दरगढ़, क्योंझर तथा सम्बलपुर जिलों में भू-रासायनिक और भूभौतिकीय क्षेत्रीय समेकित सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) खनिजों में खोज कार्यक्रम की विभिन्न किन्तु परस्पर निर्भर प्रावस्थाएं होती हैं, इसलिए बताए गए ढंग से समन्वेषण की विभिन्न विधियों में कौनसी अधिक सफल है, यह कहना संभव नहीं हैं।

(ग) खनिज समन्वेषण का कार्यक्रम एक लगातार चलने वाला कार्य है तथा अन्य राज्यों के समान उड़ीसा में खनिजों का पता लगाने का/खोज करने के प्रयासो को तेज किया जा रहा है।

उड़ीसा में डाक तथा दूर संचार सेवायें

1398. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में चुने हुए पिछड़े जिलों में डाक तथा दूर संचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ग) इन जिलों के लिए गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना धन आवंटित किया गया; और

(घ) मंत्रालय ने प्राथमिकता संचालन करने, योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में इन क्षेत्रों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) डाक और दूरसंचार सुविधाएं देने के लिए राज्यवार पारस्परिक प्राथमिकता नहीं दी गई है बल्कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी पिछड़े इलाकों में ये सुविधाएं देने के लिए नीति को उदार बना दिया गया है ।

(ख) डाकघर खोलने के 96 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है । दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है ।

(ग) पिछले वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने में अभी तक 22,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं । दूर संचार सुविधाओं के लिए निधि का जिलेवार बंटवारा नहीं किया जाता है ।

(घ) सर्किल कार्यालय को हिदायत दे दी गई है कि वह पिछड़े इलाकों पर लागू होने वाली विशेष रियायतों के अंतर्गत उन इलाकों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करे ।

आमतौर पर दूरसंचार सुविधाए तभी दी जाती हैं जबकि उनके प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से लाभकर और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों । तथापि पिछड़े इलाकों के मामले में मार्गदर्शक नीति के अनुसार लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक-तार घर उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकते हैं, जिनका प्रशासनिक या पर्यटन संबंधी महत्व हो, जहां कि आबादी 2500 हो आदि, चाहे उनकी अनुमानित आमदनी उनके वार्षिक आवर्ती खर्च की 15 प्रतिशत क्यों न हो । सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तार घर के प्रोजेक्टों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वियन में उपर्युक्त बातें ध्यान में रखी जाती हैं ।

जनरल मैनेजर, दूरसंचार अपने अधिकार क्षेत्र में इन कार्यों की योजना बनाने, उनकी मंजूरी देने और उनके कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार है । डाक-तार बोर्ड में आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और उनकी जांच की जाती है ।

विवरण

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में दूरसंचार सुविधाओं की प्रगति ।

(i) **सार्वजनकि टेलीफोन घर और संयुक्त डाक-तार घरः**

वर्ष	खोले गए सार्वजनिक टेलीफोनघरों और डाक-तार घरों की संख्या
1973-74	21
1974–75	15
1975–76 (31–12–75 तक)	9

(ii) **संयुक्त तारघर** :

वर्ष	खोले गए संयुक्त तारघरों की संख्या
1973-74	6
1974–75	16
1975–76 (31–12–75 तक)	8

(iii) **तारीख 31–12–75 को स्थिति इस प्रकार थी :**

टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	84
सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या	7013
कैरियर प्रणालियों की संख्या	43
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलिफोन घरों की संख्या	142
संयुक्त तारघरों की संख्या	341

(iv) **मंजूरशुदा नये स्ताव जिन्हें पूरा किया जाना है :**

टेलीफोन एक्सचेंज	1
कैरियर प्रणालियां	2
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	29
संयुक्त तार घर	6

जनसंख्या में वृद्धि

1399. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973, 1974 और 1975 के वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि की दर में बढ़ौतरी हुई है या कमी;

(ख) (एक) शहरी और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों के क्या आंकड़े हैं; और

(ग) वर्ष 1975 के अन्त तक कुल जनसंख्या क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री श्री ए० के० एम० इसहाक : (क) जनसंख्या प्रक्षेपण विशेषण समिति के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर जो 1973 में लगभग 2.1 प्रतिशत थी, 1975 में घटकर लगभग 2.0 प्रतिशत हो जाने की आशा थी।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं जो 1973 की अनुमानित जन्म और मृत्यु दरों के बीच अन्तर के रूप में प्राप्त हुई। इन अनुमानों में सेम्पलिंग और रिपोटिंग त्रुटियां हो सकती हैं।

नगरी	1.93
ग्रामीण	1.89
संयुक्त . . .	1.91

1974 और 1975 के वर्षों के ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 1975 क अन्त में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 60 करोड़ 40 लाख हो जाने का अनुमान है।

श्रमिक शिक्षा योजना

1400. **श्री वसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में श्रमिक शिक्षा योजना का विस्तार और अधिक क्षेत्रों में करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन गतिविधियों में श्रमिकों को कारगर ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करने के लिये इसे अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने की दृष्टि से श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) एक नया श्रमिक शिक्षा केन्द्र पहले ही सिलिगुरी में स्थापित किया गया है जिससे केन्द्रों की कुल संख्या 37 हो गई है और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति द्वारा हाल में योजना का पुनरीक्षण किया गया है और इसकी रिपोर्ट अब उनके सामने है।

उत्तर पश्चिमी सर्किल में अधिकारियों के विरुद्ध अनिर्णीत पड़े सतर्कता सम्बन्धी मामले

1401. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पश्चिमी सर्किल में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता सम्बन्धी कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उनमें से ऐसे कितने मामले हैं जो तीन वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ अनिर्णीत पड़े सतर्कता संबंधी मामलों (सतर्कता संबंधी शिकायतों सहित) की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी जा रही है—

	उत्तर पश्चिम डाक और दूर संचार सर्किल	अमृतसर टेलीफोन जिला
कुल संख्या	38	2
तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामले	1	कुछ नहीं

(ख) इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिये समय-समय पर हिदायतें जारी की गई हैं और उन मामलों पर, जो एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हों, खास नजर रखी जाती है।

स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

1402. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री आर० के० सिन्हा :
श्री शशि भूषण :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर पर कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान की तथा कर्मचारी राज्य बीमे की बहुत बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत राशि कितनी है ; और

(ग) भुगतान की दोषी कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क), (ख) और (ग) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि प्रतिष्ठान ने अक्तूबर, 1975 तक भविष्य निधि की देय राशियों का पूरा भुगतान कर दिया है। यह सूचित किया गया है कि प्रतिष्ठान ने नवम्बर और दिसम्बर, 1975 के लिए बहुसंख्यक कर्मचारियों को मजदूरियों का भुगतान नहीं किया है। तथापि, विशेष जांच पड़तालों से पता चला है कि प्रतिष्ठान से निम्नलिखित राशियां, प्रत्येक के सामने दर्शाये गए महीनों के सम्बन्ध में, बकाया है ;

अवधि	राशि
नवम्बर, 1975	3.42 लाख रु०
दिसम्बर, 1975	3.85 लाख रु०

ये आंकड़े अनंतिम है और वास्तविक बकाया राशि निर्धारित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अधीन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि जैसी स्थिति 31 दिसम्बर, 1975 को थी, जनवरी, 1975 से सितम्बर, 1975 तक की अवधि के लिए प्रतिष्ठान की ओर अंशदानों की रु० 6,10,000/- की राशि बकाया है। प्रतिष्ठान से नियोजकों के विशेष अंशदान पर रु० 2,57,249/- की राशि ब्याज के रूप में भी बकाया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया गया है।

भारतीय सड़क एवं परिवहन विकास एसोसिएशन द्वारा आयोजित गोष्ठी

1403. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क एवं परिवहन विकास एसोसियेशन द्वारा जमशेदपुर में आयोजित विचार-गोष्ठी में व्यक्त विचारों की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र में परिवहन संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा की गयी थी,

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र में इन समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार ने किन उपायों का सुझाव दिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख), (ग) **और** (घ) : भारतीय सड़क एवं विकास एसोसियेशन की विचार-गोष्ठी 5, 6 और 7 दिसम्बर, 1975 को हुई। विचार-गोष्ठी की कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट की एसोसियेशन से अभी प्रतीक्षा की जा रही है। विचार-गोष्ठी में की गयी सिफारिशों पर कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच की जायेगी।

Mining of Rock Phosphate in Jhabua District, Madhya Pradesh

1404. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the progress made in mining of rock phosphate in Jhabua District, Madhya Pradesh; and

(b) the quantity of rock phosphate extracted so far?

DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (**Shri Sukhdev Prasad**) : (a) and (b) : The M.P. State Mining Corporation started experimental mining of rock phosphate from the deposits in Jhabua district, M.P. during 1974-75. The production of rock phosphate so far, as reported by the M. P. State Mining Corporation is as below:

1974-75	2,977 tonnes.
1975-76 (upto Dec. '75)	16,351 tonnes

The grade of rock phosphate mined varies between 25% to about 30% P205.

Import of Stainless Steel

1405. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to continue importing stainless steel;

(b) whether there is accumulation of a large stocks of stainless steel with the Hindustan Steel Alloy Plant, Durgapur; and

(c) whether if some nickel is imported, stainless steel can be manufactured ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (**Shri Sukhdev Prashad**) The import policy is under review in connection with formulation of import policy for 1976-77. It has been the consistent effort of Government to restrict import to what cannot be had within the country.

(b) No Sir.

(c) Stainless steel being produced at present cannot be increased at Alloy Steel Plant by import of more nickel alone. Nickel is imported at present to the extent necessary for stainless steel production.

NON-DEPOSIT OF PROVIDENT FUND BY COAL MINES

1406. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Labour** be pleased to state whether huge sums of Employee's Provident Fund in nationalised and other coal mines in the States of Bengal, Bihar and Madhya Pradesh have not been deposited by owners and if so, the arrears at the end of 1974-75 ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): The Coal Mines Provident Fund Authorities have reported as under:—

The Provident Fund dues outstanding against employess in the States of Bengal, Bihar and Madhya Pradesh in 1974-75 are Rs. 6,55,97,978, Rs. 6,51,61,388 and Rs. 1,11,96,592 respectively.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1407. **श्री बी० आर० कावड़े :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में श्रेणी एक के कितने सहायक भविष्य निधि आयुक्त कब से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सहायक आयुक्त केडर के सीधी भर्ती किए गए कुछ व्यक्ति विभागीय उम्मीदवारों को पीछे छोड़ गए हैं क्योंकि विभागीय व्यक्तियों को कई वर्षों तक लगातार तदर्थ आधार पर रखा गया था और नियमित नहीं किया गया था; और

(ग) कितने विभागीय नियमित पद इस समय रिक्त हैं और तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को कब नियमित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी :) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नप्रकार सूचित किया है :—

(क) सत्रह सहायक भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी—1) : एक-एक मई, 1967, जनवरी, 1969 मई, 1971, जून, 1972, मार्च, 1974 और जनवरी, 1975 से, छ : मार्च, 1975 से, तीन अप्रैल, 1975 से और दो जून, 1975 से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न होकर काम करते आ रहे हैं।

(ख) पदोन्नतियां, पदों को प्रयोज्य नियुक्ति नियमों के आधार पर की जाती है।

(ग) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी–1) के संवर्ग में विभागीय पदोन्नति के कोटे में दस पद नियमित आधार पर भरे जाने के लिए उपलब्ध हैं, जिस लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Aluminium Plant in Madhya Pradesh

1408. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the progress achieved in regard to setting up of aluminium plant in Madhya Pradesh in 1974-75; and

(b) the time by which it will be completed and the reasons for the slow progress on the project work?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b): The production of aluminium from the first phase of Korba Smelter has already commenced from May, 1975. There was a marginal delay of about 4-5 months in the commissioning of the first phase owing to delay in the shipment of some vital components from the foreign suppliers, difficulties in the procurement of materials like cement, steel etc. during 1973-74 and delayed availability of power from the Madhya Pradesh Electricity Board.

The construction work on the remaining three phases of the Smelter and Fabrication Plants is in hand. However, the actual commissioning of these phases will have to be synchronised with the availability of power from the Madhya Pradesh Electricity Board.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उत्पादित उर्वरक

1409. **श्री यादोराम शर्मा :** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्न्दिुस्तान स्टील लि० द्वारा प्रतिवर्ष कितने उर्वरक का उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि०, सरकार द्वारा घोषित इस नीति के अन्तर्गत कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शिक्षित युवा उद्यमियों को वरीयता देंगे; उन्हें प्राथमिकता दे रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रासाद) : (क) वर्ष 1974–75 में राउरकेला के उर्वरक संयंत्र तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों का रासायनिक खाद का कुल उत्पादन 2.98 लाख टन था। वर्ष 1975–76 में 3.3 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० की अपनी रासायनिक खाद का वितरण करने की नीति थोक व्यापारियों की मार्फत करने की है। थोक व्यापारियों में सहकारी समितियां, राजकीय कृषि उद्योग निगम तथा ऐसी पार्टियां भी शामिल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के रासायनिक उपोत्पाद

1410. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा प्रतिवर्ष किन-किन रासायनिक उपोत्पादों का निर्माण किया जाता है ; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० से इन उपोत्पादों का वार्षिक नियतन पाने वाली फर्मों के नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) : हिन्दुस्तान स्टील लि० बहुत से रासायनिक उपोत्पाद तैयार करती है और बेचती है । मोटेतौर पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :—

(क) बेन्जोल उपोत्पाद—जैसे बेचीन टासयूईन विलायक तेल इत्यादि ।

(ख) कोलतार उपोत्पाद—जैसे डामर नेप्थलीन' क्रिग्रोसोट तेल, कोलतार से निकलने वाले तेल और कोलतार से निकलने वाले अम्ल इत्यादि ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० से नियमित आधार पर इन उत्पादों को खरीदने वाले मुख्य क्रेताओं/बड़े-बड़े उपभोक्ताओं के नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10276/76]

राष्ट्रीय मजूरी नीति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

1411. **श्री मधु दण्डवते** : : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "राष्ट्रीय मंजूरी नीति" के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस में की गई सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) सरकार को एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की गई है ।

(ख) और (ग) : सरकार ने, श्रम मंत्रालय में मजदूरी सेल स्थापित करने संबंधी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित कर दिया है । दूसरी सिफारिशें सरकार के विचराधीन हैं ।

श्रीलंका में नागरिकता की समस्या

1412. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका में नागरिकता की समस्या के संबंध में श्रीलंका असेम्बली में ऐसे व्यक्तियों द्वारा उठाये गए मामले की ओर दिलाया गया है जो न तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके, न ही यात्रा वीसा प्राप्त कर सके और न अपनी पत्नियों के लिए जो श्रीलंका की नागरिक थीं, रिहायशी वीसा प्राप्त कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) :(क) जी हां ।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों के पति/पत्नियों को वीसा अथवा भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी व्यवस्था हमारे वर्तमान नियमों और विनियमों में है। खास तरह की मुसिबत में पड़े लोगो के जो मामले होते हैं उनका सरकार हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है।

श्रमजीवी वर्ग की प्रति-व्यक्ति आय

1413. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1960, 1974 और 1975 में क्रमशः श्रम जीवी वर्ग की प्रति-व्यक्ति आय क्या थी ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : 1974 और 1975 वर्षों के लिए औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक आय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1960 से वार्षिक आय के आंकड़ों की संगणना के आधार में संशोधन कर दिया गया है। अत : 1960 के आंकड़े परवर्ती वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं होंगे।

कोयला खानों में दुर्घटना

1414. श्री रानेन **सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्र **(श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) एक विवरण, जिसमें गत पांच वर्षों के दौरान हुई घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या और मारे गये और गम्भीर रूप से घायल हुये व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना दी गई है, संलग्न।

(ख) और (ग). कोई विशिष्ट कारण निर्धारित नहीं किये जा सकते। खानों में सुरक्षा सम्बन्ध उपायों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यवेक्षणों को कड़ा करने तथा सुरक्षा सम्बन्धी उपायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाहियों की जा रही हैं। प्रबन्धकों को भी सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का दृढ़ता से पालन करें।

विवरण

कोयला खानों में दुर्घटनायें

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गम्भीर	मारे गये	गम्भीर रूप से घायल हुये
1971 . .	199	1,460	231	1,542
1972 . .	200	1,534	217	1,616
1973 . .	172	1,904	237@	1,975
1974 . .	200	2,065	232	2,162
2975* . .	222	2,044	660**	2,119

@अनन्तिम और संशोधन किए जाने की शर्त के साथ।

*इसमें जितपुर कोलियरी भीषण दुर्घटना की 48 मौतें शामिल हैं।

**इसमें चासनाला भीषण दुर्घटना में फंसे बताये गये 372 व्यक्ति शामिल हैं।

Ouota of E. C. Grade Aluminium for States

1415. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the quota of E.C. grade aluminium for each State for the manufacture of AA and ACSR conductors;

(b) if so, the criteria followed therefor;

(c) whether he has received complaints about the misuse of E.C. grade aluminium in Bihar; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b): A bulk allocation in favour of the State Director of Industries is made only by the Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India. The procedure for allocation of EC grade aluminium metal is as follows:

Information is obtained from the consuming industries about their demand for EC grade aluminium. Estimates of metal production are also obtained from the producers of aluminium. Taking these two factors into account, bulk allocations of E C. grade metal are made to the various sponsoring authorities in-charge of different cosuming sectors. Decisions about such bulk allocations are taken at an inter-ministerial meeting which is held in advance of the commencement of the financial year.

The sponsoring authorities out of the bulk allocations in turn make unit-wise allocation to the units covered in their respective sectors. In respect of small scale industrial units, the Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India, makes bulk allocations to the State Directors of Industries who in turn make allocations to the units falling within their purview.

While making unit-wise allocations of E. C. grade aluminium, these sponsoring authorities take into account various factors which include *inter-alia* capacity of the unit, past trend of production, orders on hand for supply/export of conductors/cables, total availability of E. C. grade metal.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

Direct Dialling System in Cities.

1416. **Shri Shankar Dayal Singh:** will the Minister of Communications/be pleased to state the names of the cities in which failities of direct dialling system of telephone will be available in 1976-77?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): The following stations are expected to have S.T.D. facility by the end of 1976-77 on one or more routes:

1. Delhi
2. Guntur
3. Kakinada.
4. Masulipatam
5. Secunderabad
6. Triupathi
7. Vijayawada
8. Visakhapatnam
9. Chapra.
10. Darbhanga.
11. Jamshedpur.
12. Muzffarpur.
13. Ranchi.
14. Patna.
15. Ahmedabad.
16. Baroda.
17. Gandhinagar.
18. Jamnagar.
19. Mehsana.
20. Nadiad.
21. Rajkot.
22. Surat.
23. Anantnag.
24. Baramulla.
25. Jammu.
26. Sopore.
27. Srinagar.
28. Udhampur.
29. Bangalore.
30. Belgaum.
31. Gadag.

32. Hubli.
33. Mangalore.
34. Shimoga.
35. Tumkur.
36. Udipi.
37. Alleppey.
38. Ernakulam.
39. Kottayam.
40. Kozhikode.
41. Narakkal.
42. Quilon
43. Trichur.
44. Trivandrum.
45. Amraoti.
46. Bhiwandi.
47. Bombay.
48. Jalgaon.
49. Kolpewadi.
50. Kopergaon.
51. Margao.
52. Nagpur.
53. Nasik.
54. Panjim.
55. Poona.
56. Puntamba.
57. Rahata.
58. Sangli.
59. Vasco-da-gama.
60. Vashi.
61. Bhopal.
62. Indore.
63. Sehore.
64. Gauhati (including Dizpur).
65. Shillong.
66. Ambala.
67. Amritsar.
68. Chandigarh.
69. Chherata.
70. Gurgaon.
71. Hoshiarpur.
72. Jullundur.
73. Kapurthala.
74. Karnal.
75. Ludhiana.
76. Panipat.
77. Rohtak.
78. Simla.
79. Sonepat.
80. Bhubaneshwar.
81. Cuttack
82. Ajmer.
83. Alwar.
84. Bharatpur.
85. Dholpur.
86. Jaipur.
87. Jodhpur.
88. Chingleput.
89. Coimbatore.
90. Erode.
91. Kancheepuram.
92. Madras.
93. Madurai.
94. Ooty.
95. Salem.
96. Triuppur.
97. Trichy.
98. Udumalpet.
99. Vellore.
100. Virudhnagar.
101. Agra.
102. Aligarh.
103. Allahabad.
104. Bulandshar.
105. Dehradun.
106. Faizabad.
107. Gorakhpur.
108. Hapur.
109. Kanpur.
110. Lucknow.
111. Meerut.
112. Mirzapur.
113. Modinagar.
114. Mussoorie.
115. Rae Barely.
116. Saharanpur.
117. Unnao.
118. Varanasi.
119. Asansol.
120. Barakar.
121. Bahula.
122. Calcutta.
123. Durgapur.
124. Jamuria.
125. Kharagpur.
126. Neamatpur.
127. Raniganj.
128. Rupnarainpur.

देवनागरी में प्रैस तार भेजने में विलम्ब

1417. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सांगली और बम्बई के बीच देवनागरी में प्रेस तार भेजने में बिलम्ब के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या ये प्रेस तार कई बार घन्टों देर से पहुंचते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उस स्थिति को छोड़ कर जब कि सर्किट खराब हो, आमतौर पर एक घंटे के भीतर तार भेज दिये जाते हैं ।

बहराइच गिलोला और इकौना के बीच टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करना

1418. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच, गिलौला और इकौना के बीच टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक गिलौला और इकौना के एक्सचेंजों में काम आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) गिलौला और इकौना में लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने का काम चल रहा है । गिलौला को सीधे बहराइच से जोड़ा जाएगा और इकौना को सीधे बलरामपुर टेलीफोन एक्सचेंज से/बलरामपुर एक्सचेंज गोंडा के रास्ते बहराइच से जुड़ा हुआ है ।

(ख) इन दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान पर एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन दोनों स्थानों पर लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० चालू कर दिये जायेंगे ।

संचार मंत्री द्वारा हंगरी का दौरा

1419. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में हंगरी का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो दौरे के क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । अक्तूबर, 1975 में एक दिन के लिए ।

(ख) **संचार** मंत्री ने हंगरी के धातु विज्ञान और मशीन इंजीनियरी के मंत्री और वहां के वरिष्ट अधिकारियों के साथ दूरसंचार अनुसन्धान से सम्बद्ध तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान जैसी आपसी हितों के मामले पर विचार-विमर्श किया । इसके अलावा उन्होंने सूक्ष्मतरंग उपस्कर और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्सिज) बनाने वाले कारखानों और वहां के अनुसन्धान केन्द्र का भी निरीक्षण किया ।

नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल

1420. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल को केन्द्र सरकार, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य प्राधिकरणों से सहायता प्राप्त होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल को इन प्राधिकरणों द्वारा वर्ष 1974-75 तथा दिसम्बर, 1975 के अन्त तक कितनी राशि की सहायता अथवा अनुदान दिया गया ; और

(ग) इस अस्पताल में इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) सर गंगाराम अस्पताल को वर्ष 1974–75 में तथा दिसम्बर, 1975 के अन्त तक दी गई अनुदान की रकम इस प्रकार है :—

	1974–75	1975–76 (दिसम्बर, 1975 तक)
केन्द्र सरकार . . .	86,623.00	शून्य
दिल्ली प्रशासन . . .	84,275.75	29,040.00
दिल्ली नगर निगम . . .	85,000.00	शून्य
नई दिल्ली नगर पालिका . .	5,000.00	शून्य
योग .	2,60,898.00	29,040.00

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कुल कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

पदनाम	पदों की संख्या
चिकित्सा और परा चिकित्सा—	
रजिस्ट्रार	4
हाउस सर्जन	14
मेट्रन	1
वार्ड सिस्टर्स	5
ट्यूटर्स सिस्टर्स	4
स्टाफ नर्स	20
सहायक नर्स धात्री	2
छात्रा नर्सेज	48
होम सिस्टर	1
रोग विज्ञान विभाग	
निदेशक रोग विज्ञान	1
रोग विज्ञानी	2

पदनाम	पदों की संख्या
जीव रसायनज्ञ	1
साइटोटेक्नोलाजिस्ट	1
प्रयोगशाला तकनीशियन	6
एक्स-रे विभाग--	
रेडियोग्राफर	1
एक्स-रे	1
बाह्य रोगी विभाग और कैजुयलिटी--	
डिस्पेंसर	4
रिफ्रेशनिस्ट (अंशकालिक)	1
आर्थोपिस्ट (अंशकालिक)	1
आडियोमोट्रस्टि (अंशकालिक)	1
जूनियर फिजिओथेरापिस्ट (अंशकालिक)	1
रसोई घर और लिनिन स्टोर--	
आहार विज्ञानी (अंशकालिक)	2
लिनन इंचार्ज	1
आई० सी० सी० यू०--	
ई० सी० जी० आपरेटर	1
चतुर्थ श्रेणी--	
नर्सिंग अर्दली आदि	64
स्वीपर	34
प्रशासकीय स्टाफ--	
चिकित्सा प्रशासक	1
सहायक सचिव	1
लेखाकार	1
आशुलिपिक	1
उच्च श्रेणी लिपिक	1
टाइपिस्ट	1
एकाउन्ट्स क्लर्क	1
स्टोर-कीपर	1
केयर टेकर-कम-सिक्यूरिटी	1

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक जीवन बीमा योजना

1421. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीन क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा योजना आरम्भ करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिये उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है ; और

(ख) प्रीमियम के भुगतान के सम्बन्ध में डाक घरों द्वारा कुल कितनी धनराशि का कारोबार किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) डाक जीवन बीमा योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिये है। ग्रामीण इलाकों की आम जनता तक इस योजना का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1974-75 और कैलेण्डर वर्ष 1975 के दौरान डाकघरों ने डाक जीवन बीमा का जो कारोबार किया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :--

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	राशि
		रु०
1974-75 . . .	36,440	17,98,97,400
1975 . . . (1-1-75 से 31-12-75 तक)	35,158	20,31,05,900

टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर बकाया राशि

1422. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) तारीख 31-7-75 तक जारी किये गये टेलीफोन बिलों पर तारीख 1-11-75 को 10.24 करोड़ रुपये बकाया थे।

(ख) बकाया रकम की वसूली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए आरम्भ में उपभोक्ता को टेलीफोन से याद दिलाना, जिन उपभोक्ताओं पर रकम बकाया हो उनके कनेक्शन काटने (कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर), जैसे कदम उठाये जाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत संपर्क और पत्र-व्यवहार किया जाता है और अंत में जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। कानूनी कार्रवाई का रास्ता केवल प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामलों में ही अपनाया जाता है और मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ऐसे मामलों में रकम वसूल होने की काफी संभावना है।

बकाया रकम कम करने के लिए लगातार प्रयत्न किये गये हैं। हाल ही में सभी सर्किलों/जिलों के अध्यक्षों को लिखा गया है कि वे बकाया रकम की वसूली के लिए तुरंत प्रभावकारी कदम उठाएं। इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

देश में जबरन छुट्टी, संस्थानों के बन्द होने तथा तालाबन्दी की घटनाओं की संख्या

1423. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1975 के दौरान हुई जबरन छुट्टियों, संस्थानों के बन्द होने तथा तालाबन्दियों की घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसी घटनाओं का कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

अनुसन्धान के लिए बन्दरों की माँग

1424. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में जीव चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिये भविष्य में अधिक बन्दरों की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या प्रयोगशालाओं के लिये बन्दर की अनेक संकर नसलों का विकास किया जा सकता है; और

(क) क्या अनुसन्धान द्वारा इसका कोई विकल्प ढूंढने का प्रयत्न किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क), से (ग). जीव-चिकित्सीय अनुसंधान कार्य के लिए अधिक बन्दरों की जरूरत निकट भविष्य में काफी बढ़ जाने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ऊतकों के सम्वर्धन (टिशू कल्चर) के तकनीक जैसे उपयुक्त वैकल्पिक प्रयोगात्मक नमूने (माडल) तैयार किए जाने लगे हैं और वे प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा मामोसेट नाम के छोटे बन्दरों का कई प्रयोगों में एक उपयुक्त माडल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारत में लोकतंत्र की कथित समाप्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति फोर्ड का कथित वक्तव्य

1425. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति फोर्ड ने भारत की वर्तमान स्थिति को "भारत में लोकतंत्र की समाप्ति" करार दिया है और संयुक्त राज्य अमरीका की पसन्द की नई सरकार के लिए आशाएं व्यक्त की हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार ने भारत के आन्तरिक मामलों में इस हस्तक्षेप के खिलाफ कोई रोष-पत्र भेजा है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख). भारत की हाल की घटनाओं के बारे में राष्ट्रपति फोर्ड ने 15 सितम्बर, 1975 को एक संवाददाता सम्मेलन में उल्लेख किया था। बाद में 19 सितम्बर को स्पष्टीकरण देते हुए अमरीकी विदेश विभाग ने यह कहा था कि अमरीका भारत की हाल की राजनैतिक घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करने की अपनी नीति पर चलता रहेगा। अक्तूबर, 1975 में वाशिंगटन में राष्ट्रपति फोर्ड और हमारे विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत में राष्ट्रपति फोर्ड ने यह स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी का आशय किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं था और यह आशा भी व्यक्त की कि जो कुछ कहा गया था उसकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध नहीं बिगड़ेंगे। अमरीका भारत के साथ अपने संबंधों को अधिक व्यापक और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहता है।

रोजगार दफ्तरों द्वारा पंजीकरण किया जाना

1426. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और नई दिल्ली स्थित रोजगार दफ्तर एक से अधिक श्रेणी के लिये उम्मीदवारों का पंजीकरण नहीं करते यद्यपि उनकी अनेक प्रकार की शैक्षिक अर्हताएं, दस्तकारी के प्रमाण-पत्र तथा अन्य तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी अर्हताएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). दिल्ली संघशासित क्षेत्र में रोज़गार कार्यालय क्रियात्मक आधार पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान पद्धति के अनुसार, उम्मीदवार रोज़गार कार्यालय में अपना पंजीकरण उस व्यवसाय में कराते हैं जिसके लिए वे उपयुक्त और योग्य हैं और जिसके लिए वे अपनी वरीयता दर्शाते हैं। तथापि उनमें से यदि कोई ऐसे व्यवसाय को छोड़कर जिसके लिए वह प्रारम्भ से ही पंजीकृत है, किसी अन्य व्यवसाय/व्यवसायों के लिए भी योग्य और इच्छुक हैं, तो उसका डमी कार्ड उस रोज़गार कार्यालय द्वारा बनाया जाता है और उसे या तो उसी रोज़गार कार्यालय के उचित अनुभाग में भेज दिया जाता है या उस रोज़गार कार्यालय को भेजा जाता है, जो उस वर्ग के उम्मीदवारों और रिक्तियों से संबंध रखते हैं ताकि उसपर ऐसी सभी रिक्तियों के लिए विधिवत विचार किया जा सके जिसके लिए वह उपयुक्त और योग्य है। सामान्यतः उम्मीदवार दो/तीन व्यवसायों में पंजीकरण कराने के लिए पात्र हैं।

एटलांटिक पर क्रियात्मक संचार उपग्रह

1427. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अन्य तीन देशों ने एटलांटिक के ग्रीनिच मेरिडियन पर क्रियात्मक संचार उपग्रह की व्यवस्था करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संगठन से अनुरोध करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इंटलसेट) ने, 1976 के दौरान 359 अंश पूर्वी देशान्तर की सामान्य स्थिति पर, एक उपग्रह स्थापित करने का निश्चय किया है। यह उपग्रह एटलांटिक महासागर खण्ड में कार्य कर रहे दूसरे उपग्रहों के लिए 'कक्ष-में-अतिरिक्त' उपग्रह होगा।

Steps to Stop the Consumption of Kesari Dal

1428. Snri Janeshwar Misnra: Will the Minister of **Health and Family planning** be pleased to state:

(a) whether consumption of Kesari Dal causes a particular type of disease which is prevalent in many parts of the country; and

(b) if so, the efforts made by Government to check the consumption of the Kesari Dal and also to check prevalence of this disease?

The Deputy Minister in tne Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. M. Ishaque : (a) the excessive consumption of Kesari Dal for prolonged periods may cause paralysis of lower limbs of the body called Lathyrism. The disease is found in a few States where the sale of Kesari Dal for human consumption is not banned.

(b) Under rule 44-A of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, the sale of Kesari Dal for human consumption is banned with effect from the dates to be notified by the State Governments. All State Governments have issued notifications banning the sale for human consumption of Kesari Dal, except Madhya Pradesh, Bihar, West Benal and Gujarat. The concerned State Governments have been advised that Kesari Dal can be detoxified by a simple process similar to parboiling and that they should publicise this process amongst the masses. They have also been advised to entrust the work of detoxification of Kesari Dal and its sale through State agencies. The question of banning the movement of Kesari Dal by Railway is also under consideration.

राष्ट्रीय राजपथ 7 पर पेन्नार पुल का निर्माण

1429. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ 7 पर अनन्तपुर जिले में पानुडी के निकट पेन्नार पर पुल का काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) धन के उपलब्ध होने पर पुल के मार्च, 1977 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(ख) नींव और उनके स्तरों की मिट्टी का विभिन्न प्रकार का होना, जिससे व्यापक परीक्षण और बोरिंग करना पड़ा, और बाढ़ के कारण नदी तल में कार्य में रुकावट और ठेकेदारों द्वारा विलम्ब के कारण कार्य के पूरे होने में विलम्ब हुआ है।

2921 (ai) LS—4.

औद्यागिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक में वृद्धि

1430. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, हावड़ा, एल्लेपी, बम्बई, झरिया और कुछ अन्य केन्द्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सुचकांक में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) मंत्रालय का भावी महीनों में औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) औद्योगिक श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल सूचकांक, विभिन्न केन्द्रों में इन श्रमिकों द्वारा उपभोग की गई चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं के परचून मूल्यों के स्तर में परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करते हैं। अखिल–भारत सूचकांक औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण 50 केन्द्रों के मासिक सूचकांकों का औसत सूचकांक होता है। जबकि जून, 1975 से इन केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्रों (जिनमें कानपुर, एल्लेपी, दिल्ली और बम्बई शामिल हैं) के सूचकांकों में गिरावट आयी है, कुछ अन्य केन्द्रों (हैदराबाद, झरिया, श्रीनगर, अमृतसर, आसनसोल, कलकत्ता और हावड़ा के संबंध में, इन केन्द्रों के उपयोग की कतिपय मद्दों के मूल्यों में वृद्धि के कारण, रुख विशिष्ट रहा है।

(ख) सरकार मूल्यों संबंधी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और उपभोग की वस्तुओं में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए, जब कभी आवश्यक होता है, समुचित उपाय किए जाते हैं।

स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर द्वारा बोनस का भुगतान

1431. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ने अपने कर्मचारियों को अभी तक वर्ष 1974 के बोनस का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो बोनस की राशि कितनी है और इसका भुगतान कब किया जाना था;

(ग) कर्मचारियों को बोनस न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों को देय बोनस का भुगतान तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क), (ख), (ग) और (घ). राज्य श्रमायुक्त से प्राप्त सूचनानुसार, स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर ने लेखा वर्ष 1974–75 के बोनस का भुगतान नहीं किया है जोकि गत नवम्बर तक देय था। नियोजकों ने 17 नवम्बर, 1975 को बोनस भुगतान के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की थी। उनका आवेदन-पत्र 31 दिसम्बर, 1975 को रद्द कर दिया गया था। अन्तर्ग्रस्त राशि लगभग आठ लाख रुपये है। प्रबन्ध पर अभियोजन चलाने के लिए कारवाई पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, जोकि अधिनियम के अन्तर्गत उचित सरकार है।

परमाणु सहयोग के बारे में भारत और मिश्र के बीच वार्ता

1432. **श्री यमुना प्रसाद मंडलः** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मिश्र के अधिकारियों से दोनों देशो के बीच परमाणु सहयोग की सम्भावना के बारे में हाल ही में विचार-विमर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Economic and Technical Agreement with Tanzania

†1433. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of External Affairs be plesed to state the main features of the economic and technical agreement concluded between India and Tanzania on the 2nd January, 1976 ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : The first meeting of the Indo-Tanzania Joint Commission on Technial, Economic and Scientific Cooperation was held in New Delhi on 2nd and 3rd January, 1976. As a result of these discussions agreed Minutes were signed on 3rd January, 1976 and provides for increased cooperation in the field of industries including small scale industries, agriculture and irrigation, science and technology, railways, civil aviation, civil engineering, etc. Understanding has also been reached for the deputation of approximately 150 Indian experts to Tanzania in various fields and for the training of a approximately 160 Tanzanian technicians in various disciplines in India.

उड़ीसा के कोरापुट जिले में बाक्साइट के निक्षेप

1434. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले (उड़ीसा) के पट्टमगी क्षेत्र में बाक्साइट निक्षेप के संबंध में परियोजना की स्वीकृति के लिए एक प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा है; और

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी सहयोग से संयुक्त उपक्रम द्वारा बाक्साइट निकाला जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) उड़ीसा सरकार तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था से उड़ीसा के पोटंगी इलाके में बाक्साइट भंडारों के बारे में रिपोट प्राप्त हो रही है, साथ ही ऐसी रिपोर्ट भी मिली है कि ये बाक्साइट भंडार आंध्र प्रदेश के समीपस्थ क्षेत्रों तक व्याप्त हैं। ये सब रिपोर्ट यह प्रमाणित करने के सिलसिले में हैं कि पूर्वी तट के विशाल और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के स्थान के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। पूर्वेक्षण कार्यों के लिए इह वर्ष केन्द्रीय कोष से अलग से धन देकर यह कार्य खनिज समन्वेषण निगम को सौंपा गया है जो भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था तथा दोनों राज्यों की क्षेत्रगत एजेंसियों के सहयोग से काम कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में इन बाक्साइट भारों की खुदाई विधि के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावना दिखाई नहीं देती क्योंकि उनके विस्तार के बारे में सावधानी से विचार किए जाने की जरूरत है, अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में किसी प्रकार के विदेशी सहयोग की भी जरूरत होगी ।

पुलों के निर्मण के लिए उड़ीसा के लिए स्वीकृत राशि

1435. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से राज्य के पिछड़े जिलों में पुलों के निर्माण के लिए "अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व" के अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने उनके लिए कितनी राशि मंजूर की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री । (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सहायता के लिए उड़ीसा सरकार के प्रस्तावों में कई योजनाएं शामिल हैं, जिनमें अन्तर्राज्यीय महत्व की परियोजनाओं में आने वाली सड़क और पुल दोनों हैं और वे परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य परियोजना वाले क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ाना है । इन प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के कुछ पुल भी शामिल हैं, परन्तु भारत सरकार ने अब तक किसी भी राज्य से प्राप्त किसी भी योजना के लिए कोई ऋण सहायता मंजूर नहीं की है, क्योंकि पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है। उसी कारण से यह भी बताना संभव नहीं है कि कौन से कार्यों को ऋण सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं की सूची में सम्मिलित किये जाने की संभावना है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संख्या द्वारा उड़ीसा के पहाड़ी जिलों का सर्वेक्षण

1436. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए उड़ीसा के पहाड़ी जिलों तथा विशेषकर गंजाम, कोरापुट, कलाहांडी और सुन्दरगढ़ का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन से खनिजों का पता लगाया गया है तथा उन्हें जांचा गया है ; और

(ग) संभावित परियोजनाओं में से कितने गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों अथवा संयुक्त सहयोग के पास हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) अब तक जिन महत्वपूर्ण निक्षेपों का पता चला है वे इस प्रकार हैं—कोरापुट के पोटांगी क्षेत्र में बाक्साइट; सुन्दरगढ़ की मागपल्ली पट्टी के विस्तार में तांबा सीसा और जस्ता; मालंगटोली में लौह अयस्क और कोरापुट; क्योंझर तथा सुन्दरगढ़ जिलों में मैंगनीज अयस्क ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा, मालन्गटोली लौह अयस्क निक्षेप के बारे में प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए व्यापक खोज कार्य किए जा रहे हैं । हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

ने सर्गापल्ली में सीमा अवस्क निक्षेपों के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसकी जांच हो रही है । बाक्साइट निक्षेप आंध्र प्रदेश के इलाकों तक फैले हैं। इनकी व्यापक पुष्टि के लिए खनिज समन्वेषण व निगम को, इस क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के सहयोग से समन्वेषण का काम सौंपा गया है।

(ग) उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में रखने का विचार है।

बर्मा में बहादुर शाह के मकबरे का संरक्षण

1437. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा में रंगून के समीप स्थित बहादुर शाह के मकबरे की रक्षा, रख-रखाव और सम्मान के लिए कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या है ;

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) बहादुर शाह जफर का मकबरा बर्मा के प्रभुसत्तात्मक प्रदेश में स्थित है और उसकी देखभाल "बहादुर शाह दरगाह ट्रस्ट" नाम की एक स्थानीय संस्था करती है । हमारी सूचना यह है कि दरगाह अच्छी हालत में है । स्वाभाविक तौर पर हमारी बहादुर शाह जफर के मौलिक अवशेषों के प्रति सम्मान दिखाने में दिलचस्पी है । हाल में, पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्री, श्री राजबहादुर, अक्तूबर में रंगून की सरकारी यात्रा के दौरान अपना आदरभाव प्रकट करने दरगाह गए थे। सिद्धांत रूप में इस पर भी सहमति हुई है कि सम्राट बहादुर शाह जफर की 200 वीं बरसगांठ के समारोह के अवसर पर बहादुरशाह जफर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा प्रेरित एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि-मंडल दरगाह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रंगून जाएगा।

वर्ष 1973, 1974 और 1975 में इस्पात का उत्पादन

1438. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973, 1974 और 1975 में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसकी देश में कितनी खपत हुई और कितने इस्पात का निर्यात हुआ ;

(ग) इन वर्षों में इस्पात के मूल्यों में क्या परिवर्तन हुआ; और

(घ) वर्ष 1976 में विभिन्न किस्म के इस्पात के उत्पादन के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) वर्ष 1973, 1974 और 1975 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन क्रमशः 45.41, 47.00 और 54.97 लाख टन था।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1973–74 और 1974–75 में साधारण इस्पात की घरेलू खपत क्रमशः लगभग 56 और 61 लाख टन थी। हो सकता है कि वर्ष 1975–76 में खपत वर्ष 1974–75 में हुई खपत से कुछ कम रहे।

वर्ष 1973–74 में 36,652 टन और 1974–75 में 52,135 टन इस्पात सामग्री का निर्यात किया गया। वर्ष 1975–76 में लगभग 5,22,000 टन इस्पात का निर्यात किया जाएगा।

(ग) इस्पात की मुख्य श्रेणियों के बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10277/76]

(घ) वर्ष 1975–76 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 57 लाख टन का अनुमान है।

लेबर ब्यरो में संगणकों को विशेष वेतन देना

1439. **श्री वसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री लेबर ब्यूरों में संगणकों को विशेष वेतन देने के बारे में 10 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मामले की अभी तक भी जांच की जा रही है।

भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

1440. **श्री वसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और ऐसी खामियों को दूर किया जा सके जिसका नियोजकों द्वारा लाभ उठाया जाता है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में श्रमिक संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). अधिनियम के कार्यकरण की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है और सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को यथासंभव अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अधिनियम में संशोधन सहित अन्य समुचित कार्य-वाहियां की जानी चाहिएं। विभिन्न समयों पर सभी संबंधित पक्षों से अधिनियम में संशोधन करने संबंधी सुझाव प्राप्त होते रहते हैं और उन पर उचित गौर किया जाता है।

पेरु, कोलम्बिया और चिली के साथ तकनीकी सहयोग

1441. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरू, कोलम्बिया और चिली के तस्करों के साथ वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग के बारे में कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) तकनीकी एंव वैज्ञानिक सहयोग के विषय में भारत की सरकार और पेरू गणराज्य की सरकार के बीच एक करार पर 28 अगस्त, 1975 को लीमा में हस्ताक्षर हुये।

(ख) इस करार में एक दूसरे के देश में तकनीकी, वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थाओं में फ़ैक्टरियों और उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये तकनीकी कर्मचारियों के आदान-प्रदान की, तकनीकी प्रलेखन एंव सूचना के आदान प्रदान की, दोनों देशों की संस्थाओं के बीच वैज्ञानिक कार्यों में सहयोग की, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से तैयार करने की तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के विश्लेषण एवं अनुमोदन की भी व्यवस्था है जिसके परिणाम का परामर्शदात्री सेवाओं द्वारा आर्थिक गतिविधि एवं सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सके ।

भारत-रूस संधि और शिमला समझौते का आवधिक पुर्नविलोकन

1442 **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस संधि और शिमला समझौते के क्रियान्वयन का आवधिक आधार पर पुर्नविलोकन किया गया है ; और

(ख) शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मामलों पर निर्णय हो चुका है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) शान्ति, मैत्री एवं सहयोग विषयक भारतसोवियत संधि के प्रावधानों के अनुपालन में दोनों पक्ष, दोनों देशों के परस्पर हित में भारतसोवियत मैत्री तथा सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा विश्व में शान्ति एवं स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए एक दूसरे से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुये हैं ।

शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद विदेश मंत्रियों तथा विदेश सचिवों के स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर हुई बैठकों के दौरान अवसर का लाभ उठाते हुये शिमला समझौते के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण भी किया गया ।

(ख) शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जो महत्वपूर्ण मसले तय हुये उनमे से कुछ निम्नलिखित हैं :–

(i) जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा का रेखांकन तथा पाकिस्तान से लगी सीमा पर अधिकृत क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी का काम पूरा होना ;

(ii) बंगला-देश भारत पाकिस्तान त्रिपक्षीय समझौता तथा भारत से पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों तथा असैनिक नजरबन्दों के प्रत्यावर्तन का काम पूरा होना ;

(iii) डाक, दूर संचार सम्बन्ध तथा यात्रा, जिसमें तीर्थ यात्री दलों का आवागमन भी शामिल है, फ़िर से शुरू करना ; व्यापार का फ़िर से शुरू होना जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जहाजीमाल लाने और ले जाने के लिये जहाजरानी सेवा भी शामिल है ।

औद्योगिक श्रमिकों की छंटनी

1443. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन स्थिति घोषित किये जाने के बाद देश में कुल कितने औद्योगिक श्रमिकों की छंटनी की गई ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

श्रमिकों द्वारा बोनस लेने से इंकार करना

1444. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोनस सम्बन्धी अध्यादेश की घोषणा करने के बाद देश में कितने औद्योगिक श्रमिकों ने बोनस लेने से इन्कार कर दिया ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सरकार ऐसी सूचना एकत्र नहीं करती है ।

Non-Payment of Bonus by certain Sugar Mills of M.P.

1445. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints about the non-payment of bonus by the Govind Ram Sohi Sugar Mills at Mahidpur in Ujjain District of Madhya Pradesh and Jaora Sugar Mills at Jaora, in Ratlam District of Madhya Pradesh for the last two years;

(b) whether complaints in regard to the irregularities committed by these mills in respect of provident fund of the workers and also denying the benefits to their workers as recommended by the Second Sugar Wage Board have also been received; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The matter falls in the State sphere.

(b) & (c). No complaint in regard to the non-implementation of the recommendations of the Second Sugar Wage Board has been received recently. This matter also falls in the State sphere. As regards provident fund dues the Employees' Provident Fund Authorities have intimated that;

(i) M/s Govind Ram Sugar Mills, Mahidpur, an unexempted establishment is reported to be in arrears of Rs. 0·17 lakhs relating to the period from September, 1975 to November, 1975. Show cause notices for prosecution have been issued.

(ii) M/s. Jaora Sugar Mills Ltd. Jaora, an exempted establishment, has not transferred a sum of Rs. 0·44 lakhs to its Board of Trustees, for November, 1975. Prosecution notices have been issued.

स्ट्रोजर उपकरणों का निर्माण करने के लिए ब्रिटिश सहयोग

1446. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रोजर उपकरण का निर्माण करने के लिये ब्रिटिश सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक-तार विभाग में संवर्ग संख्या का निर्धारण

1447. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में सभी संवर्गों में, विशेष रूप से टी० ई० एस० और आई० पी० एस० की प्रथम श्रेणी में संवर्ग संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो संवर्ग संख्या को किस तारीख तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में बिना लाइसेंस के रेडियो/ट्रांजिस्टर सेट

1448. **श्री धामनकर :**

श्री आर० आर० सिंह देव :

श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना लाइसेंस के कितने रेडियो/ट्रांजिस्टर सेट चल रहे हैं ; और

(ख) क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान सरकार ने बिना लाइसेंसों के सेटों का पता लगाने के लिए विशेष कदम उठाये हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) देश में बिना लाइसेंस के कितने रेडियो/ट्रांजिस्टर सेट चल रहे हैं, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अगस्त, 1975 से और बाद में पूरे देश में विशेष प्रचार और अपवंचन-विरोधी अभियान चलाये गये । परिणामस्वरूप बिना लाइसेंस के लगभग 1,70,000 सेट पकड़े गये और राजस्व के रूप में 50 लाख रुपये से कुछ अधिक रकम वसूल की गई ।

देश में "तुरन्त डाक सेवा"

1449. **श्री धामनकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'तुरन्त डाक सेवा' के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना का और अधिक क्षेत्र में विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क), (ख) और (ग). यह सेवा 15-4-75 को शुरू की गई थी । उसी समय से यह सेवा समीक्षाधीन है और नियमित रूप से परीक्षण पत्र

औंर डाक में डालकर इसे मानेटर किया जा रहा है। यह देखा गया है कि कुल मिलाकर यह योजना सन्तोषजनक ंग से काम कर रही है।

इस समय 27 राज्यों की राजधानियों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यालयों में यह सेवा उपलब्ध है। इनके अलावा 190 दूसरे शहरों और कस्बों में भी यह सेवा सुलभ है। अन्य स्थानों में भी इस सेवा का विस्तार करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

BALCO Production during 1974-75 and 1975-76

1450. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantum of productior of BALCO, Korba in 1974-75 and 1975-76;

(b) the rates at which the products were sold;

(c) the names of countries to which these were sold; and

(d) whether higher rates than those at which these products were sold abroad, were offered in the country itself?

The Deputy Minister in the Ministry of steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) (a) The quantum of production of BALCO, Korba in 1974-75 and 1975-76 is as under:—

	Calcined Alumina	Aluminium ingots
1974-75	55,350 tonnes	Nil
1975-76 (Upto Dec. '75)	55,970 tonnes	10,676 tonnes

(b), (c) & (d). Bharat Aluminium Company exported alumina to USSR, Indonesia, Thailand and Spain. It is not in the public interest to disclose details of these commercial transaction.

Raising of Foreign Postal Rates

1451. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether postal rates for foreign mail have been raised recently?

Minister of Communications Dr. Shanker Dayal Sharma: Yes, Sir, With effect from 1-1-1976.

कोंकण यात्री स्टीमर सेवा

1452. **श्री मधु दंडवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण यात्री स्टीमर सेवा के मुगल लाइन्स द्वारा प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व उसके किरायों की तुलना में इस समय किरायों की स्थिति क्या है ;

(ख) किरायों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं ; और

(ग) किराये कम करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (ग). कोंकण यात्री सेवा 8-11-1973 से मुगल लाइन को सौंपे जाने के पूर्व उसके किराये निम्न प्रकार थे :--

बम्बई से डेक श्रेणी के लिये

(पत्तन) को	रुपये
जनजोरा	4.45
दभोल	7.00
जयगढ़	8.70
रत्नगिरि	8.70
मुसाका जी	10.45
जेतापुर	10.90
विजयदुर्ग	11.35
देवगढ़	13.20
वेनगुर्ला	15.70
पनजी	20.80

इस सेवा के चलाने में हो रही हानि को कम करने की दृष्टि से यात्री किराया 4-11-74 तक 124 प्रतिशत के कुल प्रतिशत तक चरणों में बढ़ाया गया, परन्तु 1975 में स्थिति की समीक्षा की गई और 1-5-1975 से किरायों में कुछ कमी की गयी। वर्तमान किराया और इस सेवा को लेने से पहले के किरायों में उनकी प्रतिशतता वृद्धि नीचे दिखाई गई है :--

बम्बई से डेक श्रेणी के लिये

(पत्तन) को	मौजूदा किराया	सेवा लेने से पूर्व किराये में प्रतिशतता वृद्धि
	पये	
जनजोरा	9.00	102.25
दभोल	15.00	114.29
जयगढ़	19.00	118.39
रत्नगिरि	19.00	118.39
मुसाका जी	23.00	120.10
जेतापुर	24.00	120.18
विजयदुर्ग	25.00	120.26
देवगढ़	25.00	89.39
वेनगुर्ला	27.00	71.97
पनजी	35.00	68.27

हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक डाक तथा दूरसंचार सर्किल बनाया जाना

1453. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक डाक तथा दूरसंचार सर्किल बनाने के अनुरोध पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख) वर्तमान पश्चिमोत्तर सर्किल को दो भागों में बांट कर हिमाचल प्रदेश के लिए बिना किसी लागत के आधार पर एक अलग डाक व दूर संचार सर्किल बनाने के सिद्धान्त रूप में फैसला कर लिया गया है। इसका मुख्यालय शिमला में होगा। आगे के ब्यौरे राज्य सरकार के साथ परामर्श करके तैयार किये जा रहे हैं। राज्य सरकार को मकान आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में लिख दिया गया है।

हिन्द मजदूर सभा की समानान्तर समितियाँ

1454. **श्री मधु दण्डवते :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् हिन्द मजदूर सभा के, जो कि एक केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठन है, कुछ सदस्यों ने अनधिकृत रूप से केन्द्रीय सभा का पुनर्गठन किया और नये पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया ; और

(ख) क्या इन घटनाओं के परिणामस्वरूप हिन्द मजदूर सभा की दो समानान्तर समितियां काम कर रही हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) : भारत सरकार, यह जानते हुए कि हिन्द मज़दूर सभा में महासचिव की स्थिति सम्बन्धी एक आन्तरिक विवाद उत्पन्न हो गया है, श्रम मन्त्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों के लिए हिन्द मज़दूर सभा के प्रतिनिधियों के नामांकन और सम्बद्ध मामलों के बारे में हिन्द मज़दूर सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करती आ रही है।

Sea Passenger Service with other Countries

1455. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the countries with which India is having sea passenger service at present;

(b) whether Government propose to introduce passenger service to some other countries also; and

(c) if so, their names and by what time?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) A statement giving the required information is attached.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Name of Shipping Company	Name of services	Countries covered
1. Shipping Corporation of India Ltd.	(i) India/East Africa Mauritius.	Kenya/Tranzania/Mauritius/ Seychelles.
	(ii) India/West Asia (Gulf)	Oman/UAE/Kuwait/ Behrain/Qatar.
	(iii) Madras/Malaysia/ Singapore.	Malaysia/Singapore.
	(iv) India/Sri Lanka (Rameswaram/Talaimanar)	Sri Lanka.
2. Mogul Line Ltd.	(i) Pilgrim/Passenger Service (during Haj Session)	Saudi Arabia.
	(ii) West Asia Gulf Service.	Oman/U.A.E./Qatar/ Bahrain/ Saudi Arabia/ Kuwait.
	(iii) Burma Repatriate Service (as and when required)	Burma
3. Damodar Bulk Carriers Ltd., (by chartered vessel)	Bombay/West Asia (Gulf)	Muskat/Dubai/Bahrain/ Kuwait/ Doha.

Number of Cargo and passenger ships

1456. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state:

(a) the number of cargo and passenger ships in operation at present;

(b) whether the Shipping Corporation of India and Government have chartered eargo and passenger ships from other countries ; and

(c) if so the countries from which chartered, their number as also the terms of charter ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) The number of cergo and passenger ships in the Indian fleet as on 31-12-75 are as follows:

Cargo ships	314
Pessenger ships	16

(b) and (c) : Government do not charter ships. The ships are chartered by the shipping companies. The Shipping Corporation of India have three foreign ships on charter at present the particulars of which are given below:—

S. No.	Name of Vessel	Country	Terms of charter
1	m.v. Neptune	Greece	For a period of 225 days from 4-6-75 at US$ 1850 per day.
2	m.v. Fuente	Panama	About 5 months from 13-12-75 at US$ 0·51 per cubic feet per month for hold capacity of 144629 cubic feet.
3	m.v. Jupiter	Greece	For a period of 175 days from 14-9-75 at US$ 2000 per day including overtime. In addition to a lump sum of $5000 as average premium.

Road Accident in Delhi

1457. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

the number of persons died in road accidents in Delhi in 1975;

(b) the number of cases in respect of which Government have taken legal action; and

(c) the steps taken by Government to check accidents effectively?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh): (a) 657 persons.

(b) 657 cases were registered against the offenders.

(c) Delhi Administration have intimated that the following steps have been taken by them to check these accidents effectively:—

(i) A number of projects involving widening of roads, improvement in road intersections, provision on footpaths and cycle-tracks, construction of fly-overs and under passes and construction of over bridges for pedestrians have been taken up or being taken up to bring down the traffic congestion and reduce changes of conflict in the flow of traffic;

(ii) Proposals for the development of parking places are also under consideration;

(iii) Road Safety Education propaganda was carried out by the Delhi Traffic Police for the benefit of all categories of road users. Traffic Police has organised a schools road safety corps in a large number of schools in which cadets have been trained in elementary traffic control and observance of various road safety rules. Lectures are also delivered by Traffic Officers to students, teachers, drivers of vehicles and other road users in order to inculcate road safety consciousness anongst them. In addition, road safety instructions are also broadcast by means of Public Address equipment. Road safety propaganda is carried out through hoardings, cinema slides, distribution of literature like pamphlets, leaflets and posters etc.

(iv) A special road safety education and publicity cell has been sanctioned by the Delhi Administration, Delhi.

(v) Officers of Traffic Police constantly patrol their areas and also carry out special raids for ensuring smooth flow of traffic and bringing to book offenders on road.

(vi) A traffic advisery committee, with Deputy Commissioner as Chairman and representatives of Traffic Police, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee, P.W.D, D.D.A. and other oncerned as members has been constituted to discuss various proposals for improvement of traffic conditions.

तलकर्षण निगम की स्थापना

1458. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तलकर्षण निगम की स्थापना कर दी गयी है ;

(ख) इसके पास विभिन्न क्षमताओं के कितने आधुनिक तलकर्षण जहाज हैं ;

(ग) क्या प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर सारा तलकर्षण कार्य इस निगम को सौंपने का विचार है ; और

(घ) यदि हां तो निगम विशेष तलकर्षण समस्याओं तथा हुगली नदी की, विशेषताओं का सामना करने के लिए विशेषज्ञता का किस प्रकार अर्जन करेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम त्रिवेदी) : (क) सरकारी क्षेत्र में "ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०" नाम का एक उपक्रम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। आगे की अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(ख) निगम के पास स्थापित होने पर शुरु में 6 निकर्षक होंगे। दो और निकर्षकों के लिए आदेश दिए गए हैं।

(ग) निकर्षण क्षेत्र में निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :–

(i) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय निकर्षण संगठन से वर्तमान निकर्षकों और सम्बन्धित उपस्करों को अपने अधिकार में लेना और उन्हें व्यापारिक ढंग से चलाना ताकि देश में, जहां तक हो सके, निकर्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ii) निकर्षण अनुरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब जरुरत हो, बड़े और छोटे पत्तनों की सहायता करना और इस कार्य के लिए पत्तन के अपते निकर्षण बेड़े की व्यवस्था अधिग्रहण उन शर्तों पर करना, जैसा कि निश्चय किया जाय।

(iii) पत्तनों के विकास के लिए योजना कार्यक्रमानुसार समेकित निकर्षण कार्यों को योजनाबद्ध करके निष्पादित करना।

उपरोक्त से यह मालूम हो जायेगा कि भारतीम पत्तनों पर उस समय तक निगम को अनुरक्षण निकर्षण कार्य सौपने का विचार नहीं है; जब तक कि किसी पत्तन के विशेष कार्यों द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता न हो।

(घ) इस समय कलकत्ता अथवा हल्दिया का अनुरक्षण निकर्षण कार्य प्रस्तावित निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Commemorative Stamp in the Memory of Late Shri Makhan Lal Chaturvedi

***1459. Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether a large number of organisations and individuals have urged upon Government to issue a Commemorative Stamp in the memory of the renowned literateur, the late Shri Makhan Lal Chaturvedi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) (a) & (b). The proposal was received from the Hon'ble Member in 1970, and was placed before the Philatilic Advisory Committee on 19-10-70, but the Committee did not recommend the same. The proposal is, however, being reconsidered.

Public call offices in M.P.

†1460 **Shri G. C. Dixit.** Will the **Minister of Communications** be pleased to state:–

(a) the number of Public Call Offices set up in Madhya Pradesh during 1975; and

(b) whether each block headquarter is equipped with a Public Call Offices?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) 38.

(b) No, Sir. Out of 457 Block Headquarters, 307 are provided with PCOs and approval for PCOs at 75 more Block Headquarters has been issued.

Registraion for New Telephone Connections in Madhya Pradesh.

***1461 Shri G. C. Dixit.** Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) the number of applicants who got their names registered with the Depatment for new telephone connections in Madhya Pradesh upto December, 1975; and

(b) the time by which new telephone connections would be given to them?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) & (b) The number of applications pending in Madhya Pradesh upto December, 1975 is as follows:—

O.Y.T.	NON-OYT
133	8485

The delay in provision of new connections is due to a shortage of exchange capacity, line stores and underground cables. Efforts are being constantly made to expand the telephone systems to meet the pending demand to the maximum possible extent as early as possible within the available limited resources. About 1800 new connections are likely to be given within the next three months, and the remaining applicants will be gradually provided with telephone connections subject to availability of exchange capacity.

हिन्दुस्तान स्टील लि० के उर्वरकों की वितरण

*1462. **श्री माधोराम शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० कलकत्ता द्वारा उर्वरकों के वितरण के लिए वितरक नियुक्त करने के लिए कोई सिद्धान्त और अर्हताएं नियत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान स्टील लि० की अपनी रासायनिक खाद का वितरण करने की नीति थोक व्यापारियो की मार्फत करने की है। थोक व्यापारियों में यह सहकारी समितियां, राजकीय कृषि उद्योग निगम तथा ऐसी पार्टियां भी शामिल है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो।

हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा बनाया गया उर्वरक

*1463. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० में 1975 में कुल कितने अर्वरक का उत्पादन हुआ ;

(ख) बेरोजगार शिक्षितों, अपंग सैनिकों अथवा सैनिकों के आश्रितों की तुलना में कितनी मात्रा बड़े व्यापारिक गृहों के माध्यम से बेची गई ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के उत्पाद गैर सरकारी क्षेत्र के माध्यम से बेचने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1975 में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने कुल 3,46,900 टन उर्वरकों का उत्पादन किया।

(ख) और (ग) उर्वरकों का वितरण उन बहुत से अभिकरणों जिनमें सहकारी संस्थाएं राज्य विपणन अभिकरण और प्राइवेट पार्टियां शामिल हैं द्वारा वितरित किया जाता है जिनकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी होती है और जो अच्छी तरह वितरण करने की अपेक्षित क्षमता रखते हैं। बड़े व्यापारिक गृहों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है।

पत्तनों की दरों को युक्ति संगत बनाना

***1464. श्री मधु दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत के मुख्य तथा प्रमुख पत्तनों को परामर्श दिया है कि वे अपने बजटों में समानतः लायें और सुनिश्चित करायें कि वे उपयोगी सेवा की भांति नहीं अपितु वाणिज्यिक ढंग से कार्य करें ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पत्तन दरों को युक्ति-संगत बनाने तथा प्रशासनात्मक व्यय में कमी करने पर इस दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख). 1975–76 के वर्ष की दौरान बड़े पत्तनो की अर्थव्यवस्था की व्यापक रूप से समीक्षा की गई। संस्थापन लागत में वृद्धि और ऋण प्रभारों में अत्याधिक वृद्धि की निकर्षण लागतों तथा समाग्री और परिचालन लागतों में सामान्य वृद्धि के कारण पत्तनों की देयताओं में वृद्धि हो जाने से यह अवश्यक हो गया। अतिरिक्त राजस्व के लिए साधनों को जुटाते हुए और निम्नलिखित बातों को हिसाब में लेते हुए दर प्रणाली को भी युक्तियुक्त बनाया गया है :–

(1) (सेवाओं अथवा सुविधाओं) की लागतों और उन पर लगाये प्रभारों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।

(2) पत्तनों के पास पर्याप्त राजस्व होना चाहिए जिससे विकास, बदल पुर्नवास और परिसम्पतियों का आधुनिकीकरण करने के लिए व्यवस्था करने हेतु धन अलग से रखा जा सके।

(3) अन्तिम सिफारिशों को करते समय पत्तनन्यास बोर्डों को ऐसे प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ा जो मोजूदा पद्धित में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण सामान्यतः हमारे समुद्रपार व्यापार पर और विशेषकर पत्तन के द्वारा उठाई व्यापार पर पड़ने की संभावना है।

पत्तनों से यह भी कहा गया है कि वे प्रबन्धक लेखा और नियंत्रण विधियां से व्यय कड़ा पर नियंत्रण करें और वाणिज्यिक कुशलता के साथ सेवा संगठनों का परिचालन करें।

2921 (ai) LS—5.

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

1465. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटग्रस्त कपड़ा मिलों पर उनका राष्ट्रीयकरण किए जाते के समय भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया थी।

(ख) इन बकाया राशियों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े क्या है ; और

(ग) इन बकाया राशियों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) और (ख) : 31–10–1975 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत रुग्ण कपड़ा मिलों के नाम राष्ट्रीयकृण से पूर्व की अवधि के लिए तथा राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के लिए क्रमश: 741.56 लाख रुपये और 27.83 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय राशियां यथासंभव शीघ्र वसूल हो जाए, हर सभव प्रयास किया जा रहा है। 31–10–1975 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत 68 मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। अधिनियम की धारा 14 के अधीन 84 मामलों में अभियोजन आरम्भ किए गए है।

Introduction of River Service from Patna to Dorighat

1466. **Shri Chandrika Prasad** Will the Minister of **Shippinng and Transport** be pleased to state whether water transport which was to be intrcducrd frcm Patra to Dcrighat has since been started?

Ministry of State in the Ministry of Shipping and Trarsport (Shri H.N. Trivedi N8. Sir.

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार

1467. **श्री पी० जी० मवलंकर :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974 तथा 1975 में पुरानी तथा नई दिल्ली दोनों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई सुधार हुआ है तो क्या उससे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कोई कार्यकुशलता तथा नियमितता आयी है और यदि हां, तो क्या उक्त सुधार को दिल्ली में जारी रखा जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ररबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नगर में दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार करने के लिए किये गये मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) सेवाओं में वृद्धि और नवीन डिजाईन पद्धति के अन्तर्गत मार्गों का पुनर्निर्धारण करना, ।

(2) बस बेड़े के रखरखाव में सुधार करने के लिए नये डिपुओं का निर्माण, ।

(3) बेरोजगार स्नातकों के लिए स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत मिनी बसों का परिचालन ।

(4) रात्रि सेवाओं को शरू करना

(5) समान भाड़ा पद्धति को शुरू करना ।

(6) अधिक धुआं छोड़ने वाली बसों को कम करके वायु दूषण को रोकना ।

(7) एम०सी०सी०, पुलिस के कर्मचारियों तथा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सहायता से बड़े बड़े बस स्टापों पर लाईन में खड़े होने की पद्धति को लगू करना ।

(8) जांच पद्धति को और गहनतम बनाकर राजस्व के स्राव को रोकना ।

(9) नई दिल्ली में सरकारी परिवहन पद्धति को सुदृढ़ बनाने और इन में सुधार करने के लिए सरकार के ठोस उपायों में और वृद्धि करने के लिए नयी दिल्ली नगर पालिका ने दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन नियन्त्रण में 20 सिटी टाईप बसें (10 बसें 1974–75 में और 10 बसें 1975–76 में) चलाई थीं ।

(ग) जी, हां ।

Pending Telephone Connections in Patna

*1468. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether applications of many persons for telephones in Patna are pending;

(b) if so the number thereof and the period of their pendency; and

(c) the reasons for the delay?

Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma)

(a) & (b) The category-wise number of applications for new telephone connections in Patna as on 1-1-76 is as follows:

Name of Exchange	Waiting List	
	OYT	Non-OYT
(i) Patna Main	167	986
(ii) Rajendra Nagar . . .	Nil	593
(iii) Patna City	Nil	102
(iv) Danapur	Nil	73

The oldest application for new telephone connection is pending since 3-6-72 at Patna Main Exchange.

(c) The delay in providing new telephone connections had been due to insufficient capacity which is being expanded. The pending OYT applications are expected to be cleared by the end of March, 1976, and the present non-OYT applications by the end of 1976.

Employees of "Searchlight" and "Pradeep"

1469. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Labour** be pleased to state :

(a) whether the working journalists and the employees of the "Searchlight" and "Pradeep" have not been provided with facilities in accordance with the recommendations made by the Wage Board for Journalists ; and

(b) if so, the action taken by Government to ensure that the recommendations are fully implemented ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) :– The matter falls in the state sphere. In a communication received from the Government of Bihar in December, 1974, it was reported that the recommendations of the Wage Board for Working Journalist stood implemented by Bihar Journals, Patna (Search light and Pradeep).

ANTI-INDIA PROPAGANDA BY CHINA

*1470. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Maoist China has intensified its anti-India propaganda for the last few months;

(b) If so, the nature of the propaganda; and

(c) the action taken by Government to counteract the false propaganda ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipanpal Das) : (a) & (b) Till very recently, China had been indulging in sustained anti-Indian propaganda. China's anti-India propaganda included allegations about Soviet influence over India, India so-called "expansionist" designs on her neighbours, as well as interfering in our internal affairs by criticising developments in Sikkim and the declaration of emergency. However, no intensification of anti-Indian propaganda has been noticed in the last month or so.

(c) The Government constantly endeavours to counter Chinese propaganda by presenting the true facts in a dignified and restrained manner.

भूतपूर्व शिशिक्षुओं के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण

1471. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् ने भारत सरकार से ऐसा प्रस्ताव किया है कि उद्योगों पर भूतपूर्व शिक्षुओं के लिये 50 प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित रखने का दायित्व होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) : जी नहीं । केन्द्रीय शिक्षुता परिषद ने 31-7-1975 को हुई अपनी बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया, परन्तु वह इन रिक्त स्थानों के सांविधिक आरक्षण के पक्ष में नहीं था ।

पहली पाली में कोयला खानों में दुर्घटनाओं का होना

1472. श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस अध्ययन की ओर दिलाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि कोयला खान को पचास प्रतिशत घातक दुर्घटनाएं पहली पाली में हुई थीं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया है, जिनकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं मुख्यतः पहली पाली में ही होती हैं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) और (ख) छत और पार्श्वों के गिरावों के कारण 1973—74 वर्षों की दुर्घटनाओं की, भारत के मुख्य खान निरीक्षक द्वारा किए गए अध्ययन का एक निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

"घातक दुर्घटनाओं में से 50 प्रतिशत पहली पारी में घटित होती हैं जब कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल का एकत्रीकरण अधिक होता है। स्वभावतः, सुरक्षात्मक कार्य स्थल को सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व को इस आधार पर न्यूनतम ध्यान दिया जाता है कि यदि कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो उत्तरदायित्व अनेक अधिकारियों में बांटा जा सकता है।"

(ग) पूर्वोक्त अध्ययन में अनेक व्यापक सुझाव दिए गए हैं। प्रबन्ध के सभी प्रबन्ध निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों का, अध्ययन के परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए, इस विषय पर सम्बोधित किया गया है और सुरक्षा परिनियम का दृढ़तर अनुपालन करने के लिए सिफ़ारिशें की गई हैं।

अनेक स्थानों पर चुंगी शुल्क व्यवस्था का समाप्त किया जाना

1473. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य को निर्बाध परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के विचार से सरकार ने विभिन्न राज्यों में फ़ैली अनेक स्थानों पर चुंगी शुल्क एकत्र करने की व्यवस्था को समाप्त करके एक स्थानीय केन्द्रीय कराधान व्यवस्था लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : इकहरे कराधान से विभिन्न राज्यों में फ़ैली अनेक स्थानों पर चुंगी शुल्क एकत्र करने की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है। तब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार संशोधनों के साथ, यदि कोई हो अपने क्षेत्र में जांच चौकियों को एक ही स्थान पर करने की सम्भावना पर विचार करें।

दिल्ली परिवहन निगम में बिना टिकट यात्रा

1474. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन ने बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध और निगम को धोखा देने वाले कण्डक्टरों को दण्ड देने के लिए एक अभियान प्रारम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन की बसों की समय की पाबन्दी और आवृत्ति में सुधार करने के लिए भी कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(घ) पिछले कुछ महीनों से निगम द्वारा चलाये गये गहन जांच अभियान से बसों में बिना टिकट यात्रा से राजस्व की चोरी में पर्याप्त कमी हुई है तथा निगम की आय में वृद्धि का यह एक मुख्य कारण माना गया। परन्तु राजस्व वृद्धि के शब्दों में अभियान का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) मार्ग पद्धति के ढांचे का पुनः निर्धारण, रख रखाव पद्धति का सुदृढ़ीकरण तथा बस बेड़े में विस्तार कुछ मुख्य उपाय हैं जिनके कारण सेवाओं की नियमितता तथा बारम्बारता में सुधार आया है।

गोरखपुर से लखनऊ अथवा दिल्ली तक सीधे टेलीफोन सम्पर्क

1475. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर से लखनऊ या दिल्ली तक सीधे टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) गोरखपुर का लखनऊ और दिल्ली दोनों के साथ सीधा टेलीफोन सम्बन्ध है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धरेन्द (आनन्दनगर) ननतनवा, सिसवा, बढ़ालगंज स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

1476. **श्री नरसिंह नारायण पांडेय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धरेन्द (आनन्द नगर) से नातनवा, सिसवा, बढ़ालगंज स्थित टेलीफोन एक्सचेंज ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं को ट्रंक काल नहीं मिलती ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख). पहले बिजली की सप्लाई में अक्सर और लम्बे समय तक कटौती होने के कारण धरेन्द्र (आनन्द नगर), नवतनवा, सिसवा और बढ़ालगंज के टेलीफोन एक्सचेंजों की सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। किन्तु जब से आपात स्थिति लागू हुई है, बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है और अब ये एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं ;

ताम्बे के तार की चोरियां होने के कारण इन छोटे आटोमेटिक एक्सचेंजों के ट्रंक यातायात में रुकावट आती थी। आपात स्थिति लागू होने के बाद से चोरी की घटनाएं कम हो गई हैं और इसके फलस्वरूप प्रभावी ट्रंक कालों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

इन एक्सचेंजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के फाल्ट कण्ट्रोल ओपरेटर नियमित रूप से रोजाना विभिन्न एक्सचेंजों के कई टेलीफोन नम्बरों पर घण्टी करते हैं जो खराबियां जानकारी में आती हैं उन्हें दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है ?

पश्चिम बंगाल में नये डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन

1477. **श्री टुना उरांव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में पश्चिम बंगाल में कहां-कहां डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन खोले गए ; और

(ख) वर्ष 1975–76 में पश्चिम बंगाल में जहां-जहां डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). वांछित सूचना सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10278/76]

आल इंडिया यंग वूमन कन्वेंशन

1478. **मौलाना इसहाक सम्भली**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्तूबर, 1975 में त्रिवेन्द्रम में आयोजित आल इंडिया यंग वूमन कन्वेंशन के मंच से की गई इस मांग की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि उद्योग के सभी क्षेत्रों शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य सभी सेवा संस्थाओं में महिलाओं के लिये नौकरियों का 25 प्रतिशत आरक्षित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सिफारिश/संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल मीलदूरी की तुलना में सड़क मीलदूरी का लागत लाभ

1479. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों में जितने मील लम्बा रेल मार्ग पूरा किया गया है उसकी तुलना में सड़क मार्ग की लागत लाभ क्षमता क्या है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विद्यमान सड़क मार्गों में सुधार करने के लिये उड़ीसा को वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कटक और पारादीप के बीच, केवल 84.31 कि०मी० दूरी वाली रेल मार्ग उड़ीसा राज्य में पूरा किया गया है जिसकी लागत 10.85 करोड़ रुपये है। निवेश पर लाभ 10.43 प्रतिशत है (जोकि रूढ़िगत तरीके से है)। पिछले तीन वर्षों से उड़ीसा में पूरी की गई सड़क-दूरी का ब्यौरा तथा उस पर लागत लगभग सम्भावनाओं के बारे में अभी उड़ीसा सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उन्हें भेज दिया जायेगा।

(ख) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम से है। इस निगम को मई, 1974 में निगमित किया गया। 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार (रेलवे) ने निगम को 53.52 लाख रुपये दिये। 1976-77 में राज्य सरकार ने 100 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा है। 1976-77 के रेल बजट में इस निगम के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

समुद्री प्रशिक्षण जहाज "डफरिन" की बिक्री

1480. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री प्रशिक्षण जहाज 'डफरिन' कबाड़ के रूप में बेचने का निर्णय किया है;

(ख) क्या मरचेंट मेरिन्स की तीन ऐसोसिएशनों द्वारा प्रायोजित इस जहाज को संग्रहालय के रूप में बदलने संबंधी योजना पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जहाज को समुद्र के तट पर लगाने की परियोजना और इसे समुद्री संग्रहालय में बदलने में अधिक पूंजीगत व्यय (3 करोड़ रुपये से अधिक) होने के कारण संस्थान योजना पर कार्यवाही न कर सका और तब सरकार ने प्रशिक्षण जहाज "डफरिन" कबाड़ के रूप में बेचने का निश्चय किया।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त चिकित्सा कालेज खोलने के बारे में की गई माँग

1481. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष की इस मांग पर ध्यान दिया है कि चिकित्सा कालेजों की संख्या में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विचार से सहमत है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दिसम्बर, 1975 में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन को बरेली में हुई बैठक में मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने कहा था कि देश में मेडिकल कालेजों की संख्या में और वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(ख) सरकार का भी यही मत है कि देश में मेडिकल कालेजों की संख्या में निकट भविष्य में कोई वृद्धि न की जाये और फिलहाल चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के बजाय उसके संगठन पर जोर दिया जाये।

आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी के लिए पृथक्-पृथक् परिषदों का गठन

1482. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी के लिये पृथक्-पृथक् परिषद् गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये परिषदें इन चिकित्सा प्रणालियों के व्यवसायियों के मध्य कम से कम चिकित्सा-संबंधी एकरूपता तथा व्यवसायिक मानकों का सुनिश्चय कर सकेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) आयुर्वेद; सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा औरहोम्योपैथी के लिए एक-एक परिषद् के हिसाब से छः केन्द्रीय परिषदें गठित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था; किन्तु इस पर फिर से विचार करने पर उपर्युक्त प्रत्येक पद्धति के लिए अब एक-एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के चिकित्सकों के मध्य थोड़ी बहुत एकरूपता रहे और इनके व्यावसायिक मानक बने रहें इन बातों को देखने के लिए भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् बनी हुई है जबकि होम्योपैथी के क्षेत्र में यह कार्य होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् करती है।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास

1483. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास की योजना तथा उसकी प्राथमिकता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य के लिए निर्धारित धनराशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त है; और

(ग) उड़ीसा को इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र के विकास की योजना में सड़कों को प्राथमिकता दी गई है। परन्तु जनजाति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कों का विकास साधारणतया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और अन्य संबंधित कार्यों जैसी राज्य योजना कार्यों के भाग के रूप में संबंधित राज्य को करना होता है। परन्तु पांचवीं योजना प्रारूप में राज्य में जनजाति क्षेत्रों के विकासार्थ केन्द्रीय सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों जैसी राज्य योजना कार्यों में उपलब्ध व्यवस्था के अतिरिक्त है। परन्तु 200 करोड़ रुपये की इस राशि का वितरण बाजार सुविधा सहायता, उदार ऋण सुविधाओं के लिए मशीनरी पैदा करना आदि जैसे कुछ मानदण्डों के अनुसार किया जाना है। इस आधार पर उड़ीसा सरकार को निम्नलिखित कार्य करने के लिए 1974–75 और 1975–76 में क्रमशः 86 लाख और 292 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है :—

(1) परियोजनाएं बनाना और आवश्यक सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करना।

(2) प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना और उसका पुनर्संगठन करना,

(3) भूमि रिकार्ड तैयार करना,

(4) ऋण एवं मार्किट ढांचा बनाना और इसे सुदृढ़ बनाना,

(5) ऋण मुक्ति योजना,

(6) वृक्षारोपण योजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य,

(7) लघु सिंचाई योजनाओं को निष्पादित करना।

जनजाति विकास परियोजनाओं के लिए उड़ीसा की उपयोजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्टेनलेस स्टील तथा सर्जीकल स्टील का निर्माण

1484. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलैस स्टील तथा सर्जीकल स्टील का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) अब तक इस क्षेत्र में हुई उपलब्धियों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय देश में तीन कारखाने नामतः मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर, मैसूर आयरन एंड स्टील, भद्रावती और मैसर्स महेन्द्रा यूजीन स्टील कम्पनी लि०, बम्बई बेदाग इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। दुर्गापुर का मिश्र इस्पात का कारखाना बेदाग इस्पात का उत्पादन चपटे तथा अचपटे उत्पादों के रूप में करता है जबकि अन्य दो निर्माता केवल अचपटे उत्पाद ही बनाते हैं। आयातित गर्मबेलित स्ट्रिप से ठण्डी बेलित बेदाग स्ट्रिप तैयार करने के लिए कुछ दूसरी इकाइयों को भी लाइसेंस दिये गये हैं।

गत तीन वर्षों में बेदाग इस्पात तथा ऊष्मा प्रतिरोधक इस्पात (सर्जीकल स्टील भी शामिल है) का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

	(टन)
1972–73	3,942
1973–74	6,898
1974–75	8,527

अप्रैल–सितम्बर, 1975 की अवधि में वास्तविक उत्पादन 4783 टन हुआ और यह अनुमान है कि चालू वर्ष में कुल उत्पादन लगभग 9500 टन हो जाएगा। सर्जीकल स्टील के उत्पादन के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

बेदाग इस्पात की आवश्यकता और इसकी उपलब्धि के अन्तर को कम करने के लिए सेलम स्टील लि० में 70,000 टन चदारों/स्ट्रिपों की क्षमता बनाई जा रही है। इस कारखाने के छठी योजनावधि में चालू हो जाने की सम्भावना है। आशा है इस कारखाने के चालू हो जाने से तथा मैसूर आयरन एंड स्टील लि० और महेन्द्रा यूजीन स्टील कम्पनी के विस्तार से देश में बेदाग इस्पात की अधिकांश श्रेणियों की समस्त आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी।

सभी राज्यों की राजधानियों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सेवायें

1485. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों को राजधानियों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली के साथ मिलाया जायेगा; और

(ख) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या हैं जिनका इस समय डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली के साथ सम्पर्क है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) यह फैसला किया गया है कि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए सभी राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से उत्तरोत्तर जोड़ दिया जाये।

(ख) इस समय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए नीचे लिखे राज्यों की राजधानियां दिल्ली से जुड़ी है।

राजधानी	राज्य
(1) बम्बई . .	महाराष्ट्र
(2) भोपाल . . .	मध्य प्रदेश
(3) चण्डीगढ़ . .	पंजाब, हरयाणा और चण्डीगढ़ का संघ शासित क्षेत्र।
(4) जयपुर . . .	राजस्थान
(5) लखनऊ .	उत्तर प्रदेश
(6) मद्रास . . .	तमिलनाडु
(7) पटना . . .	बिहार
(8) शिमला . . .	हिमाचल प्रदेश
(9) श्रीनगर . . .	जम्मू और काश्मीर।

बंगला देश को ऋण तथा राज सहायता

1486. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश को गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी राशि का ऋण तथा राजसहायता प्रदान की गई है तथा किन शर्तों पर प्रदान की गई है ; और

(ख) क्या उक्त ऋणों में से किसी ऋण की वापस अदायगी आरम्भ हो गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) सदन की मेज पर विवरण रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया।देखिए संख्या एल० टी० 10279/76]

(ख) केवल एक ऋण की वापसी शुरू हुई है, यह 8.1 करोड़ रूपये का ऋण 5,00,000 टन कच्चे तेल की सप्लाई के लिए 1972 में दिया गया था।

चेचक के कारण हुई मौतें

1487. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में (i) 1973-74, (ii) 1974-75 तथा (iii) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक कितने लोगों को चेचक रोग हुआ और उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1973–74 . . .	1,09,060	17,354
1974–75	1,45,638	25,097
1975–76	130	17

(केवल अप्रैल और मई 1975—क्योंकि अन्तिम मामला 24 मई, 1975 को हुआ।)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केरल नौवहन को शामिल करना

1488. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उसकी 'नौवहन सेवा का विस्तार' योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल करके उसके लिये आवश्यक अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

केरल सरकार ने फेरी सेवा के विस्तार के लिये पांचवीं योजना में क्रियान्वित किये जाने के लिये नई योजना भेजी है जिसमें किन्हीं दस मार्गों पर सेवाओं को शुरू करने के लिये 20 आधुनिकीकृत नावों को खरीदने का प्रस्ताव किया गया है ।

चूंकि उक्त योजना पांचवीं योजना के मसौदे के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की शुरू की सूची में शामिल नहीं थी अतः राज्य सरकार से कहा गया कि वे बतायें कि क्या उनके लिये पांचवीं योजना में पहले से ही सम्मिलित योजनाओं की लागत के अन्दर नई योजना की लागत को शामिल करना संभव होगा । इस समय नीति निर्णय के रूप में केवल चौथी योजना के बचे हुये कार्य किये जा रहे है और पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल नई योजनाओं पर कार्य संसाधनों की स्थिति के अनुसार किया जायेगा ।

केरल में राष्ट्रीय राजपत्र कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना

1489. **श्री सी० जनार्दनन** । क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था न किये जाने के कारण केरल में राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम की क्रियान्वित की प्रगति धीमी पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में अतिरिक्त धनराशि देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) चालू वित्तीय कठिनाई के कारण पहले की अपेक्षा कम आवंटन से केरल सहित प्रायः सभी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति कुछ हद तक धीमी रही है यद्यपि केरल सरकार से इस बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) 1975–76 में केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के 180.00 लाख रुपए मूल आवंटन को बढ़ाकर 190.00 लाख रुपए कर दिया गया है ।

केरल में टेलैक्स एक्सचेंज केन्द्र

1490. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन नगरों और कस्बों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें टेलेक्स एक्सचेंज केन्द्र हैं ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल में ऐसे अन्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) केरल में पांच स्थानों यानी अलेप्पी, कालीकट, कोचीन (एर्नाकुलम), क्विलोन और त्रिवेन्द्रम में टेलेक्स एक्सचेंज काम कर रहे हैं ;

(ख) और (ग). पांचवीं योजना अवधि के दौरान कन्नानूर और कोट्टायम में 50 लाइन का एक-एक टेलेक्स एक्सचेंज क्रमशः वर्ष 1976 और 1977–78 में खोलने का प्रस्ताव है ।

आपात स्थित के दौरान उपलब्ध कराई गई नौकरियाँ

1491. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में रोजगार कार्यालयों ने आपात स्थिति के दौरान विभिन्न श्रेणियों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) जुलाई से दिसम्बर 1974 के दौरान उपलब्ध कराई गई नौकरियों का अनुपात क्या है ; और

(घ) जुलाई से दिसम्बर 1975 के दौरान कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हुए तथा कितते व्यक्तियों को नौकरियां मिल चुकी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). नवीनतम उपलब्ध सूचना 30 नवम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित है । 1 जुलाई से 30 नवम्बर, 1975 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा 1.82 लाख नौकरी चाहने वालों को रोजगार दिलाया गया ।

(ग) 1 जुलाई से 30 नवम्बर, 1974 की इसी अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या 1.51 लाख थी ।

(घ) उपलब्ध सूचना 1 जुलाई से 30 नवम्बर, 1975 से संबंधित है जो निम्न प्रकार है :–

पंजीकृत . . .	25.34 लाख
रोजगार में लगाए गए उम्मीदवार .	1.82 लाख। इस संख्या में पहले से पंजीकृत व्यक्ति भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों में से रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों के बारे में अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि

1492. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र में वर्ष 1961–73 के दौरान नौकरियों की संख्या 120.9 लाख से बढ़कर 188.2 लाख हो गई अर्थात् उनकी संख्या में 3.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की बुलेटिन के फरवरी, 1975 के अंक के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि-दर से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में यह वृद्धि-दर केवल 2.7 प्रतिशत वार्षिक ही रही ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

1493. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों या जिलों की नवीनतम रोड्स कांग्रेस द्वारा आंके गये या निर्धारित किये गये लक्ष्य के सामानान्तर लाने के लिए वहां सड़कों के निर्माण हेतु निधि या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो इस निधि को बांटने का अन्य तरीका क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का आशय 3 से 9 जनवरी, 1976 को हैदराबाद ; हुये भारतीय रोड्स कांग्रेस के 36 वें वार्षिक अधिवेशन से है। कांग्रेस 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सं० 21 के अन्तर्गत पंजीकृत एक प्राइवेट संस्था है और इसके वार्षिक अधिवेशनों में विचार विमर्श किये गये मामलों पर इसकी कार्य समिति द्वारा विचार किया जाता है और केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों को जहां कहीं आवश्यक हो विशेष सिफारिश की जाती है। भारतीय रोड्स कांग्रेस सचिवालय से यह विदित हुआ है कि कांग्रेस के 36 वें वार्षिक अधिवेशन में विचार विमर्श किये गये विभिन्न मामलों पर उनकी कार्य समिति को अभी विचार करना है। अतः भारत सरकार को उक्त अधिवेशन में सड़क विकास के लिये नियत अथवा अनुमानित लक्ष्यों के बारेमें यदि कोई हो भारतीय रोड्स कांग्रेस सचिवालय से कोई पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विभिन्न विषयों की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति सेवारत न हो उसके सदय को रोजगार देना

1494. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा अन्य रोज़गार एजेन्सियों को इस आशय के निदेश जारी करने का है कि जिस उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य को रोज़गार प्राप्त न हो उससे इस आशय का शपथ पत्र आवेदन-पत्र के साथ लेकर उसके लिए प्राथमिकता निश्चित की जाये ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मालाबार क्षेत्र में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

1495. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में, विशेषकर मालाबार क्षेत्र में, लौह-अयस्क, पारा आदि के निक्षेपों का पता लगाने के लिए किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कोई नये उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा मालाबार सहित केरल के विभिन्न भागों में पहले ही अनेक सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और ऐसे अनेक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। अब तक के सर्वेक्षण से मालाबार क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत औसत लौह तत्व वाले 800 लाख टन लौह अयस्क के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। पारे के लिए बड़ागरा में खोज की गई है किन्तु उसके परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं। इसके अलावा कन्नानोर में बॉक्साइट तथा पालघाट में फलक्श ग्रेड चूना पत्थर जैसे अन्य खनिजों का भी अनुमान लगाया गया है।

(ग) पता चला है कि केरल सरकार अन्य उद्योगों के साथ-साथ पोर्टलैंड-सीमेंट रिफ्रेक्ट्रीज आदि के निर्माण उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1496. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन के नये विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध होंगे;

(ख) आगामी बारह महीनों के दौरान कितने नये कनेक्शन दिये जायेंगे तथा कितने नये टेलीफोन केन्द्र खोल जायेंगे; और

(ग) जनता की कुल मांग पूरी करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). चालू विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले 12 महीनों के दौरान दिल्ली में लगभग 15,000 से लेकर 20,000 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे। ये कनेक्शन मौजूदा एक्सचेंजों से, उनका विस्तार होने पर, और निम्नलिखित नये एक्सचेंजों से दिये जायेंगे :—

ईदगाह–II . . .	10,000 लाइनों की क्षमता
जनकपुरी एम० ए० एक्स०–II .	400 लाइनों की क्षमता
हौज़ खास . . .	2,500 लाइनों की क्षमता
शक्ति नगर . . .	200 लाइनों की क्षमता
बादली एम०ए०एक्स०–II . .	200 लाइनों की क्षमता
जनपथ–II . . .	3000 लाइनों की क्षमता

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से और अधिक एक्सचेंज खोलने तथा मौजूद एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों।

दरभंगा (बिहार) स्थित मैडिकल कालेज के नेत्र विज्ञान विभाग (अपथालमालौजी डिपार्टमेंट) का दर्जा बढ़ाया जाना

1497. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अंधता निवारण हेतु राष्ट्रीय योजना के अंग के रूप में डी०एम० कालेज, दरभंगा (बिहार) के नेत्रविज्ञान विभाग का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

Posts and Grades of Doctors under C.G.H.S.

1498. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of posts of Doctors in various grades under Central Government Health Service Scheme;

(b) the scale of pay; and

(c) criterion for promotion therefor ?

2921 (ai) LS-6

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning: Shri A.K.M. Ishaque: (a) and (b). The number of posts of Doctors in various grades under C. G. H. Scheme and their scale of pay are as follows :

I. Allopathic	Designation of the post	No. of posts	Scale of pay (Pre-revised)
1. Supertine	Grade I of CHS	3	Rs. 1800—100—2000—125—2250
2. Supertime	Grade II of CHS	7	Rs. 1300—60—1600—100—1800.
3. Specialist	Grade	49	Rs. 600—40—1000—EB—50—1300.
4. G.D.O. Grade I		228	Rs. 450—30—660—EB—40—1100—50—1250.
5. G.D.O. Grade II		521	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—830—35—900.
II. *Dental*			*Revised*
1. Staff Surgeon (Dental)		2	Rs. 1300—50—1700.
2. Junior Staff Surgeon (Dental)		2	Rs. 900—40—1100—EB—50—1400.
3. Dental Surgeon		12	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB 40—1200.
III. *Indigenous System of Medicines* :			*Revised*
1. Ayurvedic Physician		22	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000— EB — 40—1200.
2. Homoepathic Physician		16	Do.
3. Unani Physician		3	Do.

The revised scales of pay for allopathic posts in the C.G.H. Scheme based on the recommendations of the Third Pay Commission are as below:—

Supertime Grade I

Level I Rs. 2500—125/2—2750.

Level II Rs. 2250—125/2—2500

Specialist Grade I **Supertime Grade II.**	Rs. 1800—100—2000—125/2—2250 Rs. 1500—60—1800—100—2000.
Specialist Grade II	Rs. 1100—50—1500—EB—60—1800.
Senior Class I Scale	Rs. 1100—50—1600.
Junior Class I Scale	Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(c) The criterion for promotion for the posts is as under :—

Allopathic

Supertime Grade I: Vacancies in Supertime Grade I are to be filled on the recommendation of the Departmental Promotion Committee by promotion on the basis of merit with due regard to :—

(i) Seniority of Officers holding posts in Supertime Grade II who have rendered not less than 6 years service in that category; and

(ii) The qualification and experience requisite for the vacancy to be filled.

Supertime Grade II. 50% of the vacancies in Supertime Grade II are to be filled by promotion of :—

(i) General Duty Officers Grade I with not less than 10 years' service in that category; or

(ii) Specialist Grade Officers with not less than 8 years' service in that category.

in the ratio of 2 :3 on the recommendation of a Departmental Promotion Committee on the basis of merit and seniority of the Officers concerned.

Specialist Grade: No. posts in Specialist Grade are filled by promotion. They are all filled by direct recruitment through Union Public Service Commission.

General Duty Officer Grade I. Vacancies in General Duty Officer Grade I are filled by promotoon of persons holding posts in General Duty Officer Grade II, or in amy post equivalent to such posts, who have rendered not less than 5 years of service in that grade.

General Duty Officer Grade II: All posts of General Duty Officer Grade II are filled by direct recuritment through Union Public Service Commission.

Dental:

The posts of Staff Surgeon (Dental) are filled by promotion of Junior Staff Surgeons (Dental), with 5 years service in the grade, failing which by direct recruitment through the U.P.S.C. The posts of Junior Staff Surgeon (Dental) are filled 50% by direct recruitment through Union Public Service Commission and 50% by promotion from Dental Surgeons with 3 years' service in the grade.

Indigenous System of Medicines:

There are no higher posts in these categories. As such, there are no promotion avenues for the present.

बिहार में नये डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

1499. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सीमागढी जिलों में गत तीन वर्षों में कितने नये शाखा डाकघर खोले गये अथवा मंजूर किये गये या मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या बिहार के मधुबनी जिले में बिस्फी और बाबू बराही, दोनों ब्लाक मुख्यालयों में, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने और शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र को बरास्ता बेनीपट्ठी सीधे मधबनी के साथ जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) वांछित सूचना नीचे दी जा रही है :—

जिला			1973 से 1975 तक खोल गये। मंजूर किये गये डाकघर	विचाराधीन प्रस्ताव
मधुबनी	.	.	8	8
दरभंगा	.		2	18
समस्तीपुर	.	.	3	5
सीतामढ़ी	.	.	16	3

(ख) बाबू बराही में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। बिस्फी से संबंधित प्रस्ताव की जांच की जा रही है। मौजूदा यातायात के आधार पर शहरघाट को बेनीपट्टी के रास्ते मधुबनी से सीधे जोड़ने के प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

Shri Bhan Singh Bhaura (Bhatinda): Sir Yesterday, in his reply the hon. Minister said that the transmitters seized in Dewas. M.P. had no connection with C.I.A.. but in to-days dapers it has appeared that....

अध्यक्ष महोदय: आप इसे इस समय नहीं उठा सकते। ध्यानाकर्षण की सूचना को मैंने अस्वीकृत कर दिया है। कल सदन में इस पर चर्चा हुई थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसद्‌ कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं दिल्ली नगरी कला आयोग अधिनियम, 1974 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10263/76]

इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कं० लि०, कलकत्ता का वर्ष 1974 का, भारतीय तेल निगम लि० बम्बई का वर्ष 1974–75 का, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि०, बम्बई का वर्ष 1974 का, कोचीन रिफाइनरीज लि० का वर्ष 1973 से 31–8–1974 तक का, इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का तथा लुब्रीजोल इंडिया लि०, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अन्सारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) (क) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष की कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षितलेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10264/76]

(दो) (क) भारतीय तेल निगम, लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10265/76]

(तीन) (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10266/76]।

(चार) (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 1 सितम्बर, 1973 के 31 अगस्त, 1974 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, का 1 सितम्बर, 1973 से 31 अगस्त, 1974 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10267/76]

(पांच) (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालम में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10268/76]

(छः) (क) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10269/76]।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा फिलिप्स इंडिया लि०, बम्बई, अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि०, अहमदाबाद, अतुल प्रोडक्ट्स लि०, अहमदाबाद; इंडिया पिस्टन्स लि०, मद्रास; बिड़ला जूट मेनुफैक्चरिंग कं० लि०, कलकत्ता और उससे सम्बन्धित केन्द्र सरकार के आदेश तथा उन्हें सभा पटल पर रखने में देरी सम्बन्धी वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिकक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1974 जो दिनांक 16 फरवरी, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 173 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा० सां० नि० 2595 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10270/76]

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 5 जुलाई, 1975 का आदेश।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 9 जनवरी, 1976 का आदेश।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 का आदेश।

(घ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड, मद्रास के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 21 जून, 1975 का आदेश।

(ङ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स बिड़ला जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 3 मई, 1974 का आदेश।

(दो) उपर्युक्त (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रतिवेदनों तथा उन पर सरकार के आदेशों के अंग्रेजी संस्करणों के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10271/76]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10272/76]

उर्वरक नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 24(ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10273/76]

भारत एल्यूमीनियम कं० लि०, नई दिल्ली की वर्ष 1974–75 की समीक्षा और प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10274/76]

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) मैं भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल० टी० 10275/76]

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(i) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ii) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

Evidence before Joint Committee

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 23 वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित 21 सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित समय के लिए अनुपस्थिति रहने की अनुमति दी जाए :

(1) श्री आर० आर० शर्मा	21 जुलाई, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र)
(2) श्री महादीपक सिंह शाक्य	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां० सत्र)
(3) श्री ज्योतिर्मय बसु	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(4) श्री हुकम चन्द कछवाय	21 जुलाई, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र)
(5) श्री मुख्तियार सिंह मलिक	21 जुलाई, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)

(6) श्री भागीरथ भंवर . .	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(7) श्री मधु लिमये .	21 जुलाई, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(8) श्री अटल बिहारी वाजपेयी . .	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(9) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 से (15 वां सत्र)
(10) श्रीमती बी०आर० सिंधिया	21 जुलाई, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(11) श्री रसिकलाल पारिख . .	5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(12) श्री शरद यादव . .	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी 1976 तक (15 वां सत्र)
(13) श्री मोराजी आर० देसाई .	5 अगस्त, से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(14) श्री ए० के० गोपालन .	5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)
(15) श्री मधु दण्डवते .	5 अगस्त से 7 अगस्त, 1975 तक (14 वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15 वां सत्र)

(16)	श्री राम धन . .	5 अगस्त से 7 अगस्त, 1975 तक (14वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15वां सत्र)
(17)	श्री श्यामनन्दन मिश्र. .	5 अगस्त से 7 अगस्त, 1975 तक (14वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15वां सत्र)
(18)	श्री रोबिन सेन .	5 जनवरी से 5 जनवरी, 1976 तक (15वां सत्र)
(19)	श्री फूल चन्द वर्मा .	5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15वां सत्र)
(20)	श्री जगन्नाथ राव जोशी	5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15वां सत्र)
(21)	श्री पीलू मोदी	21 जुलाई से 7 अगस्त, 1975 तक (14वां सत्र) और 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1976 तक (15वां सत्र)

क्या सभा समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दिए जाने को सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति रहने की अनुमति दी जाती है ।

सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

187वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, प्रत्यक्ष कर-निगम कर के अध्याय 2 पर लोक लेखा समिति का 187वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

77वाँ प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री के० नारायण राव (बोबिली): मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(एक) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड पर 77वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: PREVENTION OF PUBLICATION OF OBJECTIONABLE MATTER ORDINANCE AND PREVENTION OF PUBLICATION OF OBJECTIONABLE MATTER BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए 2 घंटे रखे गये हैं और अब $1\frac{1}{2}$ घंटे शेष हैं। श्री एच० एन० मुखर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और कुछ संशोधन हमने रखे हैं अतः इसमें 2 घंटे और दिए जाएं।

निर्माण और आवास तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): तीनों विधेयकों के लिए 6 घंटे निश्चित किए गये हैं। विपक्षी सदस्य अपने संशोधन रखें तथा मुझे समय को आधा घण्टा और बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : प्रैस परिषद् की समाप्ति, संसद् की कार्यवाही के निष्कपट प्रकाशन सम्बन्धी संरक्षण की समाप्ति तथा अब आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक लाकर सरकार ने तिहरी चोट की है। मुझे डर है कि भविष्य में हमें इस पर पछताना न पड़े क्योंकि ये हमारे देश के हितों के प्रतिकूल है।

यह विधेयक विदेशी शासन के अन्तर्गत 1931 में लागू किये गये उस कानून से प्रभावित होकर लाया गया है जिसकी उस समय घोर निन्दा की गई थी और इसे काला कानून कहा गया था। मैं नहीं चाहता कि 1976 से इस कानून को भी वही संज्ञा दी जाये। विधेयक में आक्षेपणीय सामग्री की जो परिभाषा दी गई है उससे वैध कार्मिक संघों की गतिविधियों पर भी प्रतिबन्ध लगता है। मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर हमें सरकार के अब तक के व्यवहार को ही देखना है न कि उसके कथन को। क्योंकि सरकार ने कहा है कि वह प्रैस परिषद् के बारे में बड़ी गम्भीर थी पर अब क्योंकि वह ठीक प्रकार काम नहीं कर रही है हमें यह विधेयक फिर से लाना पड़ा है। प्रैस आयोग की 1954 की सिफारिश थी कि प्रैस आक्षेपणीय सामग्री अधिनियम को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये।

इसके पश्चात् जुलाई 1971 में संसद् में यह घोषणा की गई कि सरकार का प्रैस परिषद् की गतिविधियों पर रोक लगाने का इरादा है। अगस्त, 1971 में मंत्रियों के एक अनौपचारिक मण्डल ने प्रोरूप-प्रस्तावों पर चर्चा की थी। इसके पश्चात् भारतीय सम्पादकों का एक शिष्टमण्डल प्रधान मंत्री के पास गया और इस प्रस्ताव का विरोध किया। नवम्बर 1971 में सरकार ने प्रैस को औद्योगिक गृहों से अलग करने और इसके स्वामित्व का विस्तार करने के लिए मंत्रियों की समिति की घोषणा की। समाचारपत्रों के मालिकों ने अपना विरोधी अभियान जारी रखा और 1972 के लोक सभा के वर्षाकालीन सत्र में रखा जाने वाला विधेयक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और रातोंरात वापिस ले लिया गया और अब सरकार समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

हम यह बता देना चाहते हैं कि यदि देश की एकता को खतरा होता है तो हम सब आपके साथ हैं। हम सरकार की आवश्यकताएं समझते हैं, पर व्यवस्था, शान्ति और असंतोष को रोकने के नाम पर हम सभी प्रकार के कानून बनाने की अनुमति देते नहीं रह सकते। विरोधी तत्वों को समाप्त करने का यह तरीका तो नहीं है। यह आपातस्थिति कभी तो समाप्त होगी ही, तब संविधि पुस्तक में शामिल इन विधानों की वैधता पर न्यायालय रोक लगा देंगी, क्योंकि ये स्वस्थ राजनीति के सर्वथा विरुद्ध हैं।

इस विधेयक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य, लोक सभा अध्यक्ष और राज्य के राज्यपाल को संरक्षण प्रदान किया गया है। पर यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सार्वजनिक पद पर आसीन होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आचरण पर सार्वजनिक चर्चा की जा सकती है। उसे अपनी आलोचना को, भले ही वह अरुचिकर हो, स्वीकार करना चाहिए। मैं कोई भी सत्तावादी प्रतिबंध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तनों को लाया जाये लेकिन क्रान्ति ऐसे हो नहीं सकती। बर्नार्ड शा ने ठीक ही कहा है कि हम सब क्रान्ति के लिए आतुर हैं लेकिन हम सब डरपोक हैं हम चाहते हैं कि क्रान्ति सौम्य ढंग से हो। अतः यहां भी क्रान्ति सौम्य ढंग से लाई जाये। देश के हित के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन संविधान में जो इस विधान को स्थान दिया जा रहा है वह नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार अपने में थोड़े साहस और विश्वास का संचार करे तभी हम एक बेहतर भारत की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मंत्री महोदय ने मेरे भाषण को असंगत बता कर मुझे सम्मानित किया है। मंत्री महोदय मेरे तर्कों का जवाब नहीं दे पाये और उनके पास आपत्तिजनक टिप्पणी देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। मैंने जब उन्हें भ्रष्ट मंत्रियों के नाम बताने को कहा तो वह घबरा गये। मैं श्री शुक्ल का बहुत आदर करता हूं पर न जाने उन्हें आक्षेपणीय सामग्री पर विधेयक लाने का काम क्यों सौंप दिया गया है। मैं स्वतंत्रता पूर्व के भारत और वर्तमान शासन की उपलब्धियों की तुलना नहीं करना चाहता। यदि श्री जवाहरलाल नेहरू आज जीवित होते तो वह निश्चय ही सरकार तथा इसके द्वारा किये जाने वाले उपायों की कड़ी भर्त्सना करते।

प्रधान मंत्री प्रतिपक्षी दलों से शपथपूर्वक हिंसा का त्याग करने को कहती हैं। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। कल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य 'डंडा लोकतंत्र' की दुहाई दे रहे थे। वास्तव में हम सत्तारूढ़ दल से शपथपूर्वक हिंसा के त्याग की मांग करते हैं। प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय समझौते के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। सभी सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाये। सेंसरशिप हटा कर सभी दलों को बुलाकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाये। मैं यह महसूस करता हूं कि यह विशिष्ट विधेयक क्रूर और बर्बर ही नहीं बल्कि घातक भी है।

आक्षेपणीय सामग्री के बारे में बहुत बातें की गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निम्न बातों का प्रकाशन आक्षेपणीय माना जायेगा। इस दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारों की रोजगार केन्द्रों में दर्ज संख्या आपातस्थिति के पूर्वार्द्ध में 81 से 96 लाख हो गई है। अभूतपूर्व कृषि उत्पादन ने किसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती का अर्थ अपने उत्पाद के लिए अलाभप्रद मूल्य है। और यदि भ्रष्ट मंत्रियों के नाम प्रकाशित किये जायें तो क्या इस सरकार का मान बढ़ेगा या उससे वह असंतुष्ट होगी।

यदि सरकार कुछ बातों को समाचारपत्रों में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देती है तो इससे क्या परिणाम निकलेगा। क्या इससे अफवाहें और कानाफूसी नहीं होगी। सरकार इसे कैसे रोकेगी?

प्रैस को विनियमित करना राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करने के समान ही है। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समाचारपत्रों में देशभक्ति और दायित्व की भावना नहीं है। प्रैस आयोग ने यह स्वीकार किया था कि भारत में प्रैस का एक विशाल वर्ग संयत और जिम्मेदार है और वह अश्लील पत्रकारिता में नहीं पड़ता।

अब अधिकांश दैनिकों की बिक्री कम हो गई है। अब कोई समाचारपत्र पढ़ने में रुचि नहीं रखता। हिन्दी साप्ताहिक फिल्म पत्रिका बन रहे हैं। 'धर्मयुग' और 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में छोटी कहानियां आ रही हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना बंद हो गया है।

विनोबा जी ने देश में अनुशासन लाने के लिए अपना नैतिक समर्थन दिया था पर अब वह समर्थन भी इस सरकार को प्राप्त नहीं। उन्होंने आचार्यों की सभा में स्पष्ट कह दिया है कि

जब तक आपातस्थिति उठाई नहीं जाती और सभी राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता. . . . .

चार समाचार एजेंसियों के विलय के बारे में मुझे बताया गया है कि इन्हें व्यवहारिक बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। यह कार्यवाही इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समझ सके कि इन चार समाचार एजेंसियों ने आपस में मिलने का स्वेच्छा से निर्णय किया है।

अन्त में मैं रहीम का एक दोहा उद्धृत करना चाहता हूं :

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य स्वतन्त्र प्रैस जगत के मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के स्पष्टतः विपरीत है। सम्भवतः सरकार इस उक्ति से सहमत होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वाधीनता लोकतन्त्र की अनिवार्यता है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता समाप्त होने से लोकतन्त्र भी समाप्त हो जाता है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछले तीन चार वर्षों में प्रैस बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से कार्य करता रहा। उनकी शिकायत यह है कि समाचार पत्रों ने श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को अधिक महत्ता देकर सरकार को अलोकप्रिय बनाया है। इन विधेयकों का समन्वित प्रभाव क्या होगा। समन्वित प्रभाव प्रैस का मुंह बन्द करना होगा। प्रैस प्रति पक्षीदलों के अनपकारी समाचारों को भी नहीं प्रकाशित कर सकता। प्रैस केवल सत्तारूढ़ दल के विचारों को ही प्रकाशित करता है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिये उचित नहीं।

न्यायाधीश आयंगर ने 14 जून, 1973 को टेलिविजन भेंट में स्पष्ट कहा था कि भारतीय प्रैस निष्पक्ष तथा संयत है और अपनाकार्य भली भांति और प्रशंसनीय ढंग से करता है। यह जनता के हितों का भी रक्षक है। इसी प्रकार श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मैं प्रैस की स्वतन्त्रता चाहता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू की लोकतंत्र के सिद्धान्तों में गहरी आस्था थी। उन्हीं के साये में लोकतंत्र का पौधा यहां पनपा। 1951 के अधिनियम का उल्लेख किया गया है, जिसे राजाजी ने पेश किया था। राजाजी ने उस अवसर पर क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि यह अप्रचलित नियम बनने वाला है। विधेयक के उपबन्धों को स्पष्ट करते हुये राजाजी ने कहा था कि कार्यकारी सरकार कार्यवाही नहीं करेगी और अभियोग लगाने का आदेश देने से पहले वह इस पर सौ बार विचार करेगी।

सरकार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो केन्द्रीय सरकार के उपसचिव या राज्य सरकार के जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के स्तर का नहीं होगा। इस अधिकारी को कार्यवाही करने के लिये सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यह अधिकारी केन्द्रीय सरकार की ओर से कार्य करेगा और फिर यह अभियोजक तथा न्यायाधीश दोनों ही पद सम्भालेगा। ऐसे विधान से क्या संरक्षण

मिल सकता है। यदि आप विधेयक के उपबन्धों को देखें तो पता लगेगा कि यह सब उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता से लिये गये हैं।

विधेयक में यह व्यवस्था भी है कि ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती जिससे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मानहानि होती हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोक सभा के अध्यक्ष के बारे में तो माना जा सकता है लेकिन यह हमारी समझ के बाहर है कि दलगत प्रणाली वाली लोकतंत्रीय सरकार में प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की आलोचना को उनकी मानहानि माना जाये। हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिये और हमारे भाषणों का भी प्रकाशन होना चाहिये अन्यथा हम जनता को सरकार की कार्यवाहियों से कैसे अवगत करायेंगे। आप विश्व में आज भी दावा करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोगों को दिये जा रहे सभी अधिकार, विशेषाधिकार वापिस लिये जा रहे हैं। कहा गया है कि पत्रकारों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार नहीं दिये जाने चाहियें। देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत उन पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है तो फिर इस विशेष कानून की क्या आवश्यकता है। 1951 में भी इसका सदन के सभी वर्गों ने विरोध किया था। ऐसे लोगों से निपटने के लिये दण्ड संहिता में पर्याप्त उपबन्ध हैं।

सरकार को इस बात से झुंझलाहट है कि प्रैस विपक्ष का अधिक प्रचार कर रहा है। कहा जाता है कि पत्रकारों ने भविष्यवाणी की थी कि 1971 के चुनावों में सत्ताधारी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। क्या सरकार चाहती है कि पत्रकारों को ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिये। जो झूठी सिद्ध हो। यह कोई ऐसी गलती नहीं जिसके लिये सेंसर की आवश्यकता हो। श्री जयप्रकाश के आन्दोलन उपरान्त जब समाचारपत्रों ने उनके विचारों को प्रकाशित करना शुरू किया तभी आपने यह कहना शुरू किया कि प्रैस और जिम्मेदाराना ढंग से कार्य कर रहा है और सत्तारूढ़ दल को अलोकप्रिय बना रहा है। आज आपात स्थिति में प्रैस प्रतिपक्षी दलों के विचारों का प्रकाशन नहीं कर सकता। उनमें इतना साहस नहीं और हमारे देश में ऐसा लोकतंत्र है जहां विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं। आप देश को एकतंत्रवाद की ओर लिये जा रहे हैं। इसलिये मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। कई सदस्यों के मन में अभी भी कुछ संशय है। कानून में पहले से विद्यमान कुछ उपबन्ध इस विधान में अन्तःस्थापित किये गये हैं तथापि वे अत्यन्त सीमित रूप में अपनाये गये हैं जहां कि प्रैस में प्रकाशित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की जाएगी वह सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। ये संरक्षण विधेयक में इसलिये रखे गये हैं ताकि सरकार के विरुद्ध कोई बात कहने वाले व्यक्ति के प्रति हल्की फुल्की कार्यवाही न की जाये। माननीय सदस्य निन्दा और आलोचना के उत्तर को समझते हैं। निन्दा आधाररहित तथ्यों के कहने पर होती है और यह बुरी नियत से की जाती है। यदि आप सच बात कहते हैं तो आप इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि प्रकाशन की सम्भावना के बारे में कोई आदेश दिया जाता है तो वादी 10 दिन के अन्दर अपील कर सकता है और यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् केन्द्रीय सरकार अपील का फैसला नहीं करती तो मामले का निर्णय सरकार के विरुद्ध किया जाये। इस प्रकार सरकार कोई भी मामला विचाराधीन नहीं रख सकती । अपील उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक की जा सकती है। मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता कि आक्षेपणीय सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाना आलोचना पर रोक लगाना है। हमने विशिष्ट व्यवस्था की है कि जो आलोचना मानहानिकर या झूठी नहीं है वह निर्मुक्त भाव से भी की जा सकती है। जहां तक इस विशेष विधेयक का सम्बन्ध है ऐसी आलोचना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सदस्यों को आलोचना और मानहानि के बीच उलझना नहीं चाहिये। क्योंकि ये दोनों बातें नितान्त अलग हैं। महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों की मानहानि पर रोक लगानी चाहिये क्योंकि इससे लोक तंत्र के विरुद्ध धारणा पैदा होती है। हमने गत वर्षों में देखा है कि जहां कुछ व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से मानहानिकर प्रहार किये गये हैं वहां लोकतंत्र था लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः हमने यह उपबन्ध केवल इसलिये किया है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिसे हम देश में सुरक्षित रखना चाहते हैं, नष्ट करने के आशय से किये जाने वाले प्रहारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

अनुच्छेद 19 (2) में उचित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और इनका सम्बन्ध देश की संप्रभुता से है। उच्चतम न्यायालय ने इनका समर्थन किया है। इस अधिनियम में हमने यह देखने का यत्न किया है कि आक्षेपणीय सामग्री संविधान में व्यवस्थित उचित प्रतिबन्धों के क्षेत्र से बाहर न जाये।

जहां तक समाचार पत्रों के लिये आचार संहिता का सम्बन्ध है यह चर्चा का विषय है कि क्या इस सम्बन्ध में कानून बनाया जाये या इस पर ऐच्छिक नियंत्रण किया जाये। 15 वर्षों के अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि ऐच्छिक नियंत्रण सफल नहीं रहा है। 15 वर्ष पहले बनी ऐच्छिक संहिताओं की कोई परवाह नहीं करता है। लगभग तीन वर्ष पहले अखिल भारतीय पत्रकार संघ ने भी ऐच्छिक संहिता का सुझाव दिया था। लेकिन किसी ने इस पर गोई ध्यान नहीं दिया। अब अक्षुण सत्य निष्ठा और अनिन्ध आचारण वाले सम्पादकों की केन्द्रीय समिति ने एक संहिता का सुझाव दिया है। सत्य का पता लगाने वाला कोई भी माननीय सदस्य इस बात का पता लगा सकता है कि क्या ये उपबन्ध नैतिकता की ऐच्छिक संहिता का अतिक्रमण करते हैं जिनका सुझाव सम्पादकों ने ही दिया था। और यदि कोई ऐसी बात है तो मैं अधिनियम में संशोधन लाने के लिये तैयार हुं।

इस विधेयक का सेंसरशिप से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो अलग बात है कि सेंसरशिप रहे या न रहे। जहां तक मैं समझता हूं कि यह विधान संविधि पुस्तक में रहेगा ताकि एकाधिकार वाले समाचारपत्र अपनी शक्ति से सरकार के नेताओं, मंत्रियों और स्वयं सरकार पर प्रभाव न डाल सकें। हम समाचार पत्रों को एकाधिकार प्राप्त गृहों से अवश्य अलग करेंगे इस सम्बन्ध में

किसी तरह की आलोचना हमें अपने मार्ग से अलग नहीं कर सकती। समाचारपत्रों को एकाधिकार गृहों से अलग करना आवश्यक है।

इसके अलावा श्री वीरेन्द्र अग्रवाल का यह कथन नितान्त गलत है कि समाचारपत्रों की बिक्री कम हो गई है। वास्तविकता तो यह है कि इनकी बिक्री बढ़ी है । अखबारी कागज की मांग को दृष्टि में रखते हुए समाचार पत्रों के पंजीयक के पास आंकड़ों से पता चलता है कि 'समाचारपत्रों की बिक्री और उनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

इस विधेयक का लक्ष्य प्रेस की स्वतन्त्रता के मूल्यों का दुरुपयोग रोकना है । इससे प्रेस की स्वतन्त्रता के मूल्य कम नहीं होंगे। यदि प्रेस की स्वतन्त्रता के मूल्य झूठे, मिथ्यावादी, अश्लील और भद्दे लेखों को प्रकाशित करने एवं राष्ट्रीय नेताओं पर व्यक्तिगत विद्वेषपूर्ण प्रहार करने में निहित हैं तो प्रेस की स्वतन्त्रता के मूल्यों को समाप्त किया ही जायेगा। लेकिन यदि ये मूल्य वैसे ही हैं जैसे कि हम समझते हैं, यह राष्ट्र समझता है तो इन्हें सभा में पेश किये गये इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा।

श्री एच० एन मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बड़े एकाधिकारवादी प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है? जब समाचार एजेंसियों का पुनर्गठन किया जा रहा है तो "हिन्दू" तथा अन्य समाचारपत्रों से व्यक्तियों को नये निकाय का मुखिया बनाया जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। 'हिन्दू' भले ही बड़ा समाचार पत्र हो सकता है लेकिन यह एकाधिकारवादी गृह का समाचार पत्र नहीं है। यदि चार समाचार एजेंसियों जो आपस में मिल रही हैं, के कर्मचारियों ने श्री कस्तूरे से संगठन का मुखिया बनने के लिए अनुरोध किया है तो इसमें हमारा क्या दोष है। उनका स्वेच्छा से विलय हो रहा है। इन कर्मचारियों ने स्वयं विलय का प्रस्ताव पास किया है। किसी ने उनपर पिस्तौल नहीं तान रखी थी । पांच समाचार पत्र राष्ट्र के हितों के विरुद्ध अपने मालिकों के लिए कार्य कर रहे थे। अतः यह विलय भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक स्वस्थ घटना है। हमारी ओर से इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं होगा। हम सावधानी से धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इस उपबन्ध से केवल उन्हीं समाचार-पत्रों को स्वीकृति दी जायेगी जो सच्ची पत्रकारिता के सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं तथा राष्ट्रीय सिद्धान्तों और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखते हैं। इससे पत्रकारिता के मूल्यों और रीतियों को बढ़ावा मिलेगा।

इससे उन लोगों को सन्तोष हो जायेगा जिन्हें समाचारपत्रों का गला घोटे जाने का भय है तथा वे सदस्य एक बार फिर विचार करें जो आज केवल आलोचना की दृष्टि से ही आलोचना करते हैं ।

श्री इराज्मुद सेहैरा : मंत्री महोदय और अपने सहयोगियों के भाषणों को सुन कर मैं इस मामले पर फिर से विचार कर रहा हूं। इस सब को सुनकर मेरी शंका और बढ़ी है कि क्या भारत में लोकतंत्र के लिए अशुभ दिन है।

2921 (ai) LS—7

मंत्री महोदय ने बताया है कि अनुच्छेद 19 के अलावा कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। मंत्री महोदय को यह समझ लेना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये नियंत्रणों से यह नियंत्रण सर्वथा भिन्न है जो मंत्री महोदय ने मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारीगण लगाते हैं। इन दो नों के नियंत्रणों में उतना ही अन्तर है जितना लोकतंत्र और फासिस्टवादी राज्य में है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य को सुरक्षा मिलना अनिवार्य है। राज्यों के अन्य लोगों को भी यह सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं और अपने-अपने विभागों के प्रभारी हैं। इससे हमें यह सन्देह हो जाता है कि जो कुछ कहा जाता है वह वस्तुतः होता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मंत्री महोदय बता रहे थे कि इस विधान से जन-जीवन और पत्रकारिता में सुधार होगा, और इस विधान में मानहानि की परिभाषा का अतिक्रमण नहीं किया गया है। मूल अन्तर यह है कि मानहानि का निर्णय यहां न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा। यह तो सरकार करेगी। हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि सरकार स्वयं न्यायाधीश बनना चाहती है। और कार्यपालिका को न्यायपालिका बनाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विधेयक से न्यायालयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री इराज्मुद सेकैरा : मूल अन्तर यह है कि जब इसका विलय होगा तब लोकतांत्रिक समाज का सन्तुलन ही नष्ट हो जायेगा।

सरकार यह महसूस करती है कि ये कानून पास कर और ये अधिकार प्राप्त करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह अपनी कमजोरी ही दिखा रही है क्योंकि डरपोक व्यक्ति ही अपने चारों ओर शक्तियां एकत्र करता है। वह व्यक्ति क्रियात्मक व्यक्ति है जो शक्ति का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करता है। भयभीत व्यक्ति आदमियों की भीड़ से घिरा रहता है। मैं सरकार के भय को अच्छी तरह समझता हूं।

अतः इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाना चाहिए। इस विधेयक को पास नहीं किया जाये तथा देश की जनता को लोकतंत्र में पूरी तरह से भाग लेने दिया जाये। इसके लिए सरकार के हस्तक्षेप के बिना जानकारी प्राप्त करना अत्यावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री इराज्मुद सेकैरा के सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन-निवारण अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 28) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मतदान हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 35 : विपक्ष में 152

Ayes—35: Noes 152

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी का संशोधन लेता हूं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उसपर 4 मार्च, 1976 तक राय जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 32 : विपक्ष में 154

Ayes—32 : Noes—154

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अपराध का उद्दीपन करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करेंगे।

खण्ड 2

Clause 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 10 और 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैंने अपने खण्ड 3 के संशोधन में "आपत्तिजनक सामग्री" की परिभाषा के एक भाग को लोप करने की मांग की है। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि विधेयक में सम्मिलित किये गये नियंत्रण सर्वथा संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उचित नियंत्रणों के अनुरूप हैं। परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि यह नियंत्रण उचित नहीं है। दूसरे, जो शक्तियां प्राप्त की जा रही हैं वह पहले ही से कई विधानों के द्वारा प्राप्त हैं, जिनके तहत सरकार अवैध हड़तालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। फिर सरकार यह विधेयक क्यों ला रही है? मंत्री महोदय ने बताया है कि ये खण्ड समाचारपत्रों के दुर्व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए हैं लेकिन जिन लोगों का समाचारपत्रों पर एकाधिकार है वे इस खण्ड की पकड़ में आने वाले नहीं हैं।

इस खण्ड का उपयोग केवल कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार के विरुद्ध किया जायेगा। यह कानून वैध मजदूर संघों द्वारा हड़ताल करने के निर्णय करने पर और पर्चे छापने पर रोक लगाता है। यदि वे हड़ताल का आह्वान का समर्थन करते हैं तो इस खण्ड की पकड़ में आ जाते हैं। अतः मेरी राय में यह बहुत घातक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः खण्ड के इस विशेष भाग को निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने सहयोगी श्री गुप्त का समर्थन करता हूं। इस उपबन्ध से सरकार के हाथों में कर्मचारियों की उचित कार्मिक संघ की गतिविधियों को कुचलने का एक हथियार मिल जायेगा। इसी लिये हमने इस खण्ड का लोप किये जाने की मांग की है। जब ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए अन्य कई विधान हैं तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे विधान से एकाधिकारवादियों को कर्मचारियों को दबाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैंने अपना संशोधन संख्या 8 पेश किया है। 'अन्य कोई अपराध' शब्दावली बड़ी अस्पष्ट है। इसके अन्तर्गत किसी भी गतिविधि को लिया जा सकता है। 'अन्य कोई' शब्दों की व्याख्या नहीं की गई है। अतः इन शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए। 'केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के किसी अन्य सदस्य' या 'अथवा किसी राज्य का राज्यपाल' इन शब्दों को भी निकाल दिया जाना चाहिए। फिर इस खण्ड से 'या कोई वर्ग' का भी लोप कर दिया जाना चाहिए। हम उस वर्ग के विरुद्ध हैं जो जनता का शोषण करता है। जब तक इस देश में बिड़ला जैसे लोग हैं जिनकी एक दिन की आय 20 या 30 लाख रुपये है तथा दूसरी ओर वह लोग हैं जिन्हें उनकी नौकरी से केवल 50 पैसे दिन के मिलते हैं, तब तक इस देश में वर्ग बने रहेंगे। उन्हें किसी भी विधेयक द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।

जब तक मजदूर वर्ग पिसता रहेगा तब तक हमारा पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। हम वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैंने संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत किया है। आप कृपया उसे देखिये। सरकार बहुत सी बातों को मिलाने का प्रयत्न कर रही है। मैं इस सदन की प्रत्येक दल के प्रत्येक सदस्य को प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रीमंडल के किसी भी सदस्य की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। परन्तु इस विधेयक द्वारा इस पर पूर्ण रोक लगाई जा रही है। आज देश में वास्तविक स्थिति यह है कि सी० आई० टी० यू० अथवा अन्य किसी भी विरोधी दल के सम्बन्धित किसी भी मजदूर संघ की कर्मचारियों की मांगों का हवाला देने वाला किसी भी प्रकार का पर्चा छापने की अनुमति नहीं है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसा करने वाले कर्मचारी, उस संघ के कार्यकर्ताओं तथा ऐसा पर्चा छापने वाले मुद्रक तक को गिरफतार किया जा सकता है। यह कैसी विचित्र स्थिति है। एक मजदूर संघ एकाधिकारियों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने के विरुद्ध एक पर्चा छापना चाहता था परन्तु सेंसर अधिकारियों द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। मजदूर संघों के अनेक कार्यकर्ताओं को इंटक में शामिल न होने के कारण आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा भारतीय सुरक्षा नियम के अन्तर्गत बंदी बना लिया गया है।

विधेयक के खंड 3, उप पैरा (तीन) में "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द बहुत विवादास्पद है। इस शब्द की व्याख्या स्पष्ट नहीं है तथा इसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। अतः मेरा सुझाव है कि यह शब्द निकाल दिया जाये। इसी प्रकार संशोधन संख्या 16 के अनुसार "जन शान्ति के विरुद्ध" शब्द को भी निकाल दिया जाना चाहिए।

हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। प्रधान मंत्री या उनके मंत्रीमंडल के सदस्यों के विरूद्ध बोलने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे यहां एक दलीय व्यवस्था तो नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 5 के अन्तर्गत यह कहना चाहता हूं कि यह उपबन्ध मंत्री मन्डल के अन्य सदस्यों पर लागू नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि यदि मंत्री मन्डल के किसी सदस्य की वास्तव में मानहानि की जाती है तो उसे भी यह अधिकार है कि वह देश के अन्य नागरिकों की तरह से ही मानहानि का मुकदमा चलाये परन्तु वर्तमान विधेयक के अनुसार तो मंत्रीमण्डल के उपमंत्री तक को सुरक्षा दी गई है। मैं जानना चाहता हुं कि ऐसा क्यों किया गया है ? मंत्री मंडल के प्रत्येक सदस्य को यह सुरक्षा क्यों प्रदान की जा रही है ? परन्तु दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री को, जो केन्द्रीय मंत्रीमंडल के उपमंत्री से बड़ा समझा जाता है, इस प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता है ? क्या श्री शुक्ल यह बतायेंगे कि ऐसा करने का औचित्य क्या है। अतः सुझाव है कि सरकार के किसी भी अन्य 'सदस्य' शब्द को निकाल दिया जाये क्योंकि यह पूर्णतया असंगत तथा बेतुका लगता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संशोधन सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देने से पूर्व मैं प्रकाशन त्रुटियां सम्बन्धी कुछ संशोधन आप की अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूं। पृष्ट 3 की पंक्ति 22 में 'या' शब्द जोड़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अन्तिम क्षण में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं यद्यपि साधारण नियमों के अन्तर्गत उन्हें स्वीकार करने में मैं कुछ कठिनाई अनुभव करता हूं परन्तु फिर भी विधेयक तथा खण्ड के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने पूर्व परिपाटी की विशेष परवाह न करते हुए सरकार को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि ऐसा करना मैंने सदन के हित में ही समझा है। इससे पूर्व यदि मैंने श्री रामावतार शास्त्री को कोई संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी, तो उन्हें भी अब ऐसा करने का अवसर दिया जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

(i) पृष्ठ 3, पंक्ति 22–Force (बल) के बाद–और (अथवा) जोड़ दिया जाये (26)

(ii) पृष्ठ 3, पंक्ति 35– State (राज्य) के बाद–or अथवा जोड़ दिया जाये (27)।

श्री रामावतारी शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ट 3, पंक्ति 30 से या 'कोई एसा जुर्म, शब्द तथा पृष्ठ 3 की ही पंक्ति संख्या 33 और 34 में आने वाले 'प्रधान मंत्री या कन्द्रीय मंत्रीमंडल के सदस्यों, शब्द हटा दिये जाये।

The fact of the situation is that these Provisions are highly objectionable because under certain circumstances, the workers have to resort to strike etc. for pressing their demands. If this clause is involved to punish the workers for publishing their demands. it will definitely be a strong blow to the Trade Union Movement in the Country. Therefore. I submit that this clause may be amended suitably.

The Members of the House come overhere line to highlight the failures and weaknesses of the Government. If something is said by the Prime Minister against bonus or nationalisation, we will definitely oppose the same. So my submission is that the Prime Minister or other Members of the Council of Ministers should not be allowed protecion under this clause. Similarly, the words 'any other offence' should be defined clearly or they should be deleted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय कल मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इसका उपयोग मजदूर संघों के किसी भी प्रकार के कानूनी सवंर्ष के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। मेरे माननीय मित्र श्री गुप्त, श्री बनर्जी तथा श्री शास्त्री द्वारा एक ही बात कही गई है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे आवश्यक सेवा सम्बन्धी कानूनों की भी पूर्ण जानकारी है। मैं यह और स्पष्ट कर दूं कि यह खण्ड तब तक किसी सेवा पर लागू घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे आवशयक सेवा घोषित न कर दिया जाये। अतः इस प्रकार यह मजदूर संघों पर लागू नहीं होगा।

विधेयक के अनुसार केवल इस प्रकार के उकसावे को रोकने की ही व्यवस्था की गई है जो अवैध हो। अतः खण्ड का उद्देशय स्पष्टतः काफी सीमित है। इस खण्ड का उपयोग उन्हीं सेवाओं में किया जायेगा जिन्हें आवश्यक घोषित कर दिया जायेगा। इसे मजदूर संघ पर लागू नहीं किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी कर्मचारी के विरुद्ध इसका प्रयोग करने से आपको कौन-कौन रोक सकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आवश्यक वस्तु अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किस सेवा को 'आवश्यक' घोषित किया जा सकता है।

हमारे देश में यह सम्भव है कि निर्णय करने की शक्ति एक विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दी जाए और हमने यह शक्ति उच्च स्तर पर दी है। यदि उस प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय पर मतभेद हो तो न्यायालय यह फैसला करेगा कि की गई कार्यवाही उचित है अथवा अनुचित। अतः वैध आलोचना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में उल्लिखित मानहानि नहीं होगी।

इसी प्रकार यदि किसी घोषणा पत्र में यह प्रकाशित किया गया है कि सरकार ने अमुक गलत काम किया है तथा सरकार को हटा देना चाहिए तो यह प्रकाशन उनका वैध अधिकार है। ऐसी बातों को अनुमति दी गई है। अभी हाल में गुजरात में नगर निगम के चुनाव हुए थे। किसी भी घोषणा पत्र को सैंसर नहीं किया गया। यदि किसी घोषणा पत्र में विधि के विरुद्ध कोई बात लिखी गई है, तो उसे सेंसर करना होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य का कहना था कि 'सरकारी आदेश' की परिभाषा दी जाए। सरकारी आदेश की पहले ही परिभाषा दी जा चुकी है। अतः मैं इस पर सभा का समय नहीं लेना चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक संशोधन पेश किया था, जिसमें कहा गया था—'या संघ के मंत्रीमंडल के किसी अन्य सदस्य' शब्दों का लोप किया जाए। मैं 'या' शब्द को छोड़कर शेष संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। या शब्द वाक्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय मेरा संशोधन संख्या 10 क्यों नहीं स्वीकार करते ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : संशोधन के सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। आशा है माननीय सदस्य उससे संतुष्ट होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को क्यों शामिल नहीं किया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विधान सभाएं कानून बनाने में पूरी तरह समर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ट 3, पंक्ति 33 "any other member of the Council of Ministers of the union" (संघ के मंत्रीमंडल के किसी अन्य सदस्य) शब्दों का लोप किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शुक्ल द्वारा पेश किए संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन पर कुछ बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। बोलने का समय निकल चुका है।

प्रश्न यह है :--

(i) पृष्ट 3, पंक्ति 22—

'force' (बल) के बाद 'or' (अथवा) जोड़ दिया जाए।

(संशोधन संख्या 26)

(ii) पृष्ट 3, पंक्ति 35—a state (राज्य) के बाद or (अथवा) जोड़ दिया जाए। (27)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ट 3—पंक्ति 16 से 18 हटा दी जाए

(संशोधन संख्या 2)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 35: विपक्ष में 148

Ayes 35 : Noes 148

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 11 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

पंक्ति 13 से 15 के लिए 'towards the State or' (राज्य के प्रति अथवा) प्रतिस्थापित किया जाए ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 36 : विपक्ष में 141

Ayes 36 : Noes 141

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 के अन्य संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4 से 7

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 से 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

खण्ड 8

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

In clause 8, the keeper of the press is being allowed 21 days' period to deposit the security. This period should be increased to 30 days so that if an owner of a small newspaper or a printing press come within the mischief of the provision being made in clause 8, he can get adequate time to arrange for the money required to be deposited as security. In Land Ceiling Bill also provision of 30 days has been made. There should be no hitch in providing 30 days in this Clause.

विद्याचरण शुक्ल : मैं समझता हूं कि 21 दिन का समय पर्याप्त है और इसलिए मैं इस संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 20 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the bill.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 21 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No 21 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 9 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 तथा 10 विधेयक में जोड़ दिया गए

Clause 9 and 10 were added to the Bill.

खण्ड 11

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 22 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No 22 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

'कि खंड 11 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 23 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 23 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 तथा 13 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 12 and 13 were added to the Bill.

खण्ड 14

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 24 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 24 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 25 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 25 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motioa was adopted

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 से 41, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 16 से 41, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 16 to 41, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added the Bill.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सच्चे अर्थों में प्रजातन्त्र स्वतन्त्र राय तथा परस्पर विरोधी राय प्रगट करने का अधिकार देता है । संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में

भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता दी गई है । बड़े दुःख की बात है कि मंत्री महोदय इस स्वतन्त्रता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जोन स्टूअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक में भाषण-स्वतन्त्रता के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वतन्त्र वातावरण में ही रह सकते हैं। इसी प्रकार अमरीका के न्यायाधीश होल्मस का कहना कि संविधान का मुख्य सिद्धान्त भाषण स्वतन्त्रता है । यही विचारधारा हमारे संविधान में प्रकट की गई है । बड़े खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने इस विधेयक को पेश करके भाषण तथा विचार स्वतन्त्रता का मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया है । प्रजातांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्य के बारे में जानने का पूरा अधिकार है । मेरी आपत्ति यह है कि यह विधेयक स्वतन्त्र प्रैस के संगत क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है ।

आम चुनाव एक प्रकार की शांतिपूर्ण क्रान्ति है और यह क्रान्ति स्वतन्त्र विचार और चर्चा के वातावरण में ही आ सकती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हिंसा फैलाने वाले एवं अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए । मंत्री महोदय ने 'आपत्तिजनक विषय' को 'मनमुटाव' के समकक्ष माना है । परन्तु 'मनमुटाव' शब्द का बहाना लेकर मंत्री महोदय इस विधेयक में नई बातें सम्मिलित कर रहे हैं ।

सरकार चाहती है कि हम ऐसी कोई बात न कहें जो केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध हों। सरकार कहती है कि विधि द्वारा सम्मत सरकार को हटाना उचित नहीं है । यदि ऐसा है तो तमिलनाडु सरकार को क्यों हटाया गया। जहां तक विधेयक के पृष्ठ 3 पर दिए गए स्पष्टीकरण का सम्बन्ध है, इस बात की क्या गारन्टी है कि इसका क्रियान्वयन विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर ईमानदारी से होगा ? आपत्तिजनक विषय की परिभाषा कहां दी गई है ?

सरकार ऐसे कानून लाकर उन बुरे दिनों की याद दिला रही है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। सरकार चाहती है कि उसे अधिक से अधिक ताकतें मिलें, परन्तु स्वतन्त्र नागरिक इस बात की अनुमति कैसे दे सकते हैं। सरकार का विरोध करने का अर्थ यह नहीं कि देश का विरोध किया जा रहा है । यदि सरकार का विरोध 'राजद्रोह' समझा जाता है तो मैं कहूंगा कि विरोध करना एक न्यायोचित लोकतांत्रिक अधिकार है ।

सरकार इस विधेयक को पेश करके स्वतन्त्र प्रैस का गला घोंटना चाहती है । इस विधेयक के द्वारा गैर-अनुयायियों को दण्डित किया जाएगा। वस्तुतः प्रैस सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : आज एक और दुःखद दिन है, जब स्वतन्त्र भारत की संसद् देश की जनता को रही सही स्वतन्त्रता भी समाप्त कर रही है । सरकार द्वारा उठाया गया यह एक और अलोकतन्त्रीय कदम है । इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार जनता की स्वतन्त्रता से भयभीत है । अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण एकत्र होने की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई है । इतिहास साक्षी रहेगा कि वर्तमान सरकार देश में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को समाप्त करने की उत्तरदायी है । इतने से ही सन्तुष्ट न होकर सरकार ने अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल

अधिकारों को समाप्त कर दिया है । अनुच्छेद 14 एवं 21 भी समाप्त कर दिये गये हैं। अभी पिछले सप्ताह "आंसूका" कानून पारित किया गया है, जिसका शिकार आम लोगों को बनाया गया है । इमें बताया गया है कि भारत की जनता डंडे से ही काबू में आती है । यदि वास्तव में जनता आपके साथ है तब आप उससे भयभीत क्यों हैं। आप जनता को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा सरकार जनता में आतंक फैलाना चाहती है । आज जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है उसे 'आंसूका' के अधीन गिरफ्तार कर लिया जाता है ।

यदि आज किसी मंत्री, किसी अधिकारी अथवा किसी संसद् सदस्य के भ्रष्ट आचरण की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है हम चरित्र हनन करते हैं। जहां कहीं भी सरकार अथवा कार्यपालिका ठीक रूप से कार्य नहीं करती तथा उसकी जांच की मांग की जाती है तब कहा जाता है कि यह चरित्र हनन है । इस बारे में संसदीय समितियों के गठन की मांग भी स्वीकार नहीं की जाती है ।

देश में एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष तथा मंत्री परिषद को उक्त वर्ग मे रखा गया है । उनके निर्वाचनों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये पद निर्वाचित होते हैं। अतः इन पद-धारियों का जनता तथा देश के प्रति उत्तरदायित्व है । एक और सांवैधानिक संशोधन किया गया है कि जिस भी व्यक्ति ने प्रधान मंत्री का पद धारण किया है वह कभी भी किसी अपराध के लिये दोषी नहीं माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति के सब पाप धुल जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार एक व्यक्ति को देश के समकक्ष मान लिया गया है । केवल औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति का भी उल्लेख किया गया है । अध्याय 1 संख्या दो में किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं किया गया ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संरक्षण की व्यवस्था है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल धारा 18 में अपील की व्यवस्था है जोकि अध्याय तीन में है ।

यह एक और काला कानून है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि भारत रक्षा नियम के होते हुए इस कानून की क्या आवश्यकता है ।

सरकार जनता से भयभीत है इसलिए अपने को कानून तथा जनता की आलोचना से पृथक रखना चाहते हैं। सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। वह जनता को दबाने के लिये और शक्तियां चाहती है ।

Shri M.C. Daga (Pali) : The laws are formulated with good intentions but it is equaly important to see as to how they are implemented. What would happen to the letters to the editor and cartoons published in almost every paper. Shri Shukla has stated that the Act would be implemented with utmost care. But the District Magistrates and the Deputy Secretaries are not judicial people. This power should be exercised by judicial officers.

Shri S. M. Banerjee (Kanpoor) : The Bill pilated by Shri Shukla would be passed and implemented. Still there are a few things which require consideration. An assurance has been given that it would not affect the trade union activities. The working class in this country

has always been and would always remain a progressive force. But what reward they have got? Tey have now no right to ventilate their grievances.

I want to repeat that we shall see as to how this Law is implemented. Yesterday I vehemently opposed the Bill relating to prevention of publication of objectionable matter. But it has been reported in the Times of India "Mr. S.M. Banerjee C.P.I. supported the Bill."

For these reasons I oppose the Bill.

श्री विद्या चरण शुक्ल : विधेयक के तीसरे वाचन पर बोलते हुये अधिकांश सदस्यों ने पहले दिये गये तर्कों को दुहराया है । श्री मावलंकर ने पश्चिम के प्रसिद्ध दार्शनिकों के उद्धरण दिये हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा किसी सांविधानिक आश्वासन को भंग नहीं किया जा रहा है । यदि ऐसा हो भी तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा । अतः उसकी चिन्ता क्यों की जाती है । इस बात का निर्णय न्यायालय करेगा कि क्या इस विधेयक द्वारा सरकार स्वतन्त्रताओं को समाप्त कर रही है अथवा नहीं । कोई व्यक्ति कितना भी विरोध करे जब तक उससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती तब तक उक्त व्यक्ति इस अधिनिय के अन्तर्गत दोषी नहीं होगा ऐसा विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सदस्यों ने स्वतन्त्र प्रेस की चर्चा की है । सम्पादकों एवं प्रसिद्ध पत्रकारों ने भी सुझाव दिया है कि प्रेस पर कुछ अंकुश रहना चाहिये । अन्तर केवल इतना ही है कि वे इसे स्वैच्छिक रखना चाहते थे और हमने इसे कानून का रूप दे दिया है । अन्य सभी बातों का उत्तर मैं दे चुका हूं । इसलिये मैं सभा से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 146 विपक्ष में : 27

Ayes : 146 Noes : 2

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीयों द्वारा उगाँडा में पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Compensation for properties of Indian Nationals in Uganda.

उपाध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय में उप मंत्री श्री बिपिनपाल दास जो हाल ही में उगांडा से आये हैं, अब अपना वक्तव्य देंगे ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : हमारी प्रधान मंत्री के नाम उगांडा के राष्ट्रपति ने पत्र लिखकर कहा था कि उगांडा में 1972 में जिन भारतीय राष्ट्रिकों ने

सम्पत्ति छोड़ी है, उसके मुआवजे के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाये। इस पत्र के उत्तर में श्री जे० एस० मेहता के नेतृत्व में भारत से एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर, 1975 में कम्पाला भेजा गया था।

उगांडा के जिन सम्बद्ध आदेशों में मुआवजे का सिद्धान्त बताया गया था, उनके अनुसार दावेदार व्यक्तिगत तौर पर उगांडा सरकार से सीधे ही व्यवहार नहीं कर सकते थे; इसके बजाय उनसे यह कहा गया था कि प्रस्तुत किये जाने वाले दावों पर केवल सम्बद्ध राष्ट्रिकों की सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। उगांडा के कानूनों और आदेशों की भावना के अनुरूप, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उगांडा की मूल्यांकन समिति के साथ मिलकर दावों की विस्तार के साथ छानबीन की और अन्त में भारतीय राष्ट्रिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि के विषय पर समझौता हो गया, दावों में दिए गए कुछ मदों के बारे में, भुगतान, पुनः स्थापना अथवा प्रतिपूर्ति का प्रश्न राजनयिक सूत्रों अथवा स्थापित प्रक्रिया द्वारा तय किये जाने के लिये छोड़ दिया गया। अन्य बातों के साथ इन मदों में ऐसी कम्पनियां के शेयर शामिल हैं जिनका स्वामित्व पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रिकों के हाथ में नहीं है, और इसके अलावा ग्रेच्युटी, वेतनराशि, सरकार अथवा 'पैरास्टेटल' संगठनों से मिलने वाली धनराशि की वापसी, सामान, बीमा और भाड़े के दावे, सुरक्षित जमा अल्मारियां, लाकरों आदि में रखी वस्तुओं की पुनः प्राप्ति आदि भी शामिल हैं। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने जिन मदों की जांच की वे अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार हैं–बिल्डिंग, प्लाट और मशीनें, उगांडा सरकरकार के स्टाकस, उगांडा की बीमा पालिसियों पर दावे, सामाजिक सुरक्षा निधियां और रुके हुये बैंक खाते।

दावो की संयुक्त रूप से अच्छी जांच पड़ताल कर लेने के बाद, दोनों प्रतिनिधिमंडलों में इस बात पर सहमति हुई कि 13,415,416/16 यु० शिलिंग की राशि दावेदारों में बांटने के लिये भारत सरकार को अदा की जाये।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लौट आने पर हमारी सरकार ने इस समझौते का अनुमोदन कर दिया। उगांडा सरकार के निमंत्रण पर मैंने 23 से 26 जनवरी तक कम्पाला की यात्रा की और इस बीच मैंने उगांडा के राष्ट्रिक दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। उगांडा मूल्यांकन समिति के साथ संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद 24 जनवरी को मैंने राष्ट्रपति फील्ड मार्शल ई० दी० अमीन से औपचारिक रूप से भेंट की और उस अवसर पर उन्होंने मुझे 1,627,114 अमरीकी डालर और 60 सैंट का एक चैक दिया जो कि सहमत राशि के बराबर है। यद्यपि मदों पर काम बाद में होना है, फिर भी यह जो राशि मिली है वह भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा छोड़ी गई उस सम्पत्ति के मुआवजे का परस्पर सन्तोषजनक समाधान का द्योतक है जिसकी परिगणना पहले हो चुकी है।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति अमीन के साथ बातचीत में उन्होंने इस समाधान पर न सिर्फ सन्तोष व्यक्त किया था बल्कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री की प्रशंसा की

ग्रौर ग्रफ़्रीका के समर्थन में तथा गुट निरपेक्ष ग्रान्दोलन में भारत ने जो भूमिका ग्रदा की है उसकी भी बहुत सराहना की। उत्तर में. मैंने उस भावना के प्रति ग्रपनी सराहना व्यक्त की जिसके साथ यह समझौता हुग्रा ग्रौर उनके साथ मैंने भी यह ग्राशा व्यक्त की कि हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता के सम्बन्ध ग्रौर ग्रार्थिक सहयोग ग्रौर ग्रधिक विकसित हो सकेंगे।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

Motor Vehicles (Amendment) Bill

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर यान (संशोधन) ग्रधिनियम, 1939 का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये"

[**श्री वसन्त साठे पीठासीन हुये**
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

जैसा कि ग्रापको विदित है कि 20 सूत्री ग्रार्थिक कार्यक्रम में एक सूत्र मोटर यानों के ग्रावागमन पर बाधा समाप्त करने के लिये ट्रकों के लिये राष्ट्रीय परमिट पद्धति जारी करना था। इस समय दो ग्रथवा ग्रधिक राज्यों में ट्रकों का संचालन सम्बद्ध राज्यों में समझौते से किया जाता है, जिसमें कई प्रकार ग्रसुविधायें रहती हैं। इसको समाप्त करने के लिये दस वर्ष पूर्व ग्रन्तर्राज्यीय जोनल परमिट व्यवस्था जारी की गई थी। इन योजनाग्रों के ग्रधीन प्रत्येक राज्य के 200 ट्रकों के जोन के भीतर ग्रन्य राज्यों में 700 रुपये संयुक्त फीस देकर संचलन की सुविधा दी जाती है। प्रक्रिया सम्बन्धी ग्रावश्यकतायें सरल कर दी गई हैं। जिसके ग्रधीन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 5300 यानों को राष्ट्रीय परमिट पद्धति के ग्रधीन परमिट जारी किये जायेंगे। इस योजना के ग्रधीन यानों के लिये 500 रुपये प्रतिवर्ष देने होंगे जोकि राज्य को देय ग्रधिकतम 700 रुपये से ग्रतिरिक्त होंगे।

इस योजना को सड़क परिवहन चालकों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय प्रशासनों के प्रतिनधियों में परामर्श के बाद ग्रन्तिम रूप दिया गया है। इस योजना की क्रियान्विति के लिये मोटर यान ग्रधिनियम, 1939 में संशोधन की ग्रावश्यकता थी। जिसके लिये 26-9-75 को एक ग्रध्यादेश जारी किया गया था। मोटर यान (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 17 दिसम्बर को प्रकाशित कर दिये गये थे, ताकि सम्बद्ध पक्ष सुझाव ग्रादि दे सकें। यदि किस व्यक्ति के पास तीन ग्रथवा इससे ग्रधिक ग्रन्तर्राज्यीय परमिट होंगे ग्रथवा किसी कम्पनी के पास 7 से ग्रधिक परमिट होंगे तो उन्हें राष्ट्रीय परमिट नहीं दिये जायेंगे। परमिट दिये जाने के लिये मुख्य ग्राधार पर यही रखा गया है कि परमिट उन्हीं व्यक्तियों को दिये जायें जो सार्वजनिक हित को बढ़ावा दें। 50 प्रतिशत राष्ट्रीय परमिट ऐसे व्यक्तियों को दिये जायेंगे जिनके पास ग्रन्तर्राज्यीय परमिट हैं, 25 प्रतिशत परमिट उन व्यक्तियों को दिये जायगे जिनके पास राज्य के भीतर यान संचालन के परमिट हैं ग्रौर शेष 25 प्रतिशत नये उद्यमियों, जिनमें वैधनागरिक लाइसेंस रखने वाले भूतपूर्व सैनिक होंगे, को दिये जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में 244 ग्रावेदकों को चुना गया है जिनमें से 230 को परमिट दिये भी जा चुके हैं। कुछ ग्रन्य राज्यों में ग्रावेदन मांगे गये हैं। ग्राशा है कि फरवरी-मार्च, 1976 तक ग्रधिकांश परमिट जारी कर दिये जायेंगे।

इस राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था से देश के ग्रार्थिक विकास की गति तेज होगी। ग्रतः इससे व्यापक सार्वजनिक हित होगा।

यह विधेयक अविवादास्पद है । अतः इसे मैं सभा में विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : हमें प्रसन्नता है कि हमारे नये मंत्री महोदय ने मोटर यानों के लिये राष्ट्रीय परमिट सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया है ।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरा मैया) : यदि ऐसी बात है तब आप इसे बिना वाद-विवाद के पारित क्यों नहीं करते ?

श्री दिनेश जोरदर : हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है । सड़क परिवहन रेलों की अपेक्षा कहीं अधिक अर्थात् 9 लाख किलोमीटर के स्थान पर 14 लाख किलोमीटर में कार्यरत है । सड़क परिवहन में 14 लाख से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । इनमें से अधिकांश व्यक्ति निम्न आय वर्ग के श्रमिक आदि हैं । केवल कुछ ही व्यक्ति, जो बड़ी-बड़ी रकमों का विनियोजन करते हैं, 95 प्रतिशत लाभ उठाते हैं । जब कि चालकों, अन्य कर्मचारियों को उचित मजूरी तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाता है । सड़क परिवहन में क्रम-बद्ध योजना एवं प्रभावी संगठन का अभाव है । इस पर सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण किया जाता है । अन्तर्राज्यीय परमिटों का नियंत्रण केवल जांच चौकियों, द्वारा किया जाता है । जब तक इन बाधाओं को समाप्त नहीं किया जाता तब तक सड़क परिवहन संगठन में सुधार नहीं हो सकता । ये लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग तब आवश्यक वस्तुयें ले जाते हैं । ये उन क्षेत्रों में सेवारत हैं जहां रेलें नहीं हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि इस कार्य में लगे लोगों की सेवा की शर्तों में सुधार का प्राथमिकता दी जाये ।

देश में 4–5 लाख भारी मोटर गाड़ियां हैं और कई लाख मध्यम और छोटी मोटर गाड़ियां हैं । देश में सड़कों की स्थिति ऐसी है कि गाड़ियां कुछ वर्षों से अधिक नहीं चल सकतीं । तेल आदि का खर्चा इतना अधिक होता है कि निर्धारित क्षमता से उन्हें लाभ नहीं हो पाता । उन्हें प्रत्येक चौकी पर कुछ घूस देकर अधिक माल का वहन करना पड़ता है । अधिक माल लादे जाने से दुर्घटनायें अधिक होती हैं जिनमें कई चालकों एवं पैदल चलने वालों की जाने जाती हैं ।

इस प्रकार हमें राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु जब तक कुछ मूलभूत बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पायेगी ।

देश में 55 राष्ट्रीय राजपथ हैं जिनमें से 44 पूरी तरह निर्मित हैं । जब कि 11 निर्माणाधीन हैं । हमारे जैसे बड़े बड़े देश को ध्यान में रखते हुये ये बहुत कम हैं । वर्तमान बजट में 16 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं । मेरे राज्य में 3 या 4 राष्ट्रीय राजपथ हैं परन्तु उनकी स्थिति असन्तोषजनक है । परिणामस्वरूप प्रति दिन कई दुर्घटनाये होती हैं ।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें ।

कल देश की स्वतन्त्रता के लिये बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेंगी । अतः आप कुछ समय पूर्व पधारें ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976/10 माघ, 1897 (शक) के 10 बजकर 59 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Fifty-nine minutes past ten of the clock on Friday, January 30, 1976/Magha 10, 1897 (Saka).

GMGIPND—LS-III—2921 (ai) LS—23-6-76—200